ISSN 2454-504X | 01-15 फ़रवरी, 2025 | राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका | RNI No. DELHIN/2002/08663

₹ 15

दूसरा मत

दूसरा मत कामयाबी के 22 साल

www.doosramat.com | YOUTUBE DOOSRA MAT | जहां सच बोलते हैं शब्द

गणतंत्र को मिलकर संवारें

76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Hotel *KDM* Palace

NH- 31, Har Har Mahadev Chowk Begusarai- 851101 M. 7544800022

अपने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता समेत बेगूसराय ज़िला वासियों एवं बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

राजकुमार सिंह

सदस्य- बिहार विधान सभा
मटिहानी विधान सभा क्षेत्र

सचेतक- सत्तारुढ दल, बिहार विधान सभा
(जनता दल यूनाइटेड)

SARDAR PATEL MEMORIAL COLLEGE, UDANTPURI

A Constitutent Unit of patliputra University, patna

BIHAR SHARIF (NALANDA)

गणतंत्र दिवस के मौके पर सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, उदंतपुरी, बिहार शरीफ की ओर से सभी शिक्षा प्रेमी, छात्र- छात्रा, अभिभावक एवं जिला के सम्मानित जनों को हार्दिक शुभकामनाएं।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

1. स्नातक में सभी विषयों की पढ़ाई
2. स्नातकोत्तर में रसायन विज्ञान,जंतु विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र एवं भूगोल की पढ़ाई
3. वोकेशनल में बीएलआईएस (**BLIS**) एवं बीसीए (**BCA**)की की पढ़ाई
4. **NCC** एवं **NSS** की इकाई
5. सुसज्जित लाइब्रेरी एवं अध्ययन कक्ष
6. सुसज्जित प्रयोगशाला
7. जीम की व्यवस्था
8. बाइक एवं साइकिल स्टैंड
9. खेल का मैदान
10. सीसीटीवी कैमरा (सुरक्षित वातावरण)
11. प्रत्येक कक्ष एवं पूरे कैम्पस में स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल लरनिंग

डॉ. महेश प्रसाद सिंह

प्राचार्य

MAHANTH MADHUSUDAN COLLEGE, BIKRAM

(A Constituent Unit of Patliputra University)

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मिशन

- छात्रों के मन एवं मस्तिष्क को परिष्कृत करना।
- अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित करना।
- सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए तैयार करना।
- सभी के लिए शांति, सद्भाव एवं समृद्धि सुनिश्चित करना।
- निरंतर नवाचार, गुणवत्ता के प्रति समर्पण और किफायती शिक्षा सेवाओं के माध्यम से शिक्षित समाज के सपने को पूर्ण करना।
- समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को बढ़ावा देना।
- छात्रों के बीच स्वतंत्र सोच की क्षमता को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की प्राप्ति में योगदान देना।
- शिक्षण में उच्चतम मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देना।
- प्रतिभाशाली, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सहायक स्टाफ तैयार करना।
- उच्च शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए छात्राओं को बाज़ार उन्मुख व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।
- स्टूडेंट्स की सोच को व्यापक बनाना।
- मूल्यों और 'संस्कारों' वाला बेहतर इंसान बनाना।

ऑब्जेक्टिव

कॉलेज के लक्ष्य:-

- लड़कियों को पूरी तरह से सशक्त बनाना।
- छात्रों को आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ स्व-रोज़गार का ज्ञान और गुण विकसित करना।
- लड़कियों को शिक्षा के साथ ईमानदार और प्रतिबद्ध एवं प्रबुद्ध नागरिक बनाना।
- हर प्रकार की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना।
- छात्रों को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से तैयार करना।
- छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना।

प्राचार्य, डा. अवधेश कुमार यादव

ए आर आज़ाद

गणतंत्र को मिलकर संवारें

संविधान की मूल आत्मा को समझकर शासन करने वालों पर ही देश का गणतंत्र निर्भर करता है। देश के संविधान की समझ रखते हुए भी सत्तासीन नासमझी करता है, तो समझिए कि उस देश में गणतंत्र की स्थिति अब्राहम लिंकन के उस भय की ओर ले जाती है, जिसमें चेताया गया है कि अंदर से विभाजित एक घर ज़्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता है।

आज इस भय के बीच एक सवाल लाज़मी है कि कोई भी सरकार संविधान से चले या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत रीति, नीति और सोच से? यह यक्ष प्रश्न है। और इसका उत्तर इस देश के नागरिक को मिलना ही चाहिए। लेकिन इसका उत्तर देश का नागरिक किससे लेगा? क्या न्यायपालिका से? क्या चौथे स्तंभ से? दोनों के अधिकतर कारनामे यही बता रहे हैं कि दोनों के दोनों जनता के प्रति उदासीन होते हुए कार्यपालिका के प्रति उदारता से और भयमुक्त होकर संवेदनशील हैं। न्यायपालिका कभी-कभी अपने करतूतों से शर्मसार तो हो जाती है। लेकिन यह चौथा स्तंभ तो इतना बेशर्म हो गया है कि उसे किसी बात पर अब हया ही नहीं आती। उसका ईमान सत्तासीन का गुणगान करना रह गया है। वह अपनी मौलिक विपक्ष की भूमिका से मौन और गौण हो गया है। अब ऐसे में सत्ता के दूसरे पक्ष यानी विपक्ष की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे मीडिया को भी दिशा देना होगा। और न्यायपालिका को भी न्याय के दर से भटकने नहीं देना होगा। काम ज़रा दुरूह है। लेकिन असंभव नहीं है। अगर विपक्ष सत्ता के कारनामों से नफ़रत करने लगे, तो समझना चाहिए कि अब देश की सियासत ने परिपक्वता की ओर अपना एक क़दम बढ़ा दिया है। विपक्ष को संविधान की आत्मा को अपने अंदर समेटना होगा। उसके प्रस्तावना की बातों को आगे बढ़ाना होगा।

देश के महापुरुषों ने जनता को संविधान की प्रस्तावना का एक ऐसा औज़ार दे दिया है, जिससे वे किसी भी सरकार की नकेल कर सकता है। सरकार को यह बता सकता है कि कार्यपालिका का काम मनमानी शासन करना नहीं है। तुग़लकी शासन करना नहीं है। सत्तासीन का काम संविधान के अनुरूप चलना और उसी पद्दति से शासन करना है। और अपने मन-मस्तिष्क को न्याय के विचार से संपोषित करना है। अगर सत्ता पर क़ाबिज लोग, न्याय के विचार को त्याग देंगे, तो फिर जैसी स्थिति कुछ दशक से आज बनी हुई है, वह ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। इसलिए अच्छी सरकार और बेहतर विपक्ष का दायित्व बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित तीन बातों का महत्वपूर्ण ढंग से निर्वाह करे। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करे। इसके बाद अवसर की समता पर ध्यान दे। यानी सबों के लिए समान रूप से अवसर मुहैया कराना किसी भी अच्छी सरकार की दूसरी शर्त है। और अच्छी सरकार होने की तीसरी शर्त विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता समान रूप से बिना किसी भेदभाव के अंजाम दे। यही नियम सरकार के साथ-साथ विपक्ष पर भी लागू होता है। विपक्ष का एक काम और ये भी है कि वे देखे कि सरकार इन तीनों मामलों में कितनी कारगर और कितनी फिसड्डी है। अगर फिसड्डी है, तो उसे ऐसा करने के लिए पहले प्रेरित करे। और वह हठी हो, तो उसकी ज़िद को तोड़ने के लिए जनता के बीच कमर कसकर जाए।

न्यायपालिका का काम है- इन तीनों पहलू को कार्यपालिका से क्रियान्वयन कराने का। सरकार की नाकामी का कोई भी सुराग़ मिलता हो, तो निर्भय होकर सरकार को रास्ते पर लाने की ज़िम्मेदारी भी न्यायपालिका की ही है। और गणतंत्र राज स्थापित करने के लिए न्यायपालिका को अपने अंदर इतना दमखम रखना ही होगा। विपक्ष अपनी भूमिका में लगातार फेल है, तो उसकी भूमिका में मीडिया को आकर गणतंत्र की रक्षा करना है। मीडिया का काम सरकार का भोंपू बनना नहीं है। सरकार को जगाना और सही रास्ते पर चलाना भी मीडिया का ही काम है। मीडिया को यह बात अपने दिल ओ दिमाग़ में बैठाना ही होगा। और किसी भी सरकार में अगर मीडिया को पंगू बनाने और भोंपू बनाने का दुर्गुण मौजूद है, तो उस सरकार को शीघ्रता से अपनी इस कमी को दूर करनी होगी। वरना लोकतंत्र और जनतंत्र संविधान के पन्नों में क़ैद होकर ही रह जाएगा। और फिर देश के महापुरुषों ने देश के लोगों के लिए जो न्याय के साथ शासन का सपना देखा था, वह दूर-दूर तक पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए सत्ता को न्याय के साथ शासन का अहद लेना ही होगा। और इस रास्ते पर पूरे भरोसे के साथ चलना भी होगा। अपने देश की सरकार को तो लोक कल्याणकारी होना ही होगा। जय हिन्द! जय भारत!! ●

दूसरा मत
जहां सच बोलते हैं शब्द

RNI No. DELHIN/2002/08663

वर्षः 24, अंकः 03

01-15 फ़रवरी, 2025

संपादक
ए आर आज़ाद

संपादकीय सलाहकार
मन्नेश्वर झा (IAS R.)
(पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार)

प्रमुख परामर्शी एवं प्रमुख क़ानूनी सलाहकार
न्यायमूर्ति राजेन्द्र प्रसाद
(अवकाश प्राप्त न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय)

प्रमुख सलाहकार
जियालाल आर्य (IAS R.)
(पूर्व गृह सचिव एवं पूर्व चुनाव आयुक्त बिहार)

ब्यूरो प्रमुख
रुफ़ी शमा

राजनीतिक संपादक
देवेंद्र कुमार प्रभात

बेगूसराय ब्यूरोचीफ सह ब्यूरो बिहार
एस आर आज़मी

ब्यूरो ऑफिस बिहार
बजरंगबली कॉलोनी, नहर रोड,
जज साहब के मकान के सामने, फुलवारी शरीफ,
पटना, बिहार-801505

संपादकीय एवं पंजीकृत कार्यालय
81-बी, सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
Email: doosramat@gmail.com
MOBILE. 9810757843
Whatsapp. 9643709089

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
ए आर आज़ाद द्वारा 81-बी, सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं शालीमार ऑफसेट प्रेस, 2622, कूचा चेलान, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित।
संपादक-ए आर आज़ाद

पत्रिका में छपे सभी लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, इनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। पत्रिका में छपे लेखों के प्रति संपादक की जवाबदेही नहीं होगी।
सभी विवादों का समाधान दिल्ली की हद में आने वाली सक्षम अदालतों में ही होगा।
**उपरोक्त कुछ पद अवैतनिक हैं।*

राष्ट्र गौरव 03
देश की पहली गणतंत्र परेड

आवरण 24
अम्बेडकर का भाषण

यक्ष प्रश्न 10
गांधी मरे कहां हैं?

गौरतलब 20
गणतंत्र दिवस: इतिहास

जायज़ा 12
भारतीय गणतंत्र

सह आवरण 42
देश बचाना है तो संविधान बचाइए

दृष्टि 14
मौत के बाद गांधी का विचित्र जीवन

बेबाक: कितना सफल देश का गणतंत्र 50
विमर्श: वास्तव में वेतन-पेंशन के ... 52
विचार: नए संकल्पों से गणतंत्र.... 54
दृष्टिकोण: गणतंत्र होने के गहरे अर्थ 56
वेलेंटाइन डे: ...जो डूबा सो पार 60
कविता: तब तक मत कहना बापू 62
कहानी: कितने पाकिस्तान 64

दूसरा मत

गणतंत्र
दिवस की
हार्दिक
शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं
दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

देश की पहली गणतंत्र दिवस परेड

देश की पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी, 1950 को राजपथ के बजाय तत्कालीन इर्विन स्टेडियम जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। उस वक्त इर्विन स्टेडियम के चारों तरफ चारदीवारी नहीं थी और उसके पीछे लाल-किला साफ नजर आता था। उसके बाद से 1954 तक दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड इर्विन स्टेडियम के अलावा, किंग्सवे कैंप, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। उसके बाद 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ। उसके बाद से यहीं पर परेड होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।

अब यह परेड आठ किमी की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। उसके बाद राजपथ, इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किला पर समाप्त होती है।

आजादी के दौर से ही 26 जनवरी का खासा महत्व रहा है। इसी दिन 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ था कि अगर एक साल के भीतर यानी 26 जनवरी, 1930 को भारत को डोमिनियिन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा।

कांग्रेस ने 31 दिसंबर, 1929 की रात को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा करते हुए सक्रिय आंदोलन शुरू किया। इसके तहत 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद कांग्रेस लगातार आजादी मिलने से पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती रही।

खास बातें

* पहली परेड राजपथ पर आयोजित नहीं हुई थी
* सबसे पहले इर्विन स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ
* राजपथ पर सबसे पहले 1955 में परेड का आयोजन हुआ ●

26 जनवरी, 1950 को देश गणतंत्र बना

15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश के रूप के बदला और देश में संविधान लागू हुआ। देश में सभी कार्य संविधान के हिसाब से लागू हुए। यह देश के हर नागरिक को पता होता है, लेकिन यह कितने को पता है कि देश में गणतंत्र कितने बजे लागू हुआ। देश में पहले राष्ट्रपति बने या इस देश में पहले गणतंत्र लागू हुआ। हो सकता है कुछ ज्ञानी लोगों को इसकी जानकारी हो, लेकिन आम नागरिक इसके बारे में जवाब नहीं दे पाता।

पीआईबीके अनुसार देश में 26 जनवरी, 1950 को सुबह 10:18 बजे भारत एक गणतंत्र बना। इसके छह मिनट बाद 10:24 बजे राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलामी ली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था।

गौरतलब है कि 26 जनवरी के ही दिन सन् 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था।

26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानि आईएनसी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था।

26 जनवरी 1950 को 34वें और आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजागोपालाचरी ने एक घोषणा के जरिए भारत को गणतंत्र देश घोषित किया। तभी से भारत में संविधान लागू हुआ और भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। इससे पहले भारत ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा था। यानि भारत ब्रितानी राजा जॉर्ज 2 को बादशाह स्वीकार करता रहा और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहा। इसलिए डॉ राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई।

दरअसल गणतंत्र घोषित होने के बाद भी भारत ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ संगठन का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने कहा था कि कॉमेनवेल्थ प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर भारत दुनिया में शांति और आर्थिक प्रगति का रास्ता तय करेगा।●

शशि शेखर
वरिष्ठ पत्रकार

गांधी मरे कहां हैं?

कोई अनछुआ और अनलिखा सत्य अचानक किसी अनजाने लम्हे में एक अति साधारण घटना के जरिए सामने आ खड़ा हो, तो हम चमत्कृत रह जाते हैं। अरे, यह तो हमारे भीतर सोया पड़ा था! इसे हमने अब तक देखा और जाना क्यों नहीं?

बरसों पहले युगांडा की 'लेक विक्टोरिया' पर यही एहसास हुआ था। हम कंपाला से वहां पहुंचे थे। रास्ते में किसी ने बताया कि यहां गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। रोमांच हो आया था। उन दिनों विक्टोरिया झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनी थी। वह अपने आदिम स्वरूप में उपस्थित होती और लोग उसकी प्राकृतिक महिमा से अभिभूत हो उठते। वहां, जहां झील के गर्भ से नील निकलती है, निःशब्द और मंथर, एक नन्हा भंवर बन रहा था। मन में कल्पना उभरी कि गांधी की देहभस्म भी कभी इसके घुमावदार जल में ऐसे ही घुली होगी। उस क्षण कुछ वैसा ही आभास हुआ था, जैसा बरसों से बंद पड़ी किसी बुजुर्ग की आलमारी खोलने पर होता है। वह लम्हा हमेशा के लिए जता गया था कि हमारी पीढ़ी के लोग, जो गांधी के पक्ष अथवा विपक्ष में लुभावने तर्क सुनकर पले-बढ़े हैं, वे खुद उनसे कितना गहरे तक जुड़े हैं।

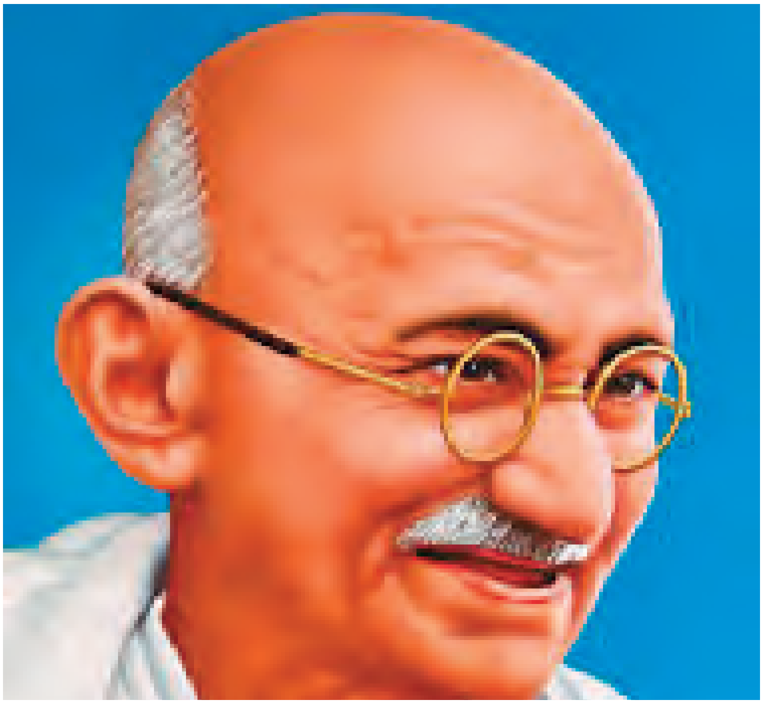

गोपाल गोडसे के कुतर्क भी यही एहसास दिलाते थे। नाथूराम गोडसे के अनुज गोपाल, गांधी हत्याकांड में अभियुक्त थे। सजा काटने के बाद वह देश भर में घूम-घूमकर लोगों को समझाने की कोशिश करते कि उन लोगों ने गांधी का 'वध' क्यों किया था? तर्क देते समय वह कुछ हास्यास्पद उदाहरण देते। एक बार उन्होंने कहा था कि हमने गांधी का वध उसी तरह किया, जैसे कृष्ण ने जरासंध का किया था। गुस्से में मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप लोग खुद को कृष्ण की श्रेणी में रखते हैं? उनका उत्तर था, क्या फर्क पड़ता है, हमारी भावना तो वही थी। गोपाल काफी ठहरे हुए शख्स थे। महात्मा गांधी और उनमें अजीब समानता थी। बापू की तरह छोटे गोडसे भी बेहद दुबले-पतले, मगर अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले थे। आवाज में बिना उतार.चढ़ाव गोपाल अपनी बात कहते रहते, बस कहते रहते। उनका यह ठंडापन मेरे आवेश में बढ़ोतरी कर देता, पर वह कभी आंखें नीची नहीं करते। गांधी जैसी शख्सियत की हत्या की साजिश में शामिल व्यक्ति भला और कैसा हो सकता था? मुझे समझने में कुछ देर लगी थी।

विक्टोरिया झील पर उदासी के साथ मैंने गांधी से जुड़ाव महसूस किया था। गोपाल गोडसे से बातचीत के दौरान वही भाव क्रोध के विकराल वेग में महसूस होता था, पर उसी शहर आगरा में कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने इज्जत से उनके रहने-खाने की व्यवस्था कर रखी थी। ऐसे लोग उनकी बात सुनते और समर्थन करते। उन्हीं दिनों समझ पाया था कि गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनके विरोधी हैं। जैसे-जैसे उनका प्रतिरोध होगा, वैसे-वैसे उनके विचार लोगों को स्पंदित करते जाएंगे।

सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दुनिया भर के गांधी स्मारकों को अनेक बार देखने-समझने का मौका मिला। हर बार आश्चर्य होता कि अनजानी भूमि पर बरसों-बरस बीत जाने के बावजूद इस शख्स के प्रति कृतज्ञतापूर्ण कौतूहल क्यों कायम है? इंद्रकुमार गुजराल के साथ अक्तूबर 1997 में जब महालांबा नलोप्फू (दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का आवास) में नेल्सन मंडेला से रूबरू होने का अवसर मिला था, तब उनसे यही सवाल पूछना चाह रहा था, पर सुयोग नहीं बना। बाद में, उनके साथ जेल में रहे अहमद कथराडा के साथ बातचीत में यह रहस्य खुला। कथराडा ने बताया था कि मंडेला को जब रोबेन आईलैंड में कैद किया गया था, तब उन पर हिंसक अपराधों के मुकदमे थे। वह जेल भारत के काले.पानी की तरह थी। गोरे शासकों का यह आजमाया हुआ नुस्खा था।वे निर्जन द्वीपों पर लोगों को जीते-जी गुमनाम हो जाने के लिए छोड़ देते थे। मंडेला इस चाल को समझते थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम रंगभेदी शासन के शिष्टाचार और जेल नियमावली का पालन करते हुए प्रतिरोध करेंगे। वहां नेल्सन मंडेला लगभग 28 साल कैद में रहेए पर इस अनूठी नीति के चलते वह व्यक्ति से विचार में तब्दील हो गए। इंसानियत के इतिहास में यह अनोखा उदाहरण है कि एक व्यक्ति जेल में रहते हुए इतने लंबे समय तक आजादी के आंदोलन को चला सका और जब बाहर निकलाए तो 'भूलो और माफकरो' की नीति अपनाकर अपने देश को विघटन से बचा लिया।

बकौल कथराडा, मंडेला ने यह तरीका गांधी से सीखा था।

हो सकता है, उन्होंने हमारा मान रखने को ऐसा कहा हो, पर सिर्फ मंडेला ही नहीं, बीसवीं शताब्दी के चार अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं-मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामाए आंग सान सू की और अदोल्फो पेरेज एस्क्विवेल ने माना कि वे गांधी दर्शन से प्रभावित रहे हैं। पिछली सदी से आप इन महान विभूतियों को हटा या घटाकर देखें, तो लगेगा कि हमारे हिस्से में दो विश्व युद्ध और अनगिनत लड़ाइयों के घावों के अलावा कुछ भी नहीं है। गांधी और उनके इन मानस शिष्यों का धरती को मानव ग्रह बनाए रखने में बड़ा योगदान है। सत्य और अहिंसा के अभाव में आप मानवता की कल्पना भला कैसे कर सकते हैं?

यहां यह जान लेना जरूरी है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने एक अति जिज्ञासु इंसान की भांति खुद को कदम-दर-कदम गढ़ा था। बालपन में वह इतने शर्मीले थे कि घर से स्कूल की दूरी दौड़ते हुए तय करते। उन्हें भय रहता कि कोई उनसे बातचीत न शुरू कर दे। उसी मोहनदास ने जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज हुक्मरानों के अत्याचार देखे, तो चुप न बैठ सके। औपनिवेशिक माहौल में पनपे उस शख्स ने अपनी आधी जिंदगी समाज से सीखने और बदले में उसे जेहनी तौर पर आजाद बनाने में लगा दी।

30 जनवरी। क्या आपको याद है कि इसी दिन नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी देह को गोलियों से वेध दिया था, पर क्या वह गांधी को मार सका?

यकीनन नहीं। वह आज भी धरती के अनगिनत लोगों के विचारों में जिंदा हैं। ●

भारतीय गणतंत्र

▸▸डॉ. भगवतीशरण मिश्र

नामवर उपन्यासकार

भारतीय गणतंत्र को हम प्राचीन काल के इसके स्वरूप से आरंभ करेंगे। यह काल पौराणिक काल से पूर्व का भी हो सकता है। भारतीय चिंतन में अलौकिक शक्तियों को भी स्थान मिला है। इन्हीं शक्तियों में शिव-पुत्र गणेश का स्थान आता है। गणेश का अर्थ हुआ गण+ईश अर्थात् गणों का स्वामी। सर्व ज्ञात है कि कैलाश पर विराजमान भगवान शिव के परिवार में केवल उनकी पत्नी माता पार्वती और दो पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय ही नहीं सम्मिलित थे बल्कि उनके असंख्य गण भी उनके पारिवारिक सदस्य ही थे।

गणेश गणपति के नाम से भी विख्यात हैं। वे इन शिवगणों के स्वामी थे। गणों के पति होने के कारण वे गणपति कहलाए। गणेश के संबंध में एक श्लोक आता है-

ॐ गणानां त्वां गणपति/ ग्वं हवामहे।
प्रियाणां त्वां प्रियपति/ ग्वं हवामहे।

- गणों के स्वामी गणपति की वंदना करता हूं। सभी प्रिय वस्तुओं के स्वामी प्रियपति को प्रणाम करता हूं।

यह गणेश का अथवा सदाशिव का गणतंत्र था। यद्यपि गणेश इस विशाल फौज के अधिपति थे किंतु वे इनकी स्वतंत्रता में कहीं बाधक नहीं थे। यह तानाशाह नहीं थे। यह एक वास्तविक गणतंत्र था। और प्रतीत होता है कि यही गणतंत्र आगे चलकर पृथ्वी पर यत्र-तत्र स्थापित हुआ।

एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ ने गणतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा,'डेमोक्रेसी इज फॉर दि पिपुल, बाई दि पिपुल एंड ऑफ दि पिपुल'

- प्रजातंत्र व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों द्वारा और व्यक्तियों का है। अर्थात ऐसा शासन जो आमजनों के लिए है। आमजनों के द्वारा है और आमजनों का है। यह एक सारगर्भित उद्धरण है। इसमें किसी भी राज्य में जन ही सबकुछ है। अगर कोई राज्य है तो वह मात्र आम आदमी के हित के लिए है, उसके शोषण के लिए नहीं।

आज अमेरिका विश्व का सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि गणतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम वहीं पर हुई। इसका कारण यह है कि कोलंबस द्वारा अन्वेषित होने के पूर्व यह एक बड़ा सा बंजर भू-भाग था। उत्तरी अमेरिका, विशेष कर दक्षिणी अमेरिका आदिवासियों द्वारा यत्र-तत्र वासित थे। किंतु दोनों में सभ्य जातियों का अभाव था एवं इनका विशाल भू-भाग लोगों को आमंत्रित कर रहा था। फलतः यहां पर सभी राज्यों विशेषकर समीपवर्ती से लोग आकर बसने लगे।

कुछ ही समय बाद भिन्न-भिन्न देशों से आये लोगों में पारस्परिक युद्ध आरंभ हुआ। अंततः अमेरिका पर ब्रिटिश शासकों का अधिकार हुआ। लेकिन अमेरिकन अब तक पूरी तरह शसक्त एवं जाग्रत हो चुके थे। इनलोगों ने युद्ध में पराजित कर अंग्रेज़ों को मार भगाया। और अपना स्वयं का गणराज्य स्थापित किया। इसी लिए यह माना जाता है कि अमेरिका प्रथम गणतंत्र है।

बात ठीक इसके विपरीत है। भारत जैसे विश्वगुरु माना जाता है और ज्ञान की बहुत सारी शाखाओं का निर्यात अन्य देशों से यहीं पर हुआ, बौद्ध और जैन विशेषकर बौद्ध धर्म यहीं से आयातित होकर विश्व के अनेक देशों में फैला उसी तरह गणतंत्र का प्रथम स्वरूप इसी धरती पर गढ़ा गया। वैशाली का विश्व प्रसिद्ध गणतंत्र यहीं स्थापित हुआ और इस दृष्टि से भी भारत विश्व का अग्रणी देश बना।

ईसा पूर्व 563 में बिहार के वैशाली में प्रथम विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लिच्छवियों का यह गणतंत्र पूर्णतया आम लोगों द्वारा, आम लोगों के हित के लिए संचालित था। इस तरह अमेरिकन

भारत का संविधान

उद्देशिका

परिभाषा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। लिच्छवी लोग समय-समय से एकत्रित हुआ करते थे और सर्वसम्मति से लोगों की हित की बात तय करते थे अथवा उन्हें संस्कारित करते थे और जीने के तरीक़े पर प्रकाश डालते थे। यह सब कुछ समन्वित रूप में होता था और किसी पर किसी का कोई दबाव अथवा प्रभाव का प्रश्न ही नहीं था। लिच्छवियों के गणराज्य की प्रशंसा पूरे भारत में थी। यही कारण है कि महावीर, जैन ने वैशाली का अपनी कर्मभूमि के रूप में चयन किया और कई वर्षों तक वहीं रहकर धर्मोपदेश में रत रहे। इनके पश्चात् भगवान बुद्ध ने भी इसे अपनी क्रीड़ा-भूमि बनाई। यहां बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। यह यूं ही नहीं है। बुद्ध का आरंभ में लाख विरोध करने के पश्चात् भी पुनः ईश्वरातार के रूप में ग्रहण कर लिया गया। श्रीमदभागवत् में इन्हें ईश्वर के दश अवतारों में एक मान लिया गया।

स्वयं बुद्ध से जब पूछा जाता कि ईश्वर होता है या नहीं तो वे मौन लगा जाते। इससे भी प्रमाणित होता है कि वे स्वयं को ही भगवान मानते थे।

वैशाली में आज भी प्रतिवर्ष शासन द्वारा वैशाली-उत्सव मनाया जाता है। यह है वैशाली की प्रथमता का प्रमाण।

किंतु भारतीय गणतंत्र की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विकास क्रम में वैशाली विश्व के प्रथम गणतंत्र के रूप में भारत में भले ही स्थापित हो गई किंतु इसके पूर्व भारत में प्रायः राजतंत्र की ही प्रधानता रही।

हमने आरंभ में ही नैसर्गिक स्थितियों की बात की। भारतीय संस्कृति में उनसे मुख नहीं मोड़ा जा सकता। यहां सृष्टि के प्रायः आरंभिक काल से ही देवताओं और दैत्यों की प्रधानता सृष्टि के दो अंगों के रूप में रही। इन्द्र को हमारे वैदिक साहित्य में विशेषकर सामवेद में देवताओं के राजा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इस वेद में अनेक ऐसी ऋचाएं हैं जिनमें इन्द्र से अनुरोध किया गया है कि उनके लिए श्रेष्ठ सोमरस प्रस्तुत है। वह शीघ्र आकर इसे ग्रहण करें। इन्द्र को देवताओं का राजा माना जाता था। इसीलिए यह आमंत्रण अधिक उन्हीं को मिला। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ तो दैत्यों का राजा महिषासुर था। आगे चलकर शुम्भ-निशुम्भ दैत्याधिपतियों के रूप में आते हैं। अर्थात् दैत्यों के राज्य में भी राजतंत्र की ही प्रधानता थी।

पौराणिक युग में आयें तो अनेक राज्यों से हमारा साक्षात्कार होता है। त्रेता युग में श्रीराम राजा अवश्य हुए किंतु वे राजतंत्र से ही जुड़े रहे। उन्हीं की कथा बाल्मिकी द्वारा रामायण में गायी गई जिसमें उन्हें एक श्रेष्ठ राजा के रूप में ही देखा गया, एक गणतंत्र के स्वामी के रूप में नहीं। रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने भी नृप अथवा राजा का ही उल्लेख किया-

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी
से नृप अवस नरक अधिकारी।

- जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा अवश्य ही नरकगामी बनता है। अर्थात राजतंत्र की प्रधानता यहां बनी रही।

श्रीराम तो त्रेता युग में अवतरित हुए थे। द्वापर में श्रीकृष्णावतार हुआ था। उन्हीं के समय महाभारत युद्ध हुआ। उसमें अनेक राजा दोनों पक्षों की ओर से युद्ध हेतु उपस्थित हुए।

गीता के एक श्लोक के अनुसार कुछ राजाओं का वर्णन इस रूप में हुआ है-

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।।
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराश्च वीर्यवान्।...

- गीता में ही स्वयं श्रीकृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों में वे राजा हैं-

उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोभ्दवम्।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्।। (10/26)

- श्रीकृष्ण की इस उद्घोषणा के पश्चात् पूर्व में राजतंत्र की प्रधानता सुनिश्चित हो जाती है।

आज की स्थिति में गणतंत्र सर्वोपरि शासन प्रणाली है। हम अभी गणराज्य कहलाते हैं। हमें यह 26 जनवरी, 1950 को प्राप्त हुआ। इसके पूर्व हम भिन्न-भिन्न जातियों के विदेशियों के शासन में रहे। गणतंत्र-प्राप्ति के कई वर्षों बाद भी प्रतीत नहीं होता है कि हम राजतंत्र में हैं कि गणतंत्र में। अभी-अभी 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया। इसी के साथ-साथ एक पार्टी विशेष का चिंतन-शिविर भी समाप्त हुआ। उसमें जो गर्जनाएं-तर्जनाएं प्रस्तुत हुईं उससे स्पष्ट लगा कि यह गणतंत्र अभी वंशवाद के चंगुल से नहीं छूटने जा रहा है अर्थात भारत कहने को गणतंत्र है। यह पता नहीं अभी कब तक एक पार्टी अथवा पार्टी विशेष के भाग्य-निर्माताओं के हाथों का खिलौना बना रहने को अभिशप्त है।

मौत के बाद गांधी का विचित्र जीवन

▸▸ सलमान रूश्दी
नामवर एवं विवादास्पद लेखक

एक दुबला-पतला भारतीय पुरुष, जिसके सिर पर बाल इक्का-दुक्का ही हैं, और जो एक धोती और सस्ते चश्मे के सिवा कुछ भी नहीं पहने है, नंगे फर्श पर बैठा हाथ की लिखावट वाले पन्ने बांच रहा है। यह ब्लैक-ऐंड-वाइट फोटो अख़बार के पूरे पृष्ठ पर छपा है। ऊपर बाएं कोने में इंद्रनुषी पट्टियों वाला एक छोटा रंगीन सेब बना है, जिसके नीचे ठेठ अमेरिकी लहज़े में एक आदेश दर्ज है- 'थिंक डिफरेंट'। इंटरनैशनल 'बिग बिजनस' की इससे बड़ी दिलेरी और क्या हो सकती है!

मृतकों में महानतम को भी अपने ऐड कैंपेन में जोत देने में उसे कोई हिचक नहीं होती। अपनी जवानी में गांधी पश्चिमी ढर्रे के एक वकील थे। उनके समर्थक रहे मर्चेंट प्रिंस घनश्याम दास बिड़ला एक जगह कहते हैं, 'वे मुझसे ज़्यादा आधुनिक थे। लेकिन उन्होंने सोच-समझ कर मध्य युग की ओर लौटने का फैसला किया था।' सोच की यह कोई ऐसी क्रांतिकारी नई दिशा नहीं है, जिसे ऐपल कंपनी में बैठे लोग आगे बढ़ा रहे हैं।

पूर्वी दृष्टि का सेल्समैन

ढेरों अस्कर बटोरने वाली रिचर्ड अटेनबरो की फिल्म 'गांधी' जब रिलीज हुई थी तो यह मुझे पश्चिम में संत बनाने की अनैतिहासिक प्रक्रिया का ही एक उदाहरण लगी थी। यहां गांधी की उपस्थिति किसी गुरू जैसी थी, जो 'पूर्वी दृष्टि' नाम का फैशनेबल प्रडक्ट बेच रहा था। यहां गांधी का काम था ईसा की तर्ज पर मरना (और उससे पहले बार-बार भूख हड़तालें करना), ताकि बाक़ी लोग जी सकें। उनका अहिंसा का दर्शन इस फ़िल्म में कुछ यूं सामने आता है कि इसके ज़रिए वे अंग्रेज़ों में शर्मिन्दगी पैदा करके उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहते थे। आप अपने उत्पीड़क से ज़्यादा नैतिक होकर आज़ादी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तब उसकी नैतिक संहिता उसे पीछे हटने को मजबूर कर देगी, फ़िल्म का संदेश कुछ ऐसा ही है।

राज का नहीं, अंधेरे का डर

इस आदर्शीत गांधी के साथ मुश्किल यह है कि यह बड़ा बोरिंग है। कुछ जाने-पहचाने सूत्र वाक्य देंखे (आंख के बदले आंख वाली सोच पूरी दुनिया को अंधा बना देगी) या जब-तब कुछ तुर्शी भरी टिप्पणियां करने (यह पूछने पर, कि पश्चिमी सभ्यता के बारे में वे क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा था- 'मेरे ख़्याल से, यह एक महान विचार होता') के अलावा इसमें कुछ ख़ास नहीं है। तमाम फालतू जीवनियों और शोध-पुनर्शोध के जख़ीरे के बावजूद अगर आज भी वास्तविक गांधी के बारे में कुछ जाना जा सके तो पता चलेगा कि वे अपनी सदी के सबसे जटिल, विरोधाभासी और दिलचस्प व्यक्तित्वों में से एक थे।

ब्रिटिश राज से वे ज़रा भी नहीं डरते थे लेकिन अंधेरा उन्हें डराता था। उनके बिस्तर के पास पूरी रात बत्ती जलती रहती थी। भारत के सभी समुदायों की एकता में उनका अटूट विश्वास था लेकिन मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस के भीतर बनाए रखने में उनकी विफलता भारत विभाजन का कारण बनी। स्वाधीनता की मांग को राष्ट्रव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप देने का श्रेय उन्हें और सिर्फ उन्हें ही जाता है, लेकिन जो स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया, वह उनके सपनों का भारत नहीं था।

इसकी प्रतिबद्धता गांधी के विचारों के विपरीत आधुनिकीकरण और उद्योगीकरण के साथ थी। गांधी के शिष्य नेहरू आधुनिकीकरण के प्रवर्तक थे और आज़ाद भारत का ख़ाका उन्हीं के नज़रिए से तैयार हुआ। अपने संघर्ष की शुरुआत गांधी ने इस भरोसे के साथ की थी कि सत्याग्रह और अहिंसा की राजनीति हर स्थिति और हर समय में कारगर रहेगी। यहां तक कि नाजी जर्मनी जैसी बुरी ताक़त के ख़िलाफ़ भी। बाद में वे अपनी यह राय बदलने को मजबूर हुए।

आम मान्यता है कि भारत को आज़ादी गांधीवादी अहिंसा से ही हासिल हुई। (इस विचार को भारत में और इसके बाहर भी जोर-शोर से प्रचारित किया जाता है।) लेकिन हक़ीक़त यह है कि भारतीय क्रांति हिंसक हो उठी थी और इस हिंसा ने गांधी को इतना निराश किया था कि इसके विरोध में वे स्वाधीनता के उत्सवों से दूर ही रहे। इन दिनों कुछ गिने-चुने लोग ही गांधी के जटिल व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धि और विरासत की अस्पष्टता, या भारतीय स्वाधीनता के वास्तविक कारणों पर विचार करने की फ़ुरसत निकाल पाते हैं। यह समय जल्दबाज़ी में नतीजे निकाल कर उन्हें नारों में बदल देने का है। बहुआयामी सत्यों के लिए हमारे पास समय नहीं है, और उससे भी बुरी बात यह कि उन्हें आत्मसात करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। सबसे कड़वा सत्य यह कि गांधी जिस देश के बापू हुआ करते थे, वहीं आज वे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।

धंधे-पानी का साम्राज्य

फिर महानता क्या है? कहां इसका वास है? किसी व्यक्ति की परियोजना यदि परास्त होती है, या बिल्कुल वित रूप में जैसे-तैसे चलती रहती है, तब भी क्या उसकी मिसाल देकर उसकी जय-जयकार करना उचित है? जवाहरलाल नेहरू के मन में गांधी की यह छवि बसी थी- '1930 में मैंने उन्हें हाथ में लाठी लिए दांडी की ओर कूच करते देखा था। सत्य की खोज में निकला वह तीर्थयात्री तब भीतर और बाहर से शांत, दृढ़ निश्चयी और निर्भय था। उसकी खोज और यात्रा जारी रहेगी, भले ही इसका नतीजा कुछ भी हो।' नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने बाद में कहा, 'उनके शब्दों से ज़्यादा उनका जीवन उनका संदेश था।'

यह संदेश इन दिनों भारत से बाहर ज़्यादा बेहतर सुना जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के प्रशंसकों में एक थे। मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा और दुनिया भर के शांति आंदोलन उन्हीं के नक़्शेक़दम पर आगे बढ़े हैं। महानगरीय जीवन छोड़कर एक देश पा लेने वाले गांधी, मौत के बाद मिली अपनी विचित्र ज़िंदगी में विश्व नागरिक बन गए हैं। धंधे-पानी वाले नए साम्राज्य में उनकी मेधा हमारे लिए उनकी श्रद्धा से कहीं बेहतर हथियार साबित हो सकती है। ●

प्रथम राष्ट्रपति के प्रथम भाषण

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उस अवसर पर उन्होंने कहा- 'हमारे गणराज्य का उद्देश्य है इस-के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त करना तथा इस विशाल देश की सीमाओं में निवास करने वाले लोगों में भ्रातृ-भाव बघना, जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं और अपने विभिन्न रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। हम सभी देशों के साथ मित्रता करके रहना चाहते हैं। हमारे भावी कार्यक्रमों में रोग, गरीबी और अज्ञान का उन्मूलन शामिल है।

हम उन सभी विस्थापित लोगों को फिर से बसाने तथा उन्हें फिर से स्थिरता देने के लिए चिंतित हैं, जिन्होंने बड़ी मुसीबतें सही हैं और हानियाँ उठाई हैं और जो अभी भी मुसीबत में हैं। जो लोग किसी प्रकार के अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें विशेष सहायता मिलनी चाहिए।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें, जो आज हमें प्राप्त है लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के समान ही आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी समय की माँग है। वर्तमान हमसे अतीत की अपेक्षा भी अधिक निष्ठा और बलिदान माँग रहा है।

मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि हमें जो अवसर मिला है, हम उसका उपयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। हमें अपनी सारी भौतिक और शारीरिक शक्तियाँ अपनी जनता की सेवा में लगा देनी चाहिए।

मैं यह भी आशा करता हूं कि इस शुभ और आनंदमय दिवस के आगमन पर खुशियां मनाती हुई जनता अपनी ज़िम्मेदारी का अनुभव करेगी और अपने आपको फिर उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समर्पित कर देगी, जिसके लिए राष्ट्रपिता जिए, काम करते रहे और मर गए।'

राष्ट्रध्वज का अपना संदेश

प्यारे भारतवासियों,

मैं आपका अपना राष्ट्रध्वज बोल रहा हूं। गुलामी की काली स्याह रात के अंतिम प्रहर जब स्वतंत्रता का सूर्य निकलने का संकेत प्रभात बेला ने दिया, तब 22 जुलाई, 1947 को भारत की संविधान सभा के कक्ष में पं. जवाहरलाल नेहरू ने मुझे विश्व एवं भारत के नागरिकों के सामने प्रस्तुत किया, यह मेरा जन्म-पल था।

मुझे भारत का राष्ट्रध्वज स्वीकार कर सम्मान दिया गया। इस अवसर पर पं. नेहरू ने बड़ा मार्मिक भाषण भी दिया तथा माननीय सदस्यों के समक्ष मेरे दो स्वरूप- एक रेशमी खादी व दूसरा सूती खादी से बना- प्रस्तुत किए। सभी ने करतल ध्वनि के साथ मुझे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया।

इससे पहले 23 जून, 1947 को मुझे आकार देने के लिए एक अस्थायी समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉ.राजेन्द्र प्रसाद तथा समिति में उनके साथ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, के.एम.पणिक्कर, श्रीमती सरोजिनी नायडू, के. एम. मुंशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉ.बी. आर. आम्बेडकर। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मेरे बारे में स्पष्ट निर्णय लिया गया।

मेरे रंग-रूप, आकार, मान-सम्मान, फहराने आदि के बारे में मानक तय हुए। अंततः 18 जुलाई, 1947 को मेरे बारे में अंतिम निर्णय हो गया और संविधान सभा में स्वीकृति के लिए पं. जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया गया। उन्होंने 22 जुलाई, 1947 को सभी की स्वीकृति प्राप्त की। और इस तरह से मेरा जन्म हुआ।

21 फीट लंबाई और 14 फीट चौड़ाई। यह राष्ट्रध्वज का सबसे बड़ा आकार है, जो मानक आकारों में शामिल है। लेकिन इसे आज तक कहीं फहराया नहीं गया है। आज़ादी के समय इतने विशाल भवन नहीं थे।

आज़ादी के दीवानों के बलिदान व त्याग की लालिमा मेरी रगों में बसी है। इन्हीं दीवानों के कारण मेरा जन्म संभव हुआ। 14 अगस्त, 1947 की रात 10.45 पर काउंसिल हाउस के सेंट्रल हॉल में श्रीमती सुचेता कृपलानी के नेतृत्व में 'वंदे मातरम्' के गायन से कार्यक्रम शुरू हुआ।

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेन्द्र प्रसाद व पं. जवाहरलाल नेहरू के भाषण हुए। इसके बाद श्रीमती हंसाबेन मेहता ने अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद

को मेरा सिल्क वाला स्वरूप सौंपा। और कहा कि आज़ाद भारत में पहला राष्ट्रध्वज, जो इस सदन में फहराया जाएगा, वह भारतीय महिलाओं की ओर से इस राष्ट्र को एक उपहार है। सभी लोगों के समक्ष मेरा यह पहला प्रदर्शन था। 'सारे जहां से अच्छा' व 'जन-गण-मन' के सामूहिक गान के साथ यह समारोह सम्पन्न हुआ।

पंडित नेहरू ने मेरे मानक बताए, जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है (जिनका उल्लेख भारतीय मानक संस्थान के क्रमांक आईएसआई-1-1951, संशोधन 1968 में किया गया)। उन्होंने कहा भारत का राष्ट्रध्वज समतल तिरंगा होगा। यह आयताकार होकर इसकी लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 2ः 3 होगा। तीन रंगों की समान आधी पट्टिका होगी। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग की पट्टी होगी। सफेद रंग की पट्टी पर मध्य में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का चौबीस शलाकाओं वाला चक्र होगा। इसका व्यास सफेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा।

मेरे निर्माण में जो वस्त्र उपयोग में लाया जाएगा, वह खादी का होगा। और यह सूती, ऊनी या रेशमी भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह होगी कि सूत हाथ से काता जाएगा। और हाथ से बुना जाएगा। इसमें हथकरघा सम्मिलित है। सिलाई के लिए केवल खादी के धागों का ही प्रयोग होगा। नियमानुसार मेरे लिए खादी के एक वर्ग फीट कपड़े का वज़न 205 ग्राम होना चाहिए।

मेरे निर्माण के लिए हाथ से बनी खादी का उत्पादन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के एक समूह के जरिए पूरे देश में मात्र 'गरग' गांव में किया जाता है। यह उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में बेंगलूर-पूना रोड पर स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। लेकिन अब मेरा निर्माण क्रमशः ऑर्डिनेंस क्योरिंग फैक्टरी शाहजहांपुर, खादी ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग दिल्ली में होने लगा है। निजी निर्माताओं के भी राष्ट्रध्वज का निर्माण किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मेरे गौरव व गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए यह ज़रूरी है कि मुझ पर आईएसआई. (भारतीय मानक संस्थान) की मुहर लगी हो।

मेरे रंगों का अर्थ भी स्पष्ट है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग सत्य और शांति का तथा हरा रंग श्रद्धा व शौर्य का प्रतीक है। चौबीस शलाकाओं वाला नीला चक्र 24 घंटे सतत् प्रगति का प्रतीक है। और प्रगति भी ऐसी जैसे कि नीला अनन्त विशाल आकाश एवं नीला अथाह गहरा सागर।

विशेष परिस्थिति

राष्ट्रीय उल्लास के पर्वों पर अर्थात् 15 अगस्त, 26 जनवरी के अवसर पर किसी राष्ट्र विभूति का निधन होता है तथा राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, तब मुझे झुका दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरे भारतवासियों इन दिनों सभी जगह कार्यक्रम एवं ध्वजारोहण सामान्य रूप से होगा। लेकिन जहां जिस भवन में उस राष्ट्र विभूति का पार्थिव शरीर रखा है, वहां उस

भवन का ध्वज झुका रहेगा तथा जैसे ही पार्थिव शरीर अंत्येष्टि के लिए बाहर निकालते हैं, वैसे ही मुझे पूरी ऊंचाई तक फहरा दिया जाएगा।

शवों पर लपेटना

राष्ट्र पर प्राण न्योछावर करने वाले फौजी रणबांकुरों के शवों पर एवं राष्ट्र की महान विभूतियों के शवों पर भी मुझे उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए लपेटा जाता है। और जब ऐसा किया जाता है, तब मेरी केसरिया पट्टी सिर की तरफ एवं हरी पट्टी जंघाओं की तरफ होना चाहिए, न कि सिर से लेकर पैर तक। सफेद पट्टी चक्र सहित आए। और केसरिया और हरी पट्टी दाएं-बाएं हों। याद रहे शहीद या विशिष्ट व्यक्ति के शव के साथ मुझे जलाया या दफनाया नहीं जाए, बल्कि मुखाग्नि क्रिया से पूर्व या क़ब्र में शरीर रखने से पूर्व मुझे हटा लिया जाए।

नष्टीकरण

अमानक, बदरंग कटी-फटी स्थिति वाला मेरा स्वरूप फहराने योग्य नहीं होता। ऐसा करना मेरा अपमान होकर अपराध है। इसलिए वक्त की मार से जब कभी मेरी ऐसी स्थिति हो जाए तो मुझे गोपनीय तरीक़े से सम्मान के साथ अग्नि प्रवेश दिला दें या वज़नरेत बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दें। इसी प्रकार पार्थिव शरीरों पर से उतारे गए ध्वजों के साथ भी करें।

मेरा अपमान

मुझे पानी की सतह से स्पर्श कराना, भूमि पर गिराना, फाड़ना, जलाना, मुझ पर लिखना तथा मेरा व्यावसायिक उद्देश्य से उपभोक्ता वस्तु पर प्रयोग अपराध होता है। मुझे झुकाना भी मेरा अपमान कहलाता है।

आप सभी का स्वाभिमान,

प्यारा तिरंगा राष्ट्रध्वज ●

गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास के झरोखे से

भारत के प्रथम राष्ट्रतपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने 26 जनवरी, 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर पहले भारतीय गणतंत्र के जन्म, की ऐतिहासिक घोषणा की थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल से 894 दिन बाद हमारा देश स्वतंत्र राज्य बना। तब से आज तक हर वर्ष समूचे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस बड़े गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

लगभग 2 दशक पुरानी इस यात्रा को सन् 1930 में एक सपने के रूप में संकल्पित किया गया। और हमारे भारत के शूरवीर क्रांतिकारियों ने सन् 1950 में इसे एक गणतंत्र के रूप में साकार किया। तभी से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ और एक ऐतिहासिक घटना साकार हुई।

31 दिसंबर, 1929 की मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्री य कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने की पहल की गई थी। इस सत्र की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बैठक में उपस्थित सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ सरकार के शासन से भारत को आज़ाद करने और पूर्णरूपेण स्वहतंत्रता को साकार करने के लिए 26 जनवरी, 1930 को 'स्वरतंत्रता दिवस' के रूप में एक ऐतिहासिक पहल बनाने की शपथ ली थी। भारत के उन शूरवीरों ने अपनी लक्ष्य पर खरे उतरने की भरस-क कोशिश की और भारतअ सचमुच स्वतंत्र देश बन गया।

उसके बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई, जिसमें भारतीय नेताओं और अंग्रेज़ कैबिनेट मिशन ने भाग लिया। भारत को एक संविधान देने के विषय में कई चर्चाएं, सिफ़ारिशें और वाद-विवाद हुआ। कई बार संशोधन करने के पश्चात भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, जो 3 वर्ष बाद यानी 26 नवंबर, 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया।

इस अवसर पर डॉ.राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि भारत 15 अगस्त, 1947 को एक स्वरतंत्र राष्ट्र बन चुका था। लेकिन इस स्वततंत्रता की सच्ची भावना को प्रकट किया 26 जनवरी, 1950 को। इर्विन स्टेडियम जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और इस तरह गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। ●

राष्ट्रगीत- जन गण मन

ज्योत्सना भोंडवे

राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रध्वज देशवासियों के आन-बान और शान के साथ प्रेरणा स्रोत होता है। यह राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का प्रतीक है। राष्ट्र के सम्मान का गीत **'जन गण मन'** तमाम हिन्दुस्तानियों की शान और जोश का संचार करने वाला ऐसा ही राष्ट्रगीत है। जो अपने शताब्दी वर्ष में पदार्पण कर चुका है।

गूगल के मुताबिक् संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक व कला से जुड़ी वैश्विक संस्था यूनेस्को ने दुनिया की अव्वल सर्च इंजन वेबसाइट गूगल के माध्यम से यूनेस्को एंड इंडिया नेशनल एंथम की साइट पर **'जन गण मन'** को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान बताया हैं। आर्थिक-सामाजिक नजरिए से परिपूर्ण इस राष्ट्रगीत में सांप्रदायिक सद्भाव झलकता है।

राष्ट्रीयता से ओतप्रोत इस राष्ट्रगीत को बंगाली साहित्यकार और नोबल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने दिसंबर 1911 में लिखा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सालाना अधिवेशन में यानी 27 दिसंबर, 1911 को गाया गया।

रवींद्रनाथ टैगोर संपादित **'तत्वबोधिनी'** पत्रिका में **'भारत विधाता'** शीर्षक से जनवरी, 1912 में पहली दफ़ा यह गीत मशहूर हुआ। खुद रवींद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेज़ी अनुवाद **'दि मॉर्निंग सांग ऑफ इंडिया'** शीर्षक से 1919 में किया था। और इसके हिन्दी अनुवाद को 24 जनवरी, 1950 में राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया।

'जन गण मन' में लबरेज़ राष्ट्रीयता की पोषक, स्फूर्तिदायक भावना को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज में **'जय हे'** नाम से इस गीत को स्वीकार किया। आज़ादी की जंग के दौरान **'वंदे मातरम्'** इस राष्ट्रीय गीत ने हिन्दुस्तानी आज़ादी की जंग में चैतन्य पैदा कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते इसे राष्ट्रगीत के बतौर भले ही स्वीकार न किया जा सका, लेकिन भारतीय जनमानस में राष्ट्रगीत जितनी ही अहमियत **'वंदे मातरम्'** को भी हासिल है।

15 अगस्त, 1947 को देश आज़ाद हुआ। उस वक्त हमारे पास अपना राष्ट्रगीत नहीं था। आज़ाद हिन्दुस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था। जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में भारतीय शिष्टमंडल को भी आमंत्रित किया गया। इस शिष्टमंडल को हिन्दुस्तान के राष्ट्रगीत को संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम में पेश करने के लिए कहा गया। लेकिन राष्ट्रगीत तो अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने रवींद्रनाथ टैगोर लिखित **'जन गण मन'** गीत को कार्यक्रम में पेश करने के लिए स्वीकार किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में यह राष्ट्रगीत बेहद कामयाब रहा। जिसे ध्यान में लेते 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान समिति में **'जन गण मन'** को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। इस पूरे राष्ट्रगीत में 5 पद हैं। प्रथम पद, जिसे सेनाओं ने स्वीकार किया। और जिन्हें साधारणतया समारोहों के मौक़ों पर गाया जाता है। ●

अयोध्या प्रसाद सिंह स्मारक महाविद्यालय, बरौनी

(ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय की अंगीभूत ईकाई)

76 वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महाविद्यालय के तमाम छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, प्रांत एवं देश के सभी नागरिकों को अशेष शुभकामनाऐ।

हमारे संस्थान की विशेषताएँः–

- कला एवं विज्ञान में प्रतिष्ठा स्तर की पढ़ाई एवं सह–शिक्षा।
- सत्र–2021–2023 से ग्यारह विषयों में पी0जी0 की पढ़ाई का शुभारंभ।
- अनुभवी एवं कुशल शिक्षक, अनुशासित छात्र–छात्राएँ तथा कर्मनिष्ठ कर्मचारी।
- चहारदीवारी युक्त मनोरम परिसर एवम् सुन्दर भवन।
- छात्र/छात्रा एवं शिक्षकों के लिए स्वतंत्र अध्ययन प्रकोष्ठ के साथ स्वतंत्र भवन में समृद्ध पुस्तकालय।
- समुन्नत अत्याधुनिक एवं पर्याप्त उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएँ।
- समाचार पत्र–पत्रिकाओं से युक्त छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग कॉमन रूम।
- अनेक अवसरों पर छात्र एवं छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत एवं टीम प्रतियोगिताओं में विजेता/उपविजेता होने का गौरव। महिला फुटबॉल में राज्य एवं देश का प्रतिनिधित्व।
- कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विषिष्ट पहचान।
- सक्रिय रा0 से0 योजना की इकाई।
- समुन्नत एन0 सी0 सी0 यूनिट।
- पूर्णतया वाई–फाई युक्त परिसर।
- सी0सी0टी0वी0 कैमरा से पूर्ण आच्छादित परिसर।
- ऑन लाईन नामांकन की सुविधा।
- महाविद्यालय की सुसज्जित वेबसाईट।

(डॉ0 मुकेश कुमार)
प्रधानाचार्य

Felix Hospitals
Your care, Our passion
76
सभी देशवासियों को
फेलिक्स हॉस्पिटल की ओर से
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनायें
26 जनवरी
2025
डॉ. डी. के. गुप्ता
चेयरमैन, फेलिक्स हॉस्पिटल
24x7 Helpline
7835 999 444 / 555
700+
Upcoming Beds
15 Lac+
Happy Patients
5 Lac+
Successful Surgeries
300+
Top-Rated Doctors
NH-01, Expressway, Sector 137, Noida-201305
www.felixhospital.com

डॉ. भीमराव अंबेडकर का भाषण

`डॉ. भीमराव अंबेडकर
अध्यक्ष, संविधान प्रारूप निर्माण समिति

यह भाषण उन्होंने नवंबर, 1949 में नई दिल्ली में दिया था। 300 से अधिक सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक नौ दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अंबेडकर ने यह भाषण औपचारिक रूप से अपना कार्य समाप्त करने से एक दिन पहले दिया था। उन्होंने जो चेतावनियां दीं- एक प्रजातंत्र में जन आंदोलनों का स्थान, करिश्माई नेताओं का अंधानुकरण और मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र की सीमाएं- वे आज भी प्रासंगिक हैं। पेश है भीमराव अंबेडकर का भाषण-

महोदय,

संविधान सभा के कार्य पर नज़र डालते हुए नौ दिसंबर,1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्रह दिन हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान संविधान सभा की कुल मिलाकर 11 बैंठकें हुई हैं। इन 11 सत्रों में से छह उद्देश्य प्रस्ताव पास करने तथा मूलभूत अधिकारों पर, संघीय संविधान पर, संघ की शक्तियों पर, राज्यों के संविधान पर, अल्पसंख्यकों पर,अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर बनी समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने में व्यतीत हुए। सातवें, आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें सत्र प्रारूप संविधान पर विचार करने के लिए उपयोग किए गए। संविधान सभा के इन 11 सत्रों में 165 दिन कार्य हुआ। इनमें से 114 दिन प्रारूप संविधान के विचारार्थ लगाए गए। प्रारूप समिति की बात करें तो वह 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई थी। 30 अगस्त से 141 दिनों तक वह प्रारूप संविधान तैयार करने में जुटी रही। प्रारूप समिति द्वारा आधार रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाए गए प्रारूप संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा को पेश किए गए पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां थीं। उस पर विचार किए जाने की अवधि के अंत तक प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई थी। अपने अंतिम स्वरूप में प्रारूप संविधान में 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां हैं। प्रारूप संविधान में कुल मिलाकर लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से कुल मिलाकर 2,473 संशोधन वास्तव में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।

मैं इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि एक समय यह कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है और यह कि वह आराम से कार्य करते हुए सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रही है। उसकी तुलना नीरो से की जा रही थी, जो रोम के जलने के समय वंशी बजा रहा था। क्या इस शिकायत का कोई औचित्य है? ज़रा देखें कि अन्य देशों की संविधान सभाओं ने, जिन्हें उनका संविधान बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, कितना समय लिया। कुछ उदाहरण लें तो अमेरिकिन कन्वेंशन ने 25 मई, 1787 को पहली बैठक की और अपना कार्य 17 सितंबर, 1787 अर्थात् चार महीनों के भीतर पूरा कर लिया। कनाडा की संविधान सभा की पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1864 को हुई और दो वर्ष पांच महीने का समय लेकर मार्च 1867 में संविधान क़ानून बनकर तैयार हो गया। आस्ट्रेलिया की संविधान सभा मार्च 1891 में बैठी और नौ वर्ष लगाने के बाद नौ जुलाई, 1900 को संविधान क़ानून बन गया। दक्षिण अफ़्रीका की सभा की बैठक अक्टूबर 1908 में हुई और एक वर्ष के श्रम के बाद 20 सितंबर, 1909 को संविधान क़ानून बन गया।

यह सच है कि हमने अमेरिकिन या दक्षिण अफ़्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया। परंतु हमने कनाडियन सभा से अधिक समय नहीं लिया और आस्ट्रेलियन सभा से तो बहुत ही कम। संविधान-निर्माण में समयावधियों की तुलना करते समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ़्रीका और आस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुक़ाबले बहुत छोटे आकार के हैं। जैसा मैंने बताया, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जिनमें से पहले चार सब मिलकर 21 धाराओं में विभाजित हैं। कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलियाई में 128 और दक्षिण अफ़्रीकी में 153 धाराएं हैं।

याद रखने लायक़ दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधनों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वे जिस रूप में प्रस्तुत किए गए, वैसे ही पास हो गए। इसकी तुलना में इस संविधान सभा को 2,473 संशोधनों का निपटारा करना पड़ा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विलंब के आरोप मुझे बिल्कुल निराधार लगते हैं और इतने दुर्गम कार्य को इतने कम समय में पूरा करने के लिए यह सभा स्वयं को बधाई तक दे सकती है। प्रारूप समिति के किए गए कार्य की गुणवत्ता की बात करें तो नज़ीरुद्दीन अहमद ने उसकी निंदा करने को अपना फ़र्ज़ समझा। उनकी राय में प्रारूप समिति के किए गए कार्य न तो तारीफ़ के क़ाबिल है, बल्कि निश्चित रूप से औसत से कम दर्जे का है। प्रारूप समिति के कार्य पर सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है। और अपनी राय व्यक्त करने के लिए नजीरुद्दीन अहमद का ख़्याल है कि प्रारूप समिति के किसी भी सदस्य के मुक़ाबले उनमें ज़्यादा प्रतिभा है। प्रारूप समिति उनके इस दावे की चुनौती नहीं देना चाहती।

इस बात का दूसरा पहलू यह है कि यदि सभा ने उन्हें इस समिति में नियुक्त करने के क़ाबिल समझा होता तो समिति अपने बीच उनकी उपस्थिति का स्वागत करती। यदि संविधान-निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो निश्चित रूप से इसमें प्रारूप समिति का कोई दोष नहीं है। प्रारूप समिति के प्रति अपनी नफ़रत जताने के लिए नज़ीरुद्दीन ने उसे एक नया नाम दिया। वे उसे '**ड्रिलिंग कमेटी**' कहते हैं। निस्संदेह नज़ीरुद्दीन अपने व्यंग्य पर खुश होंगे। परंतु यह साफ है कि वह नहीं जानते कि बिना कुशलता के बहने और कुशलता के साथ बहने में अंतर है। यदि प्रारूप समिति ड्रिल कर रही थी, तो ऐसा कभी नहीं था कि स्थिति पर उसकी पकड़ मज़बूत न हो। वह केवल यह सोचकर पानी में कांटा नहीं डाल रही थी कि संयोग से मछली फंस जाए। उसे जाने-पहचाने पानी में लक्षित मछली की तलाश थी। किसी बेहतर चीज़ की तलाश में रहना प्रवाह में बहना नहीं है। यद्यपि नज़ीरुद्दीन ऐसा कहकर प्रारूप समिति की तारीफ़ करना नहीं चाहते थे, मैं इसे तारीफ़ के रूप में ही लेता हूं। समिति को जो संशोधन दोषपूर्ण लगे, उन्हें वापस लेने और उनके स्थान पर बेहतर संशोधन प्रस्तावित करने की ईमानदारी और साहस न दिखाया होता तो वह अपना कर्तव्य-पालन न करने और मिथ्याभिमान की दोषी होती। यदि यह एक ग़लती थी तो मुझे खुशी है कि प्रारूप समिति ने ऐसी ग़लतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। और उन्हें ठीक करने के लिए क़दम उठाए। यह देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि प्रारूप समिति के किए गए कार्य की प्रशंसा करने में एक अकेले सदस्य को छोड़कर संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत थे। मुझे विश्वास है कि अपने श्रम की इतनी सहज और उदार प्रशंसा से प्रारूप समिति को प्रसन्नता होगी। सभा के सदस्यों और प्रारूप समिति के मेरे सहयोगियों द्वारा मुक्त कंठ से मेरी जो प्रशंसा की गई है, उससे मैं इतना अभिभूत हो गया हूं कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। मुझे दूर तक यह कल्पना नहीं थी कि मुझे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। इसीलिए, उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ, जब सभा ने मुझे प्रारूप समिति के लिए चुन लिया। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। प्रारूप समिति में मेरे मित्र सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर जैसे मुझसे भी बड़े, श्रेष्ठतर और अधिक कुशल व्यक्ति थे। मुझ पर इतना विश्वास रखने, मुझे अपना माध्यम बनाने एवं देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं संविधान सभा और प्रारूप समिति का अनुगृहीत हूं। (करतल-ध्वनि)जो श्रेय मुझे दिया गया है, वास्तव में उसका हक़दार मैं नहीं हूं। वह श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी. एन.राव को जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक सच्चा प्रारूप तैयार किया। श्रेय का कुछ भाग प्रारूप समिति के सदस्यों को भी जाना चाहिए जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, 141 बैठकों में भाग लिया और नए फॉर्मूले बनाने में जिनकी दक्षता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उन्हें समाहित करने की सामर्थ्य के बिना संविधान-निर्माण का कार्य सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। श्रेय का एक बड़ा भाग संविधान के मुख्य ड्राफ्ट्समैन एस. एन. मुखर्जी को जाना चाहिए। जटिलतम प्रस्तावों को सरलतम व स्पष्टतम कानूनी भाषा में रखने की उनकी सामर्थ्य और उनकी कड़ी मेहनत का जोड़ मिलना मुश्किल है। वह सभा के लिए एक संपदा रहे हैं। उनकी सहायता के बिना संविधान को अंतिम रूप देने में सभा को कई वर्ष और लग जाते। मुझे मुखर्जी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का उल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की है और कितना समय, कभी-कभी तो आधी रात से भी अधिक समय दिया है। मैं उन सभी के प्रयासों और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। (करतल-ध्वनि) यदि यह संविधान सभा '**भानुमति का कुनबा**' होती, एक बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ, जिसमें एक काला पत्थर यहां और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता।

अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसने उसकी कार्रवाईयों में व्यवस्था और अनुशासन पैदा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसीलिए सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। यदि इस संविधान सभा के सभी सदस्य पार्टी अनुशासन के आगे घुटने टेक देते तो उसकी कार्रवाइयां बहुत फीकी होतीं। अपनी संपूर्ण कठोरता में पार्टी अनुशासन सभा को जीहुजूरियों के जमावड़े में बदल देता। सौभाग्यवश, उसमें विद्रोही थे। वे थे कामत, डा. पी. एस. देशमुख, सिधवा, प्रो. सक्सेना और पं. ठाकुरदास भार्गव। इनके साथ मुझे प्रो. के टी शाह और पं. हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने जो बिंदु उठाए, उनमें से अधिकांश विचारात्मक थे।

यह बात कि मैं उनके सुझावों को मानने के लिए तैयार नहीं था, उनके सुझावों की महत्ता को कम नहीं करती और न सभा की कार्रवाइयों को जानदार बनाने में उनके योगदान को कम आंकती है। मैं उनका कृतज्ञ हूं। उनके बिना मुझे संविधान के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर न मिला होता, जो संविधान को यंत्रवत् पारित करा लेने से अधिक महत्वपूर्ण था। और अंत में, राष्ट्रपति महोदय, जिस तरह आपने सभा की कार्रवाई का संचालन किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो सौजन्य और समझ सभा के सदस्यों के प्रति दर्शाई है वे उन लोगों द्वारा कभी भुलाई नहीं जा सकती, जिन्होंने इस सभा की कार्रवाईयों में भाग लिया है। ऐसे अवसर आए थे, जब प्रारूप समिति के संशोधन ऐसे आधारों पर अस्वीकृत किए जाने थे, जो विशुद्ध रूप से तकनीकी प्रति के थे। मेरे

लिए वे क्षण बहुत आकुलता से भरे थे, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आपने संविधान-निर्माण के कार्य में यांत्रिक विधिवादी रवैया अपनाने की अनुमति नहीं दी। संविधान का जितना बचाव किया जा सकता था, वह मेरे मित्रों सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर और टी.टी.कृष्णमाचारी द्वारा किया जा चुका है, इसलिए मैं संविधान की खूबियों पर बात नहीं करूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है, यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। संविधान की प्रभावशीलता पूरी तरह उसकी प्रति पर निर्भर नहीं है। संविधान केवल राज्य के अंगों-जैसे विधायिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का प्रचालन जिन तत्वों पर निर्भर है, वे हैं जनता और उनकी आकांक्षाओं तथा राजनीति को संतुष्ट करने के उपकरण के रूप में उनके द्वारा गठित राजनीतिक दल। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उनके दल किस तरह का आचरण करेंगे? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या वे संवैधानिक तरीक़े इस्तेमाल करेंगे या उनके लिए क्रांतिकारी तरीक़े अपनाएंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीक़े अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि वह असफल रहेगा। इसलिए जनता और उनके राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका को ध्यान में रखे बिना संविधान पर कोई राय व्यक्त करना उपयोगी नहीं है।

संविधान की निंदा मुख्य रूप से दो दलों द्वारा की जा रही है- कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वह वास्तव में एक बुरा संविधान है? मैं कहूंगा, नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा इसलिए करते हैं कि वह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। सोशलिस्ट दो बातें चाहते हैं। पहली तो वे चाहते हैं कि संविधान यह व्यवस्था करे कि जब वे सत्ता में आएं तो उन्हें इस बात की आज़ादी हो कि वे मुआवज़े का भुगतान किए बिना समस्त निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण कर सकें। सोशलिस्ट जो दूसरी चीज़ चाहते हैं, वह यह है कि संविधान में दिए गए मूलभत अधिकार असीमित होने चाहिए, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आने में असफल रहती है तो उन्हें इस बात की आज़ादी हो कि वे न केवल राज्य की निंदा कर सकें, बल्कि उसे उखाड़ फेंकें। मुख्य रूप से ये ही वे आधार हैं, जिन पर संविधान की निंदा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय प्रजातंत्र राजनीतिक प्रजातंत्र का एकमात्र आदर्श स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि मुआवज़े का भुगतान किए बिना निजी संपत्ति अधिगृहीत न करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मैं यह भी नहीं कहता कि मौलिक अधिकार कभी असीमित नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई सीमाएं कभी हटाई नहीं जा सकतीं। मैं जो कहता हूं, वह यह है कि संविधान में अंतर्निहित सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं। यदि आप इसे अत्युक्ति समझें तो मैं कहूंगा कि वे संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। उन्हें संविधान में शामिल करने के लिए प्रारूप समिति को क्यों दोष दिया जाए? मैं तो कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्यों को भी क्यों दोष दिया जाए? इस संबंध में महान अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने बहुत सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं, कोई भी संविधान-निर्माता जिनकी अनदेखी नहीं कर सकते। एक स्थान पर उन्होंने कहा है -हम प्रत्येक पीढ़ी को एक निश्चित राष्ट्र मान सकते हैं, जिसे बहुमत की मंशा के द्वारा स्वयं को प्रतिबंधित करने का अधिकार है परंतु जिस तरह उसे किसी अन्य देश के नागरिकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी तरह भावी पीढ़ियों को बांधने का अधिकार भी नहीं है। राष्ट्र के उपयोग के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की गई, उन्हें अपने त्यों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए भी उनके संचालन के लिए नियुक्त लोगों के अधिकारों के बारे में भ्रांत धारणाओं के अधीन यह विचार कि उन्हें छेड़ा या बदला नहीं जा सकता, एक निरंकुश राजा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ एक सराहनीय प्रावधान हो सकता है, परंतु राष्ट्र के लिए वह बिल्कुल बेतुका है। फिर भी हमारे अधिवक्ता और धर्मगुरु यह मानकर

इस सिद्धांत को लोगों के गले उतारते हैं कि पिछली पीढ़ियों की समझ हमसे कहीं अच्छी थी। उन्हें वे क़ानून हम पर थोपने का अधिकार था, जिन्हें हम बदल नहीं सकते थे और उसी प्रकार हम भी ऐसे क़ानून बनाकर उन्हें भावी पीढ़ियों पर थोप सकते हैं, जिन्हें बदलने का उन्हें भी अधिकार नहीं होगा। सारांश यह कि धरती पर मृत व्यक्तियों का हक़ है, जीवित व्यक्तियों का नहीं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो कुछ जेफरसन ने कहा, वह केवल सच ही नहीं, परम सत्य है। इस संबंध में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। यदि संविधान सभा ने जेफरसन के उस सिद्धांत से भिन्न रुख़ अपनाया होता तो वह निश्चित रूप से दोष बल्कि निंदा की भागी होती। परंतु मैं पूछता हूं कि क्या उसने सचमुच ऐसा किया है? इससे बिल्कुल विपरीत। कोई केवल संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान की जांच करें। सभा न केवल कनाडा की तरह संविधान संशोधन संबंधी जनता के अधिकार को नकारने के ज़रिए या आस्ट्रेलिया की तरह संविधान संशोधन को असाधारण शर्तो की पूर्ति के अधीन बनाकर उस पर अंतिमता और अमोघता की मुहर लगाने से बची है, बल्कि उसने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सरलतम बनाने के प्रावधान भी किए हैं। मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि भारत में आज बनी हुई स्थितियों जैसी स्थितियों में दुनिया की किसी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं! जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त करना है और वयस्क मताधिकार के आधार पर यदि वे संसद में दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते तो संविधान के प्रति उनके असंतोष को जन-समर्थन प्राप्त है, ऐसा नहीं माना जा सकता। संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु ऐसा है, जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। इस आधार पर गंभीर शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीयकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है और राज्यों की भूमिका नगरपालिकाओं से अधिक नहीं रह गई है। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है बल्कि संविधान के अभिप्रायों के प्रति भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का सवाल है, उसके मूल सिद्धांत पर ध्यान देना आवश्यक है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बन बनाए गए किसी क़ानून के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। संविधान की व्यवस्था इस प्रकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्य समानाधिकारी हैं।

यह समस्या कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रवादी कैसे कहा जा सकता है। यह संभव है कि संविधान किसी अन्य संघीय संविधान के मुक़ाबले विधायी और कार्यपालक प्राधिकार के उपयोग के विषय में केंद्र के लिए कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र निर्धारित करता हो। यह भी संभव है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हो, राज्यों को नहीं। परंतु ये व्यवस्थाएं संघवाद का मर्म नहीं है। जैसा मैंने कहा, संघवाद का प्रमुख लक्षण केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का संविधान द्वारा किया गया विभाजन है। यह सिद्धांत हमारे संविधान में सन्निहित है। इस संबंध में कोई भूल नहीं हो सकती। इसलिए, यह कल्पना ग़लत होगा कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी ओर से इस विभाजन की सीमा-रेखा को परिवर्तित नहीं कर सकता और न न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। क्योंकि, जैसा बहुत सटीक रूप से कहा गया है-'अदालतें मामूली हेर-फेर कर सकती हैं, प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं। वे पूर्व व्याख्याओं को नए तर्कों का स्वरूप दे सकती हैं, नए दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती हैं, वे सीमांत मामलों में विभाजक रेखा को थोड़ा खिसका सकती हैं, परंतु ऐसे अवरोध हैं, जिन्हें वे पार नहीं कर सकती, शक्तियों का सुनिश्चित निर्धारण है, जिन्हें वे पुनरावंटित नहीं कर सकतीं। वे वर्तमान शक्तियों का क्षेत्र बढ़ा सकती हैं, परंतु एक प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई शक्तियों को किसी अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित नहीं कर सकतीं।' इसलिए, संघवाद को कमज़ोर बनाने का पहला आरोप स्वीकार्य नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करती हैं। यह आरोप स्वीकार किया जाना चाहिए। परंतु केंद्र की शक्तियों को राज्य की शक्तियों से ऊपर रखने वाले प्रावधानों के लिए संविधान की निंदा करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली यह कि इस तरह की अभिभावी शक्तियां संविधान के सामान्य स्वरूप का अंग नहीं हैं। उनका उपयोग और प्रचालन स्पष्ट रूप से आपातकालीन स्थितियों तक सीमित किया गया है। ध्यान में रखने योग्य दूसरी बात है- आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्या हम केंद्र को अभिभावी शक्तियां देने से बच सकते हैं? जो लोग आपातकालीन स्थितियों में भी केंद्र को ऐसी अभिभावी शक्तियां दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं वे इस विषय के मूल में छिपी समस्या से ठीक से अवगत प्रतीत नहीं होते। इस समस्या का सुविख्यात पत्रिका **'द राउंड टेबल'** के दिसंबर, 1935 के अंक में एक लेखक द्वारा इतनी स्पष्टता से बचाव किया गया है कि मैं उसमें से यह उद्धरण देने के लिए क्षमाप्रार्थी नहीं हूं। लेखक कहते हैं-'राजनीतिक प्रणालियां इस प्रश्न पर अवलंबित अधिकारों और कर्तव्यों का एक मिश्रण हैं कि एक नागरिक किस व्यक्ति या किस प्राधिकारी के प्रति निष्ठावान् रहे। सामान्य क्रियाकलापों में यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सुचारु रूप से अपना कार्य करता है और एक व्यक्ति अमुक मामलों में एक प्राधिकारी और अन्य मामलों में किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश का पालन करता हुआ अपने काम निपटाता है। परंतु एक आपातकालीन स्थिति में प्रतिद्वंद्वी दावे पेश किए जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अंतिम प्राधिकारी के प्रति निष्ठा अविभाज्य है। निष्ठा का मुद्दा अंततः संविधियों की न्यायिक व्याख्याओं से निर्णीत नहीं किया जा सकता। क़ानून को तथ्यों से समीचीन होना चाहिए, अन्यथा वह प्रभावी नहीं होगा। यदि सारी

प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को एक तरफ कर दिया जाए तो निरा प्रश्न यह होगा कि कौन सा प्राधिकारी एक नागरिक की अवशिष्ट निष्ठा का हक़दार है। वह केंद्र है या संविधान राज्य?' इस समस्या का समाधान इस सवाल, जो कि समस्या का मर्म है, के उत्तर पर निर्भर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश लोगों की राय में एक आपातकालीन स्थिति में नागरिक को अवशिष्ट निष्ठा अंगभूत राज्यों के बजाय केंद्र को निर्देशित होनी चाहिए, क्योंकि वह केंद्र ही है, जो सामूहिक उद्देश्य और संपूर्ण देश के सामान्य हितों के लिए कार्य कर सकता है। एक आपातकालीन स्थिति में केंद्र की अभिभावी शक्तियां प्रदान करने का यही औचित्य है। वैसे भी, इन आपातकालीन शक्तियों से अंगभूत राज्यों पर कौन सा दायित्व थोपा गया है कि एक आपातकालीन स्थिति में उन्हें अपने स्थानीय हितों के साथ-साथ संपूर्ण राष्ट्र के हितों और मतों का भी ध्यान रखना चाहिए- इससे अधिक कुछ नहीं। केवल वही लोग, जो इस समस्या को समझे नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं।

यहां पर मैं अपनी बात समाप्त कर देता, परंतु हमारे देश के भविष्य के बारे में मेरा मन इतना परिपूर्ण है कि मैं महसूस करता हूं, उस पर अपने कुछ विचारों को आपके सामने रखने के लिए इस अवसर का उपयोग करूं। 26 जनवरी, 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। (करतल ध्वनि) उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह पहला विचार है। यह बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी, उसे उसने एक बार खो दिया था। क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यही विचार है जो मुझे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित कर देता है। यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। सिंध पर हुए मोहम्मद-बिन-क़ासिम के हमले से राजा दाहिर के सैन्य अधिकारियों ने मुहम्मद-बिन-क़ासिम के दलालों से रिश्वत लेकर अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इंकार कर दिया था। वह **जयचंद** ही था, जिसने भारत पर हमला करने एवं पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मुहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। और उसे अपनी व सोलंकी राजाओं को मदद का आश्वासन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल शहंशाह की ओर से लड़ रहे थे। जब ब्रिटिश सिख शासकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका मुख्य सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा रहा। और उसने सिख राज्य को बचाने में उनकी सहायता नहीं की। सन् 1857 में जब भारत के एक बड़े भाग में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ स्वातंद्र्य युद्ध की घोषणा की गई थी, तब सिख इन घटनाओं को मूक दर्शकों की तरह खड़े देखते रहे। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? यह वह विचार है, जो मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य का एहसास होने के बाद यह चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहां विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश से ऊपर समझेंगे? मैं नहीं जानता। परंतु यह तय है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वह हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आख़िरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। (करतल ध्वनि)26 जनवरी, 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। यही विचार मेरे मन में आता है। उसके प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा?

मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक

है। यह बात नहीं है कि भारत ने कभी प्रजातंत्र को जाना ही नहीं। एक समय था, जब भारत गणतंत्रों से भरा हुआ था और जहां राजसत्ताएं थीं वहां भी या तो वे निर्वाचित थीं या सीमित। वे कभी भी निरंकुश नहीं थीं। यह बात नहीं है कि भारत संसदों या संसदीय क्रियाविधि से परिचित नहीं था। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह पता चलता है कि न केवल संसदें- क्योंकि संघ संसद के सिवाय कुछ नहीं थे- थीं बल्कि संघ संसदीय प्रक्रिया के उन सब नियमों को जानते और उनका पालन करते थे, जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम व्हिप, मतों की गिनती, मतपत्रों द्वारा वोटिंग, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि संबंधी नियम चलन में थे। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया संबंधी ये नियम बुद्ध ने संघों की बैठकों पर लागू किए थे, उन्होंने इन नियमों को उनके समय में चल रही राजनीतिक सभाओं से प्राप्त किया होगा। भारत ने यह प्रजातांत्रिक प्रणाली खो दी। क्या वह दूसरी बार उसे खोएगा? मैं नहीं जानता, परंतु भारत जैसे देश में यह बहुत संभव है- जहां लंबे समय से उसका उपयोग न किए जाने को उसे एक बिलकुल नई चीज़ समझा जा सकता है-कि तानाशाही प्रजातंत्र का स्थान ले ले। इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिलकुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, परंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसरी संभावना के यथार्थ बनने का ख़तरा अधिक है।

प्रजातंत्र को केवल बाह्य स्वरूप में ही नहीं बल्कि वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ से, हमें पहला काम यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है, हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीक़े छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न

बचा हो, तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। परंतु जहां संवैधानिक उपाय खुले हों, वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीक़े अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ भी नहीं हैं और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए, वह है जन स्टुअर्ट मिल की उस चेतावनी को ध्यान में रखना, जो उन्होंने उन लोगों को दी है, जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, अर्थात् 'अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए।'

उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ ग़लत नहीं है, जिन्होंने जीवनपर्यत देश की सेवा की हो। परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कमेल ने खूब कहा है, 'कोई पुरूष अपने सम्मान की क़ीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की क़ीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की क़ीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता।' यह सावधानी किसी अन्य देश के मुक़ाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या नायक-पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए, वह है कि मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष न करना। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? वह एक ऐसी जीवन-पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को एक त्रयी के भिन्न घटकों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वे इस अर्थ में एक एकात्मक त्रयी बनते हैं कि एक से विमुख होकर दूसरे के पालन करने से प्रजातंत्र का लक्ष्य ही प्राप्त नहीं होगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और न समानता को स्वतंत्रता से। इसी तरह, स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुजन पर कुछ लोगों का दबदबा बना देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत उपक्रम को समाप्त कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता सहज नहीं लगेंगी। उन्हें लागू करने के लिए हमेशा एक कांस्टेबल की ज़रूरत होगी। हमें इस तथ्य की स्वीकृति से आरंभ करना चाहिए कि भारतीय समाज में दो

चीज़ों का नितांत अभाव है। उनमें से एक है समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है- अर्थात् कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन के। आर्थिक धरातल पर हमारे समाज में कुछ लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। 26 जनवरी, 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे। परंतु अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभासी जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे नकारना जारी रखते हैं तो हम केवल अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके, इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकेंगे, जिसे इस सभा ने इतने परिश्रम से खड़ा किया है। दूसरी चीज़ जो हम चाहते हैं, वह है बंधुत्व के सिद्धांत पर चलना। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है- सभी भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे का अहसास। यह एक ऐसा सिद्धांत है, जो हमारे सामाजिक जीवन को एकजुटता प्रदान करता है। इसे हासिल करना एक कठिन कार्य है। यह कितना कठिन कार्य है, इसे **जेम्स ब्रायस** द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित अमेरिकन राष्ट्रमंडल पर लिखी पुस्तक में दी गई कहानी से समझा जा सकता है। कहानी है-मैं इसे स्वयं ब्रायस के शब्दों में ही उसे सुनाना चाहूंगा- कुछ साल पहले अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च अपने त्रैवार्षिक सम्मेलन में अपनी उपासना पद्धति संशोधित कर रहा था। छोटी पंक्तियों वाली प्रार्थनाओं में समस्त नागरिकों के लिए एक प्रार्थना को शामिल करना वांछनीय समझा गया और एक प्रतिष्ठित मर्डन इंग्लैंड के एक धर्मगुरु ने ये शब्द सुझाए- **'हे ईश्वर! हमारे राष्ट्र पर कृपा कर।'** दोपहर को तत्क्षण स्वीकार किया गया यह वाक्य अगले दिन पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया गया तो जनसाधारण द्वारा **'राष्ट्र'** शब्द पर इस आधार पर इतनी आपत्तियां उठाई गई कि यह शब्द राष्ट्रीय एकता पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देता है कि उसे त्यागना पड़ा और उसके स्थान पर ये शब्द स्वीकृत किए गए, 'हे ईश्वर! इन संयुक्त राज्यों पर कृपा कर।'जब यह घटना हुई तब यूएसए में इतनी कम एकता थी कि अमेरिका की जनता यह नहीं मानती थी कि वे एक राष्ट्र हैं। यदि अमेरिका की जनता यह महसूस नहीं करती थी कि वे एक राष्ट्र हैं तो भारतीयों के लिए यह सोचना कितना कठिन है कि वे एक राष्ट्र हैं। मुझे उन दिनों की याद है, जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय **'भारत की जनता'**- इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें **'भारतीय राष्ट्र'** कहना अधिक पसंद था। मेरे विचार से, यह सोचना कि हम एक राष्ट्र हैं, एक बहुत बड़ा भ्रम है। हज़ारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं, जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन जुटा सकेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन साबित होने वाली है- उससे कहीं अधिक जितनी वह अमेरिका में रही है। अमेरिका में जाति की समस्या नहीं है। भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र-विरोधी हैं। पहली बात तो यह कि वे सामाजिक जीवन में विभाजन लाती हैं। वे इसलिए भी राष्ट्र-विरोधी हैं कि वे जाति एवं जाति के बीच विद्वेष और वैर-भाव पैदा करती हैं। परंतु यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी। क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है, जब हमारा एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता रंग की एक परत से अधिक गहरी नहीं होगी। जो कार्य हमारे सामने खड़े हैं, उन पर ये मेरे विचार हैं। कई लोगों को वे बहुत सुखद नहीं लगेंगे, परंतु इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता कि इस देश में राजनीतिक सत्ता कुछ लोगों का एकाधिकार रही है और बहुजन न केवल बोझ उठाने वाले बल्कि शिकार किए जाने वाले जानवरों के समान हैं। इस एकाधिकार ने न केवल उनसे विकास के अवसर छीन लिए हैं, बल्कि उन्हें जीवन के किसी भी अर्थ या रस से वंचित कर दिया है। ये पददलित वर्ग शासित रहते-रहते अब थक गए हैं। अब वे स्वयं शासन करने के लिए बेचैन हैं। इन कुचले हुए वर्गों में आत्म-साक्षात्कार की इस ललक को वर्ग-संघर्ष या वर्ग-युद्ध का रूप ले लेने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यह हमारे घर को विभाजित कर देगा। वह एक अनर्थकारी दिन होगा। क्योंकि जैसा **अब्राहम लिंकन** ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, 'अंदर से विभाजित एक घर ज़्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता।' इसलिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी उपयुक्त स्थितियां बना दी जाएं अल्पसंख्यक शासक वर्ग के लिए, देश के लिए, उसकी स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए उतना ही अच्छा होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बंधुत्व स्थापित करके ही ऐसा किया जा सकता है। इसीलिए, मैंने इन पर इतना ज़ोर दिया है। मैं सदन को और अधिक उकताना नहीं चाहता। निस्संदेह, स्वतंत्रता एक आनंद का विषय है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बहुत ज़िम्मेदारियां डाल दी हैं। स्वतंत्रता के बाद कोई भी चीज़ ग़लत होने पर ब्रिटिश लोगों को दोष देने का बहाना समाप्त हो गया है। अब यदि कुछ ग़लत होता है तो हम किसी और को नहीं, स्वयं को ही दोषी ठहरा सकेंगे। हमसे ग़लतियां होने का ख़तरा बहुत बड़ा है। समय तेज़ी से बदल रहा है। हमारे लोगों सहित दुनिया के लोग नई विचारधाराओं से प्रेरित हो रहे हैं। लोग जनता **'द्वारा'** बनाई सरकार से उब्रने लगे हैं। वे जनता के **'लिए'** सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस बात से उदासीन हैं कि वह सरकार जनता **'द्वारा'** बनाई हुई जनता **'की'** सरकार है। यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है तो हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि 'हम हमारे रास्ते खड़ी बुराइयों, जिनके कारण लोग जनता **'द्वारा'** बनाई गई सरकार के बजाय जनता के लिए बनी सरकार को प्राथमिकता देते हैं, की पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे।' देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है। मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता। ●

2025
IGNITE PASSION, PROPEL THE CORE
इंडियनऑयल
IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बरौनी रिफाइनरी

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए
पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा प्रदान करते हुए
शुभकामनाओं सहित

बरौनी रिफाइनरी परिवार की ओर से आप सभी
को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

राष्ट्र सेवा के
60
वर्ष
ऊर्जा, विकास और आत्मनिर्भरता का संगम
1965-2025

बरौनी रिफाइनरी - हर कदम प्रकृति के संग

The Shri Ram Universal School
Greater Noida (West)
IGNITING CURIOSITY, NURTURING CREATIVITY
Building on the legacy of The Shri Ram Schools
गणतंत्र दिवस
एवं
सरस्वती पूजा
की हार्दिक
शुभकामनाएं
ADMISSIONS
OPEN SESSION 2025-26
NURSERY ONWARDS
09+ STATES
50+ SCHOOLS
20+ CITIES
20000+ STUDENTS
2000+ TEACHERS
ABOUT US
We blend global teaching practices with Indian heritage to nurture happy, thoughtful and empathetic citizens. Our modern campus features large, thoughtfully crafted classrooms in a peaceful setting, fostering interactive and hands-on learning experiences that cater to each child's distinct personality.
"SHRI" WAY
We nurture each child's unique individuality, making learning challenging & enjoyable while prioritizing emotional and physical well-being. Through innovative education & research, we foster creativity, independent thinking, ethical values, & socio-emotional development, ensuring our students blossom to their potential.
https://tsusnoida.edu.in
admissions@tsusnoida.edu.in
HS-03, Techzone IV, Greater Noida (West) U.P.-201306
CALL US: 9015 600 300

राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस के पुणित अवसर पर जिला के समस्त नागरिकों सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभी अधिकारी व कर्मचारीयों कृषि पैक्स अध्यक्ष एवं सभी कृषकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामना। हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे और लोकतंत्र की नींव सदा मजबूत रहे यही मेरी मंगल कामना है।

कमल किशोर सिंह

उपाध्यक्ष दि बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक,
व सहकारी नेता

76 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े सभी मतदाताओं प्रबुद्ध नागरिकों एवं समस्त जिला वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई।

सर्वेश कुमार

सदस्य, बिहार विधान परिषद, दरभंगा स्नातक विधान परिषद क्षेत्र

Mob.: 7488541884, 9905710783

नीलम होमियो क्लिनिक एण्ड रिसर्च सेन्टर

दीप शिखा रोड, श्रीकृष्ण नगर, नियर गंगाराम मिष्ठान, बेगूसराय

समस्त ज़िलावासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. बी. के. तिवारी

बी.एच. एम.एम. (बी.यू.)
पूर्व एच.एम.आई संगठन सचिव (बिहार)
नेचरल फिजिसियन, हेपेटाइटिस-बी, किडनी, लकवा, आँत, पेट, लीवर, थाइराइड, माइग्रेन एवं फलेरिया रोग विशेषज्ञ

डॉ. श्रीमती नीलम कुमारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ)

बी.एच. एम.एम. (बी.यू.)
मासिक ल्युकोरिया, बाँझपन

नोटः पूर्णतः वातानुकुलित, ई.सी.जी. की सुविधा, 24 घंटे सेवा भर्ती की व्यवस्था, अलग-अलग विभाग द्वारा चिकित्सा उपलब्ध, कम्प्यूटराईजड व्यवस्था, सुव्यवस्थित पैथोलॉजी की सुविधा, फोन पर नं. लगाने की सुविधा।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या-36 की तमाम जनता एवं समस्त बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

समीर कुमार महासेठ

विधायक, मधुबनी

पूर्व उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

मालतीधारी कॉलेज, नौबतपुर (पटना)

(A Constituent Unit of Patliputra University, Patna)

Patna, Bihar Pin-801109

प्राचार्या

प्रो. (डॉ.) सीता सिन्हा

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मालतीधारी कॉलेज, नौबतपुर स्थापना की दृष्टि से बिहार का दूसरा ग्रामीण महा-विद्यालय है। इसकी स्थापना सन् 1956 में हुई। यहां कला / विज्ञान संकाय के साथ-साथ सन् 2002 से बी.सी.ए. की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। इस दृष्टि से ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं के लिए यह कॉलेज वरदान स्वरूप है।

रामलखन सिंह यादव कॉलेज बख्तियारपुर, पटना

(पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना की अंगीभूत इकाई)

(पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सबसे प्राचीन स्नातकोत्तर केंद्र)

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाए

महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों, बख्तियारपुर के समस्त नागरिकों एवं बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !

महाविद्यालय की विशेषताएं

- 1964 में स्थापित पटना-मोकामा-बिहार शरीफ की त्रिकोणीय स्थिति के मध्य स्थित महाविद्यालय
- 16 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई
- तीनों संकायों में स्नातक प्रतिष्ठा स्तर की पढ़ाई
- 12000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत
- बीएलआईएस, एमएलआईएस, बीसीए, बीबीएम, बीएससी (आईटी) कोर्सों की योग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई
- 40000 से अधिक दुर्लभ पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से सुसज्जित पुस्तकालय (ई लाइब्रेरी)
- 60% छात्राएं अध्ययनरत हैं
- 32% अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति की छात्राएं अध्ययनरत हैं।

प्राचार्य, डा . पुष्पेंद्र कुमार वर्मा

Mobile No.- 9934041081
No.- 9472189431

S.P. JAIN COLLEGE

Mirza Pur, Old G.T. Road, Sasaram Rohtas (821115)
(A Constituent Unit of Veer Kunwar Singh University, Ara)

NAAC ACCREDITATED GRADE- 'B'

Office of the Principal
Email:- spjainsasaram@gamil.com
Website:- www.spjainsasaram.co.in

प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार

(स्वर्ण पदक प्राप्त)

एम.ए.(त्रय), एम.एड., पी–एच.डी., डी.लिट्.

1. स्नातक स्तरीय सी.बी.सी.एस. चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए चौदह विभागों में अध्यापन की व्यवस्था।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित, राजनीतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी एवं अंग्रेजी में अध्यापन की व्यवस्था।
3. स्ववित्तपोषी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लिए बी.एस.सी. (बायो–टेक्नोलॉजी), बी.सी.ए., तथा बी.बी.ए. में अध्ययन हेतु AICTE से मान्यता प्राप्त।
4. एन.एस.एस. द्वारा दो यूनिट के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय सेवा एवं सहयोग की भावना का प्रसार।
5. परिसर में इग्नू अध्ययन केन्द्र एवं नालंदा खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र कार्यरत।
6. एन.सी.टी.ई. की मान्यता प्राप्त बी.एड. पाठ्यक्रम का पृथक भवन निर्माणाधीन।
7. आधा दर्जन स्मार्ट क्लास रूम के साथ वाई–फाई कैम्पस और पार्किंग जोन की सुविधा।
8. छात्राओं के लिए कॉमन रूम ।
9. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रॉक् प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत।
10. व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु पृथक भवन निर्माण की योजना।
11. NAAC मूल्यांकन सितम्बर–2024 में सम्पन्न।
12. एन.सी.सी. के दो यूनिट सक्रिय।
13. कम्पयूटरकृत समृद्ध पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था।
14. विद्यार्थियों के लिए SWAYAM LAB की सुविधा।
15. बासकेट बॉल एवं बैडमिन्टन कोट निर्माण की योजना।

76वां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगणों तथा समस्त जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को सादर नमन।

अमिता भूषण

पूर्व विधायक

बेगूसराय

76वें गणतंत्र दिवस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

बेगूसराय जिले के खाताधारियों, किसानों एवम् सभी प्रकार के सहकारी समिति के सम्मानित अध्यक्षों को गणतंत्र दिवस-2025 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

निवेदक

नरेन्द्र सिंह

अध्यक्ष

दी बेगूसराय सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

A School of 21st Century

Best Day Boarding School of Bihar Award Winner - 2018

Recipient Of Educational Excellence Award - 2019

ISO 9001 : 2015

Doon Public School

(DAY BOARDING / RESIDENTIAL SCHOOL)

Affiliated to C.B.S.E, New Delhi, Affiliation No.: 330514

Ramzanpur, Begusarai, Bihar - 851129

Scholarship-Cum-Entrance Test - 16th February 2025

Admission Test for std I and II on 02nd Feb 25

Separate Hostel for Girls & Boys

Enquiry : +91 7781048957 / 7781048952

OUR FACILITIES:

- Smart interactive well maintained classes.
- Well equipped laboratories.
- Well stocked library
- Auditorium.
- Big size play ground
- Computer Lab
- Music Room
- Language Lab
- Dance Room
- Digital Library
- Fashion Studies Lab
- Robotic (Proposed)
- Gymnasium (Proposed)
- Special training for N.T.S.E and K.V.P.Y
- Abacus Education
- Calligraphy
- Guidance and Counseling cell
- Dance classes
- Yoga/Art of Living
- Quiz
- Judo and Karate
- Horse riding (Proposed)
- Swimming pool (Proposed)
- Ideal Teacher student Ratio (15:1)
- M.I Room
- FOREIGN Language course other than English (French, Dutch)
- Children Park
- Indoor Game (Table Tennis, Billiards)
- Hobbies Clubs
- Monthly General Knowledge Test
- Excursion
- Ultra Modern Transport Facility
- Wi-Fi Campus
- Mid- Day Meal (Day Boarder)
- Handpicked subject experts
- Well Maintained mess
- Cosmopolitan environment
- Mathematics Lab

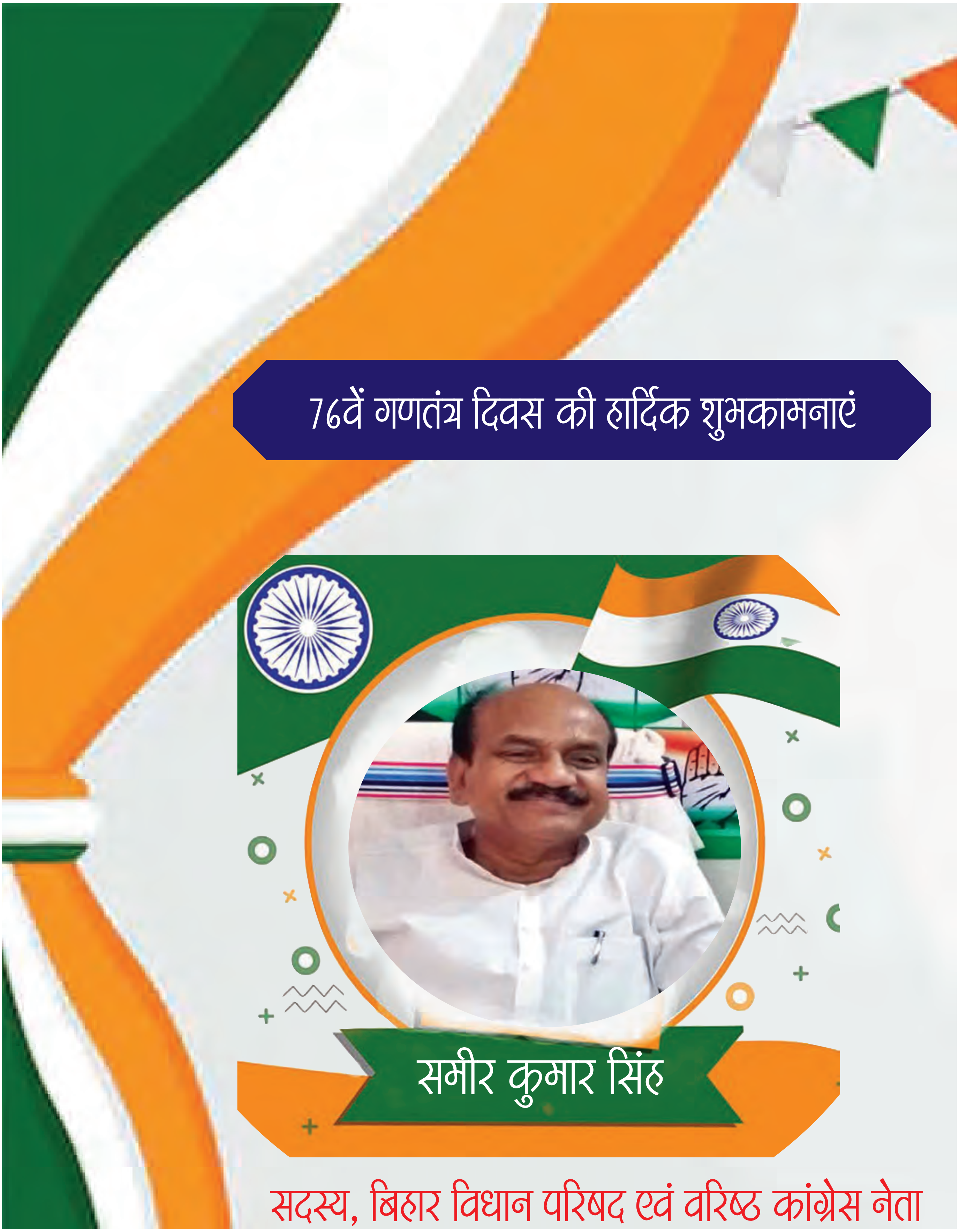
76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
समीर कुमार सिंह
सदस्य, बिहार विधान परिषद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता

गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर समस्त जिला वासियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर किसान भाइयों के स्वस्थ और कर्मठ जीवन की मंगल कामना ।

वीरेंद्र प्रसाद साहु

सामाजिक कार्यकर्ता

माधवी खाद भंडार, हर हर महादेव चौक बेगूसराय

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता गण सहित समस्त जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान की सदैव रक्षा के लिए सजग और तत्पर रहें, यही हमारी संकल्प और कामना है।

सुनील कुमार सिंह

जिला महामंत्री, कांग्रेस पार्टी बेगूसराय।

गौरवशाली भारतवर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के पवित्र मौके पर जिला के समस्त नागरिकों एवं शिक्षा के प्रति समर्पित महानुभावों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई। यह राष्ट्रीय पर्व समाज के बीच भाईचारा, सौहार्द एवं शैक्षणिक विकास का नया आयाम लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है।

विनय कुमार

प्रधानाध्यापक राजकीयकृत मध्य विद्यालय मोहनपुर,
प्रखंड व जिला बेगूसराय।

देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना

जिला वासियों से इस मौके पर मेरी अपील है कि अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सदैव समर्पित रहें, यही हमारी मंगल कामना है।

वीरेंद्र कुमार साहु

वरीय अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता , बेगूसराय

दूसरा मत परिवार की ओर से लेखकों, पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं को इस महान पावन पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आप सभी को
गणतंत्र दिवस
की
की हार्दिक शुभकामनाएं
आईये हम सब मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर एक समर्थ, सबल, सक्षम, शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध, एवम स्वच्छ भारत का निर्माण करें।
डॉ वी. एस. चौहान
चेयरमैन
प्रकाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशन्स
CURE WITH CARE
Prakash Hospital
NOIDA
CURE WITH CARE
Prakash Hospital
GREATER NOIDA
PIPHAMS
Prakash Institute
GREATER NOIDA
PRAKASH INSTITUTE OF AYURVEDIC MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH
YAMUNA EXPRESSWAY
ClairéDerma
Centre for Skin, Hair & Laser
NOIDA
www.prakashhospitals.in
www.facebook.com/DrVschauhanbjp/
www.instagram.com/drvschauhan/

देश बचाना है तो संविधान बचाइए

ए आर आज़ाद
पत्रकार एवं साहित्यकार

कुल जमा एक लाख, छियालिस हज़ार, तीन सौ पचासी शब्दों की यह पवित्र पोथी ही अब हमें बचा सकती है। जीला सकती है और देश के मन-मिजाज़ को बेआबरू होने से बचा सकती है। इसलिए देश बचाना है तो प्रस्तावना को 'बिच्छू के डंक' से बचाइए। समझिए क्या है प्रस्तावना? क्या कहती है प्रस्तावना? क्या कहना चाहती है प्रस्तावना? इसे समझने के लिए पहले ठंडे दिमाग़ से पढ़िए प्रस्तावना!-

''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख़ 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

अब प्रस्तावना के बाद डॉ. भीमराव अम्बेडकर के इस कथन पर नज़र दौड़ाइए।-

''भारत का संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता किसके हाथ में है? अगर सत्ता अच्छों के हाथ में होगी तो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। और संविधान की आत्मा की रक्षा होगी। और अगर सत्ता बुरी सोच के हाथों लग जाएगी तो संविधान का इस्तेमाल बुराई के लिए किया जाने लगेगा।''

ज़ाहिर है देश को दिशा देने के लिए उनके मन में तरंग और उमंग थे। आने वाली पीढ़ी को सुनहरे भारत के भविष्य सौंपने के जज़्बे से वो सराबोर थे। क़ानूनविद् डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक युगद्रष्टा थे। दूरदृष्टि वाले एक चिंतक-योद्धा थे। उन्होंने जनसंदेश के ज़रिए लोगों को बार-बार ताक़ीद की। एक ही संकल्प पूरा करने का लोगों से आह्वाण किया। वह आह्वाण था भारत में एक ऐसा सूरज उगे जो समानता, एकता और अखंडता की तर्ज पर रौशनी फैलाए। इसी संकल्प और प्रण लेकर वह जीते रहे। देश को सोने की चिड़ियां की किंवदंती को अमलीजामा पहनाने की उनमें हसरतें थीं। उनके सीने में इतनी हसरतें यूं ही नहीं पल रही थीं। वो जानते थे कि अंग्रेज़ कैसे आए और कैसे भागे! उन्हें पता था कि अंग्रज़ों को किसने और कैसे भारत की छाती पर बंदूक़ तानने का मौक़ा दिया और सीने को चाक़ करने के लिए किसने खंजर दिए? इसलिए तो उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता किसके हाथ में है?

आज सत्ता की चौहद्दी को देखने के बाद डॉ. भीमराव अम्बेडकर का वह कहा हुआ सारा शब्द एक सच बनकर आंखों के सामने परदों पर उतरी फ़िल्म की तरह साफ़ और सपाट रूप से सहजता के साथ चलती जा रही है। कहानी उसी हिसाब से बढ़ रही है और कहानी का प्लाट आज भी पूरी तरह अपने कथानक के साथ मौजूद नज़र आ रहा है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के यहीं शब्द 'भारत का संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता किसके हाथ में है?' ज़हन में कौंध रहा है। यूं ही नहीं कोई सवाल बनकर आपके ज़हन में हलचल मचाने लगता है। जब कोई बात हद से गुज़रने लगती है तो पहले हल्की चूभन होती है। इस चूभन के बाद टीस उठती है। और उस टीस के बाद चिंता की लकीरें माथे पर अंकित हो जाती हैं और फिर चिंता की वहीं लकीरें मन-मस्तिष्क को बेचैन करने लगती हैं और फिर वही बेचैनी आपकी परेशानी का सबब बन जाती है। और फिर यहीं से शुरू होती है सवाल बनकर ज़हन में हलचल पैदा।

देश में सत्ता का शोर इतना ज़ोर मारने लगा है कि हर तरफ़ हलचल ही नहीं, कोलाहल भी है। भयंकर त्रासदी और ऊहापोह वाली स्थिति सबके सामने खड़ी है। भारतीय मिजाज़ गंगा-जमुनी रहा है। गंगा-जमुना में ज़हर घोल दिया गया है। नतीजतन पानी तो पानी दोआब की मिट्टी भी ज़हरीली हो गई है। इस मिट्टी से ऊपजी हर स्थितियां और परिस्थितियां भी ज़हरीली हो गई हैं।

शासन के लिए ऐसी खेती भले ही कुछ दिनों के लिए उपजाऊ हो जाए, लेकिन ऐसी खेती बार-बार करने से वह खेत आगे चलकर खेती के लायक़ भी नहीं रहेगी। बंजर हो जाएगी।

ज़हर की खेती से कहीं अच्छी खेती अफ़ीम की होती है। अफ़ीम के नशे की तो एक मियाद भी है। लेकिन हिंदू-मुस्लिम के बीच नफ़रत की एक ऐसी खेती है, जिसमें खेत भी तबाह हो जाता और किसान भी। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि क्या देश से बड़ी सत्ता होती है? क्या सत्ता के लिए संविधान की बलि चढ़ा दी जाए? क्या शासन पर क़ब्ज़ा जमाने के लिए नैतिकता, राष्ट्रीयता, एकता, भाईचारा और प्रस्तावना में प्रदत्त समस्त तथ्यों को सिरे से नकार दिया जाए? नहीं! कतिपय नहीं! किसी भी हालत में नहीं! और किसी भी सूरत में एक लोकतांत्रिक देश में क़तई नहीं! तो फिर नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी और उस पार्टी की सरकार सत्तासीन होते ही जनता के सभी मौलिक अधिकारों के हनन पर उतारूं क्यों हो गई है? देश की बहुसंख्यक जनता को हिंदू-राष्ट्र के स्वप्न दिखाकर उसे इसी सपने में खोए रखने का खेल क्यों खेल रही है? भारत की जनता को हिंदू-राष्ट्र का स्वप्न दिखाना उसको अफ़ीम चखाने की ही तरह है। क्योंकि कोई भी होशमंद देश की जनता इस लोकतांत्रिक देश को न तो राजशाही में तब्दील होने देगी और न ही हिंदू देश की कल्पना और परिकल्पना में भारत के नक़्शे को ख़ून से लथपथ होने देगी। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है। इसमें सबको समा लेने की अदभुत क्षमता है। देश तो अपने इस मिजाज़ से नहीं बदलेगा। या तो सरकार को ख़ुद से बदलने की ज़रूरत है या फिर जनता को उस सरकार को बदल देने की ज़रूरत है जो कभी नफ़रत का ज़हर घोलती है। कभी हिंदू-राष्ट्र के स्वप्न का अफ़ीम चखाती है और कभी लालच के खूंटे में बांधकर मुंह में जाबी (मास्क) लगा देती है।

इसलिए इस गणतंत्र पर देश की जनता को सोचना है कि संविधान वाला भारत रहे? डॉ, भीमराव आम्बेडकर वाला भारत रहे, गांधी वाला भारत रहे या वैसा भारत रहे, जहां अन्नदाता की ऐसी अनदेखी होती हो, जिससे विदेशों की भी आंखें शरमा जाए, भय खा जाए? ●

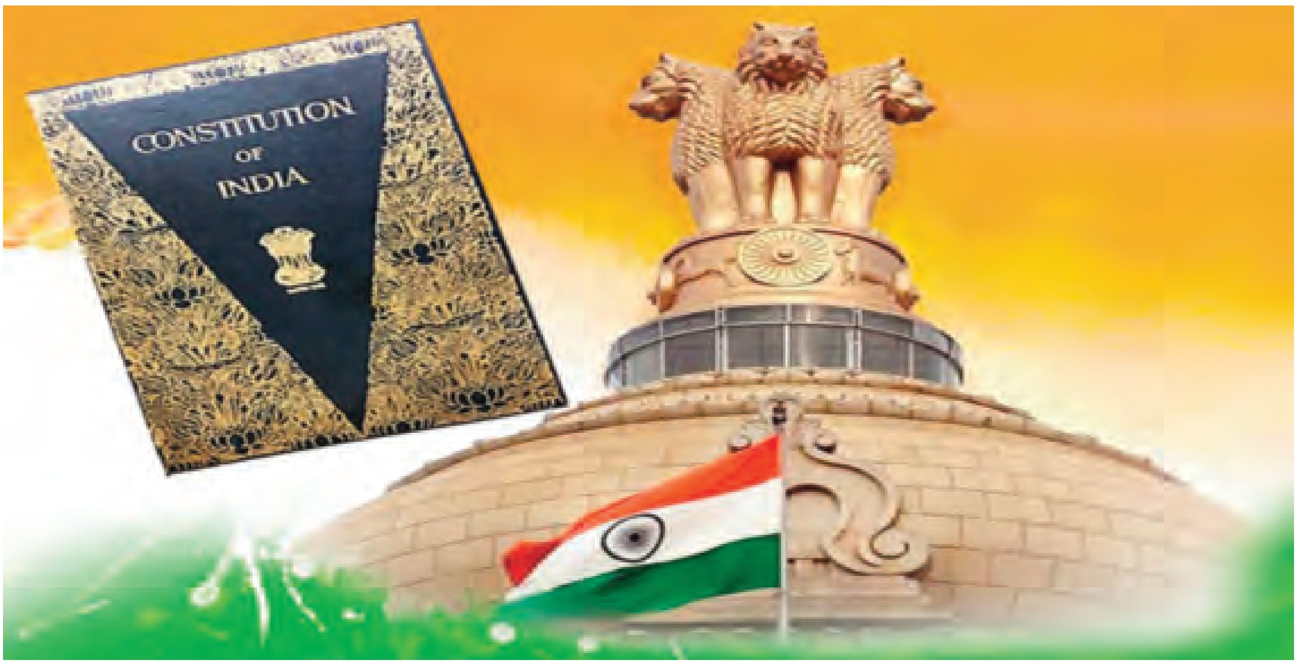

संविधान की ख़ास बातें

संविधान सभा की प्रथम बैठक सोमवार 9 दिसंबर, 1946 को प्रातः 11 बजे शुरू हुई। इसमें 210 सदस्य उपस्थित थे। 11 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे।

13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

1. भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा, जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा।

2. भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में हैं या इन दोनों से बाहर, ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रभुतासंपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं।

3. भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी।

4. भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और क़ानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, क़ानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी।

5. अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और क़बायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

6. अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी।

दूसरा मत

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं
दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

नगर निगम, बेगूसराय के बढ़ते कदम!

26 जनवरी, 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी शहर-वासियों को नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ

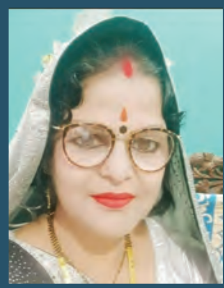

अनीता देवी
उप महापौर
नगर निगम बेगूसराय

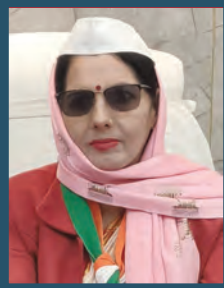

पिंकी देवी
महापौर
नगर निगम बेगूसराय

उपलब्धियां

✡ बेगूसराय ऑफिसर्स कॉलानी एवं महिला कॉलेज के निकट चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण। वालिका मध्य विद्यालय, विशनपुर के निकट पार्क का निर्माण प्रस्तावित।

✡ विशनपुर चतुर्भुज पाखर सहित अन्य तीन स्थानों पर ओपन जिम का निर्माण।

✡ शहर सौन्दर्यीकरण के निमित्त विभिन्न पथों में तिरंगा लाईट लगाने का कार्य।

✡ आवागमन की सुविधा हेतु सड़क के पलेक में पेवर ब्लॉक लगान का कार्य।

✡ जनवरी 2023 से अब तक लगभग 478 विभिन्न योजनाओं का चयन, जिसमें 349 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष प्रक्रियाधीन है।

✡ जाम की समस्या से निबटसे एवं सुरक्षा के द्दष्टिकोण से प्रथम चरण में 317 स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं Public Addresing System लगाने के लिए कायार्देश निर्गत किया गया है।

जनहित में अतिक्रमण पर रोक एव आवागमन व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ट्रैफिक मित्र की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

अपील

✡ नागरिकों से अपील है कि वे कूड़ा-कचरा को यत्र-तत्र नहीं फेंके, कचरा को डोर-टू-डोर सग्रहण करने वाले सफाईकर्मी को दें या निर्धारित स्थल पर डालें। प्लास्टिक की थैली थर्मोकोल वगैरह को नाला में नहीं डालें तथा पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें।

✡ संपत्ति कर का भुगतान ससमय करें और दण्ड शुल्क के भागी न बने।

✡ अपने सपत्ति कर का निर्धारण कार्यालय से विहित प्रपत्र में प्राप्त कर स्वयं करे।

गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

NOIDA EMPLOYEES ASSOCIATION

PRESIDENT
RAJ KR.CHOUDHRY
AND TEAM

▸▸बाल गंगाधर तिलक

महान स्वतंत्रा सेनानी

स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है

राष्ट्रीयता की भावना पुनर्जाग्रत करने के लिए तिलक और एनी बेसेंट ने होमरूल लीग्स का गठन किया- बेसेंट ने सन 1915 में और तिलक ने उससे अगले वर्ष। तिलक की होमरूल लीग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर यह भाषण दिया गया था। वयोवृद्ध तिलक युवाओं को संबोधित कर रहे थे और उनके शब्द इतने जोशीले थे कि वे राष्ट्रीय आंदोलन का शंखनाद बन गए। तिलक की स्वतंत्रता की मांग को सन 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के रूप में समाविष्ट कर लिया गया था।) मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा, किंतु उत्साह में जवान हूं। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार-शक्ति को सबल बनाने से इंकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं, वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार, हमारी होमरूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है और वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। यदि एक शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी, गीता विश्वास दिलाती है। यह दर्शन बहुत पुराना है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूं। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी. इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक, जो मेरे सामने बैठे हैं, के सामने भी करता हूं, कलक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था और आशुलिपि लेखक, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, के सामने भी। मृत दिखाई देने पर भी यह सिद्धांत अदृश्य नहीं होगा। हम स्व-शासन चाहते हैं और हमें पाना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्व-शासन में होती है, वही राजनीति-विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस परदे को हटा देना चाहता हूं, जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं-पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति-विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है, जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीतिक और धार्मिक शिक्षा का एक अंग हैं। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होते हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाए हैं। स्व-शासन का अर्थ कौन नहीं जानता? कौन उसे नहीं चाहता? क्या आप यह पसंद करेंगे कि मैं आपके घर में घुसकर आपकी रसोई अपने क़ब्ज़े में ले लूं? अपने घर के मामले निपटाने का मुझे अधिकार होना चाहिए। केवल पागल व्यक्ति और बच्चे अपने मामले स्वयं नहीं निपटा सकते।

सम्मेलनों का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक सदस्य इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, इसलिए क्या आप नहीं

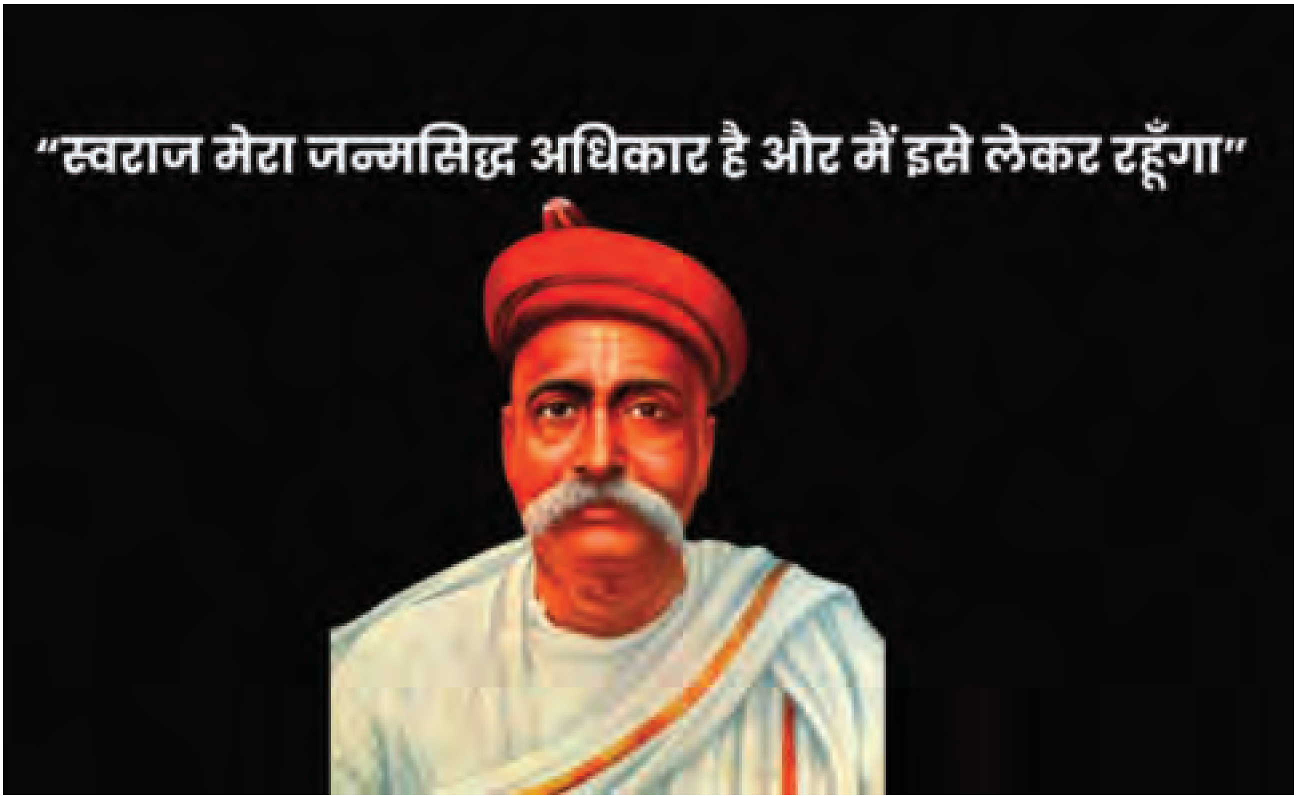

समझते की आपको अपना अधिकार मिलना चाहिए? पागल या बच्चे न होकर आप अपने मामले, अपने अधिकार समझते हैं और इसीलिए आप जानते हैं कि स्व-शासन क्या है। हमें कहा गया है कि हम स्व-शासन के उपयुक्त नहीं हैं। एक शताब्दी गुज़र गई है और ब्रिटिश शासन हमें स्व-शासन के लायक़ नहीं बना पाया। अब हम अपने प्रयास करेंगे और स्वयं को उस लायक़ बना लेंगे। असंगत बहाने बनाना, लालच देना और वैकल्पिक प्रस्ताव करना ब्रिटिश नीतियों पर एक दाग़ है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्व-शासन नहीं मिलना चाहिए। जो हममें दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्व-शासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। हम अपने पिता, कांग्रेस के आदेशों का पालन श्रीरामचंद्र की तरह ही करेंगे। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़ें या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्रीरामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधिसम्मत तरीक़ों से स्व-शासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे।ईश्वर की कृपा से इंग्लैंड ने हमारे बारे में अपना नज़रिया बदल लिया है। हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयास असफल नहीं होंगे। इंग्लैंड ने अहंकारवश समझा था कि इतने बड़े साम्राज्य को वह छोटा-सा राष्ट्र केवल अपने बल पर बनाए रख पाएगा। वह अहंकार अब कम हो गया है। इंग्लैंड को अब महसूस होने लगा है कि उसे साम्राज्य के संविधान में बदलाव लाने होंगे। लॉयड जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। एक हज़ार वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। इंग्लैंड के लोगों को पता चल गया है कि उनके सभी दलों की अक़्लमंदी पर्याप्त नहीं है। फ़्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। जो लोग कभी हमें ग़ुलाम समझते थे, अब हमें भाई कहने लगे हैं। ये सब परिवर्तन ईश्वर की कृपा से हुए हैं।

अभी, जब अंग्रेज़ों के मन में भाइचारे की भावना मौजूद है, हमें अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहिए। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं - और यह कि जब तक हम उनके साथ हैं, साम्राज्य की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। ●

कितना सफल देश का गणतंत्र !

डा. श्रीगोपालनारसन एडवोकेट
स्तंभकार

हमारा संविधान भले ही जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करता हो लेकिन राजनीति से जुड़े लोग सत्ता की चाबी हाथ लगते ही चाबी अपने पास बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान को उसकी मूल भावना से परे जाकर संविधान को अपने अपने स्वार्थ से परिभाषित करने का प्रयास करते है।तभी तो अभी तक एक सौ से अधिक बार भारतीय संविधान को संशोधनों का सामना करना पड़ा है।भारतीय संविधान की वर्षगांठ पर यह चिंतन करना आवश्यक है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या सही मायनों में स्वस्थ लोकतंत्र बचा हुआ है। क्या यह सच नही है कि गण का तंत्र होने पर भी गण ही अपने अधिकार से वंचित होकर रह गए है।

भारतीय संविधान मिलने के बाद आमजन को लगा था कि अब उनका शासन उनके द्वारा ही किया जाएगा लेकिन चन्द पूंजीपतियो की जेब का खिलौना बने राजनीतिक दलों ने आमजन को दरकिनार कर पूंजीपतियों के सहारे देश में

कुर्सी प्राप्त करने की ऐसी चाल चली कि लोकतन्त्र बेचारा धराशाही होकर रह गया। विधायको और सांसदो की सत्ता के लिए होती कथित खरीद फरोख्त ने तो देश के लोकतन्त्र को कमजोर करके रख दिया है।

भारतीय गणन्त्र को यूं धराशाही करने की कोशिश की जाएगी, यह संविधान निर्माण के समय किसी ने सोचा तक नही था।इस लोकतन्त्र में क्या वास्तव में आमजनता को उनका अपना वास्तविक तन्त्र मिल पाया है? भारतीय संविधान की मूल भावना जनता पर जनता के द्वारा शासन का सपना क्या वास्तव में चरितार्थ हो पाया है? सन 1950 में भारतीय संविधान भले ही देश में लागू हो गया हो। भले ही देश के प्रत्येक नागरिक

को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार देने की व्यवस्था की गई हो, लेकिन गणतन्त्र लागू होने के इतने वर्षो बाद भी देश मे नाम मात्र के लोगो का ही गणतन्त्र बन पाया है। देश मे राज वे लोग ही कर रहे है,जो धन बल से परिपूर्ण है। बेचारी आम जनता तो आजादी के बाद से आज तक इन धन बल वालो की ही मोहताज बनी हुई है। यही कारण है कि आम लोग जब असहनीय रूप से शोषित और पीड़ित हो जाते है तो वे अपने अधिकारों के लिए सडकों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होते है, जिन्हें फिर लाठी डंडे से दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन यह तय है कि अब आम आदमी अपने विरूद्ध होने वाले हर अन्याय का प्रतिवाद करने को तैयार हो गया है। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक के चुनाव में कोई भी आम आदमी चुनाव लडने का साहस नही जुटा पा रहा है। ग्राम स्तर पर गांव के धनाढय वर्ग से जुड़े लोग चुनाव लडते है तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधान सभा,लोक सभा चुनाव मे भी आम जनता मे से कोई चुनाव लडने का साहस नही जुटा पाता है क्योकि लाखो करोड़ो रुपयों के बिना अब कोई भी चुनाव लडना सभंव नही रह गया है। राज्य सभा और विधान परिषद तो राजनीतिक दलो की अपनी बपोती बन गई है। शायद ही किसी गरीब और आम आदमी को इन सदनो मे से किसी का सदस्य बनाया गया हो, बडी

राजनितिक पार्टिया अपने चेहतो को राज्य सभा और विधान परिषदो मे भेजकर लंबे समय उपकृत करती रही है । इन सीटो पर वे अपने चहेतों को भेजने के लिए संख्या बल के हिसाब से सीटो का आपसी बटवारा कर लेते है, जिससे आम जनता हर बार ठगी सी रह जाती है।

इसी कारण इन सदनो मे चुनकर जाने वाले नेता अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेह भी नही रहते, यहां तक कि उनकी सांसद निधि और विधायक निधि या

तो खर्च ही नही हो पाती या फिर उसका जमकर दुरूपयोग किया जाता है जो राष्ट्रहित में नही है।

गत चुनाव में एक भी ऐसा प्रत्याशी किसी बडे राजनीतिक दल से चुनाव मैदान में नहीं आया, जो गरीबी की रेखा से नीचे का हो या फिर आमजनता के बीच का

हो और किसी बडी राजनीतिक पार्टी ने उसे टिकट दिया हो ।जीवनभर अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहने वाले भी इसी कारण टिकट से वंचित रह जाते हैं, क्योकि उनके पास धन बल नही होता जबकि धनबल के सहारे दलबदल कर स्वार्थी नेता हर पार्टी में टिकट पाने मे कामयाब हो जाते है। तभी तो करोडो खर्च करके जो मौकाप्रस्त टिकट पा जाते है, वे चुनाव जीतकर पहले जो चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च किया उसे बटोरेंगे। ऐसे में वे कैसे जनता की सेवा कर पायगे? चुनाव प्रभावित क्षेत्रो से करोड़ों रुपए का काला धन पकडा जाना, चुनाव मे बेतहाशा खर्च की असलियत का जीता जागता प्रमाण है। संविधान लागू होने के इतने वर्षो बाद भी व्यक्ति भूख से मर रहा है,रोजगार को तरस रहा है,अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा है।आज भी पुलिस जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे उठाकर बिना किसी कारण के हवालात में बन्द कर देती है,पुलिस हिरासत में मौत तक हो जाती है। जो चाहे सडक जाम कर मरीजो को अस्पताल जाने से रोक देता है। आज भी कर्मचारी या अधिकारी चाहे तो गरीब को उसके द्वारा घूस न देने के कारण उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते है। आज भी प्राइवेट स्कूलों व प्राइवेट अस्पतालो मे गरीबो के लिए के लिए प्रवेश नही मिल पाता। आरक्षण व्यवस्था लागू होने पर भी उन्हे प्रवेश से वंचित किया जाता है। आज भी गरीब की भूमि पर भूमाफियाओ के कब्जे की शि-ाकायते मिलना आम बात है।आज आमजन नेताओ के झूठे वायदो व भृष्ट अधिकारियो के मायाजाल में फंसकर परेशान है। ऐसे में कैसे, भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी भारतीयों को उनका अपना लोकतन्त्र मिल पाएगा,यह विचार आज के दिन हमे करना चाहिए।यही आज की जरूरत भी है, तभी हम अपने लोकतंत्र को कमजोर होने से बचा सकते है। ●

बलदेव राज भारतीय
स्तंभकार

वास्तव में वेतन-पेंशन के हकदार हैं जनप्रतिनिधि

भारत एक गौरवशाली लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा संविधान, जो लोकतंत्र की नींव और नागरिक अधिकारों का संरक्षक है, लागू हुए 75 वर्षों का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा कर चुका है। हालांकि, विषय विचारणीय है कि संविधान में उल्लिखित आदर्श और सिद्धांत, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना था, उनके अर्थों को समय-समय पर स्वहित में तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही पुरानी हो गई है। यह प्रवृत्ति संविधान के मूल उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण के सपने को धूमिल करने का कार्य करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां शब्दों की परिभाषाएं अक्सर अपने-अपने लाभ के अनुसार गढ़ी जाती हैं। यह विचित्र बात है कि 'जनसेवा' और 'जनसेवक' जैसे शब्द, जिनका सीधा अर्थ होता है - निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना। परन्तु इनके अर्थ का उपयोग अक्सर सत्ता और लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। यह विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए जनसेवक वास्तव में वेतनभोगी कर्मचारी बन जाते हैं और पांच साल की सेवा के बाद भी पेंशन जैसी सुविधाओं के अधिकारी होते हैं।

लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन इस विश्वास के साथ करती है कि वे उनके अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ये प्रतिनिधि संसद (लोकसभा) या राज्य विधानसभाओं में जनता की आवाज बनते हैं। इन्हें 'जनसेवक' कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में इनका कार्य 'सेवा' से अधिक 'सुविधा और लाभ' की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी या निजी संस्थान में नौकरी करता है, तो उसे निश्चित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यह वेतन उसके कार्य और प्रदर्शन के आधार पर तय होता है। इसी तरह, जनप्रतिनिधियों को भी वेतन और अनेक प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। ये भत्ते जनता के पैसों से, यानी करदाताओं के धन से आते हैं। इस प्रकार, इन प्रतिनिधियों का मूल उद्देश्य जनसेवा न होकर एक प्रकार की नौकरी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यहां परिभाषा का एक बड़ा अंतर्विरोध सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति जनसेवक है, तो उसे निःस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जनसेवक के रूप में चुने गए प्रतिनिधि अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते, आवासीय सुविधाएं, और अन्य कई प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं। यह सब इस बात की ओर संकेत करता है कि वे 'सेवक' से अधिक ह्ववेतनभोगी कर्मचारीह्व की भूमिका में हैं। यदि हम इसे एक साधारण कर्मचारी के संदर्भ में देखें, तो एक आम सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20-30 वर्षों तक सेवा करनी होती है। लेकिन जनता के चुने गए प्रतिनिधि केवल पांच वर्ष की सेवा के आधार पर पेंशन के अधिकारी बन जाते हैं। क्या यह व्यवस्था न्यायोचित है?

पेंशन का उद्देश्य है कि सेवा निवृत्त होने के बाद व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। यह उन लोगों के लिए है जो वर्षों तक निरंतर और समर्पित रूप से कार्य करते हैं। लेकिन जब यह सुविधा पांच वर्ष के सीमित कार्यकाल के लिए भी दी जाती है, तो यह न केवल संसाधनों का दुरुपयोग है, बल्कि इसे नैतिकता और न्याय की दृष्टि से भी गलत कहा जा सकता है।

भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और लाखों युवा रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां जनप्रतिनिधियों का इस प्रकार की सुविधाएं लेना कहां की समझदारी है? वैसे भी जिस देश में महात्मा गांधी ने तब तक तन पर एक धोती पहनना ही स्वीकार किया था, जब तक कि समस्त लोगों के तन न ढांपे जा सकें, तो उन्हें अपना आदर्श मानने वाले हमारे जनप्रतिनिधि किस मुंह से इतनी सुविधाएं स्वीकार कर रहे हैं?

यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरी व्यवस्था में जनता की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने से पहले उनके कार्यों, नैतिकता और उनकी सेवा भावना का मूल्यांकन नहीं करती। अक्सर यह चयन जाति, धर्म, या व्यक्तिगत लाभ के आधार पर किया जाता है। यह प्रवृत्ति उन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करती है, जो जनसेवा से अधिक स्व-सेवा में रुचि रखते हैं। आज जनप्रतिनिधि की आय पांच वर्ष के भीतर ही करोड़ों में पहुंच जाती है। पता नहीं जनसेवक बनते ही उनके घर कौन सा कल्पवृक्ष उग आता है कि वे जो भी इच्छा प्रकट करते हैं, वह तुरंत पूरी हो जाती है। धन की वर्षा होने लगती है, आगे पीछे चाटुकारों की फौज घूमने लगती है और ऊपर से भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती।

पेंशन इत्यादि सभी सुविधाओं का इंतजाम जो हो जाता है। जनता को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी सेवा के लिए हैं, न कि अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए। इसके लिए जागरूकता, शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। यह व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि केवल उन जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिले, जिन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की हो और जिनका योगदान स्पष्ट और उल्लेखनीय हो, जो धरातल पर दिखाई देता हो। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते केवल आवश्यकताओं तक सीमित हों, न कि उन्हें विलासिता का साधन बना दिया जाए।

भारत को अन्य लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए। कई देशों में, जनप्रतिनिधियों को पेंशन की सुविधा केवल तभी दी जाती है, जब वे कई वर्षों तक सेवा करते हैं और उनके योगदान को समाज के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त, वहां जनता के पैसों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून और नीतियां लागू की गई हैं।

शब्दों की परिभाषाएं और उनका व्यवहारिक उपयोग समाज की नैतिकता और न्याय का प्रतिबिंब होते हैं। 'जनसेवा' और 'जनसेवक' जैसे शब्दों का सही अर्थ तभी सिद्ध हो सकता है, जब ये निःस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ जुड़े हों। यह आवश्यक है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन सोच-समझकर करे और यह सुनिश्चित करे कि वे सही मायनों में सेवा के लिए प्रतिबद्ध हों। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रतिनिधियों को केवल आवश्यक सुविधाएं दी जाएं और पेंशन जैसी सुविधाओं का दुरुपयोग न हो। यदि हम इस दिशा में सुधार कर पाए, तो ही हमारा लोकतंत्र सही मायनों में 'जनता का, जनता के लिए, और जनता के द्वारा' कहा जा सकेगा। ●

नए संकल्पों से समृद्ध होता गणतंत्र

ललित गर्ग
स्तंभकार

गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन 26 जनवरी, 1950 को हमारी संसद ने भारतीय संविधान को पास किया। इस दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसने ब्रिटिश शासन के भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरह खत्म कर दिया और अपना स्वतंत्र संविधान इसी दिन लागू किया।

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशिष्ट संविधान माना जाता है। भारत की संविधान सभा ने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया और हर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया। नागरिक स्वतंत्रता के जितने अधिकार भारतीय संविधान में हैं उतने दुनिया के किसी अन्य संविधान में नहीं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता संविधान की विशालता एवं समग्रता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान तो है लेकिन इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धमार्नुसार आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की स्पष्ट विवेचना है। इसमें संघात्मकता भी है और एकात्मकता भी है। भारतीय संविधान में सत्ता चयन के लिये संसदीय प्रणाली को सुनिश्चित किया है तथा संचालन के लिये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे तीन अंग सुनिश्चित किये। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों और कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। केन्द्र सरकार को कुछ आपात अधिकार भी दिये गये हैं जिससे वह केन्द्र राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। इतने अनूठे, विलक्षण एवं समग्र संविधान के बावजूद छिहत्तर वर्षों में हमारा गणतंत्र कितनी ही कंटीली झाड़ियों में फँसा रहा। लेकिन अब इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाते हुए संप्रभुता का अहसास होने लगा है। गणतंत्र का जब हम

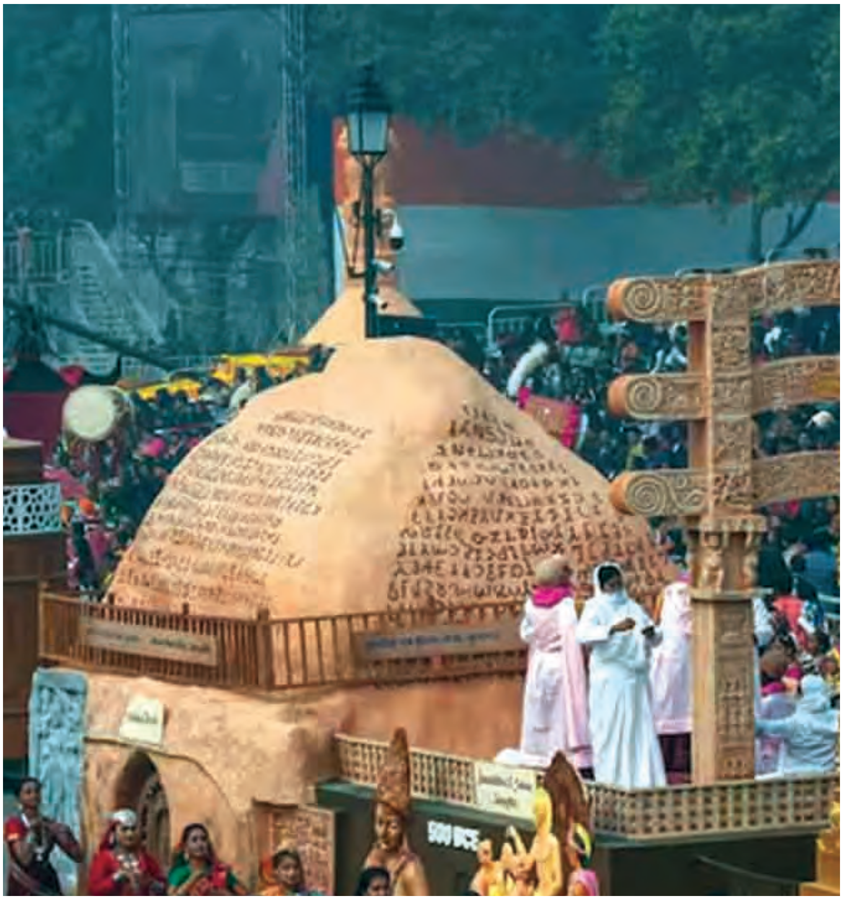

जश्न मनाते हैं, तो उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी जागती है तो अब तक कुछ न कर पाने की बेचैनी भी दिखती है। हमारी जागती आंखो से देखे गये स्वप्नों को आकार देने का विश्वास मुखर होता है तो जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने की तीव्र तैयारी सामने आती है। अब होने लगा है हमारी स्व-चेतना, राष्ट्रीयता एवं स्व-पहचान का अहसास। जिसमें आकार लेते वैयक्तिक, सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थ की सुनहरी छटाएं हैं।

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हमारी उन सफलताओं की ओर इशारा करता है, जो इतनी लंबी अवधि के दौरान अब जी-तोड़ प्रयासों के फलस्वरूप मिलने लगी हैं। यह हमारी विफलताओं पर भी रोशनी डालता है कि हम नाकाम रहे तो आखिर क्यों! क्यों हम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को सुदृढ़ता नहीं दे पाये हैं? क्यों गणतंत्र के सूरज को राजनीतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचार के बादलों ने घेरे रखा है? यह सही है और इसके लिए सर्वप्रथम जिस इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है, वह हमारी शासन-व्यवस्था एवं शासन नायकों में सर्वात्मना नजर आनी चाहिए और ऐसा होने लगा है तो यह सुखद अहसास है। बावजूद अभी भी देश की राजनीति अनेक विसंगतियों एवं विडम्बनाओं से घिरी है। यह विडंबना है कि आजादी की हीरक जयंती मना चुके देश में मतदाता को हम इतना जागरूक नहीं बना पाए कि वो अपने विवेक से मतदान कर सके। निस्संदेह, यदि देश में गरीबी और आर्थिक असमानता है तो हमारे नीति-नियंताओं की विफलता ही है। लेकिन हम में कम से कम इतना राष्ट्र प्रेम तो होना चाहिए कि निहित स्वार्थों के लिये हम राष्ट्रीय हितों की बलि न चढ़ाएं। दिल्ली के चुनाव में मुफ्त-मुफ्त का जो खेल विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान चल रहा है, तीनों प्रमुख रजनीतिक दल नित नये राजनीतिक प्रलोभन देकर मतदाताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास में जुटे हैं।

एक संकल्प लाखों संकल्पों का उजाला बांट सकता है यदि दृढ़-संकल्प लेने का साहसिक प्रयत्न कोई न्याय के साथ शुरू करे।

गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हुए यही कामना है कि पुरुषार्थ के हाथों भाग्य बदलने का गहरा आत्मविश्वास सुरक्षा पाए। एक के लिए सब, सबके लिए एक की विकास गंगा प्रवहमान हो। ●

विजय गर्ग
स्तंभकार

गणतंत्र होने के गहरे अर्थ

गणतंत्र होने का भारत के लिए बहुत गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ है। यह सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के मूल्यों, इतिहास और भविष्य की दिशा को परिभाषित करता है। गणतंत्र ने भारत को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों को खुद तय करने का अधिकार दिया है। इसी की मार्फत देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का हक मिला। भारत में संविधान लागू होने के बाद सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। क्या यह सब सामान्य बातें हैं ?

गणतंत्र देश बनने के बाद सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी बनी और उसे नियमित चुनावों के माध्यम से अपनी नीतियों का हिसाब देना होता है। क्या यह सब राजशाही या गोरी सरकार के वक्त संभव था... नहीं। गणतंत्र ने कानून के शासन की स्थापना की, जिसमें सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आदि। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और कानून सभी नागरिकों को इन अधिकारों की रक्षा करता है। गणतंत्र बनने से भारत में कानून का शासन लागू हो गया। इसी के साथ देश में कानून के शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसका मतलब है कि देश में सभी नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, कानून के समक्ष समान हैं।

कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को कानून का पालन करना होता है। गणतंत्र बनने से पहले, भारत में ब्रिटिश शासन था, जहां कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए जाते थे और उनका उद्देश्य भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना था। उस समय, भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे और उन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अब बात कानून के शासन की स्थापना में गणतंत्र बनने के बाद उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भी कर लेते हैं। भारत के संविधान ने कानून के शासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान ने शक्तियों को सरकार के विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच विभाजित किया, जिससे किसी एक अंग के पास

अत्यधिक शक्ति न हो। देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, जो कानूनों की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को न्याय मिले। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है।

कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार कानून के अनुसार काम करे। समय के साथ, कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया भी स्थापित की गई, ताकि वे बदलते सामाजिक मूल्यों और जरूरतों के अनुसार अनुकूल हो सकें। यह याद रखना जरूरी है कि कानून का शासन लोकतंत्र की नींव है और यह किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक सुरक्षित महसूस करें, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें, सरकार जवाबदेह हो,भ्रष्टाचार खत्म हो और देश में शांति और स्थिरता बनी रहे। हालांकि, यह भी सच है कि भारत में कानून के शासन को पूरी तरह से लागू करने में अभी भी चुनौतियां हैं। गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप भी कानून के शासन को कमजोर करते हैं। फिर भी, भारत में कानून का शासन एक आदर्श है जिसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गणतंत्र बनने से भारत में कानून के शासन की नींव रखी गई। पर अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन देश लगातार एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहा है जहां कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। गणतंत्र ने सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना शामिल है। गणतंत्र ने भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को खुद तय करने का अधिकार दिया, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली। गणतंत्र ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा दिया, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई।

गणतंत्र बनने के बाद भारत की आर्थिक प्रगति का रास्ता कैसे साफ हुआ, इसे समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगाः भारत ने सोवियत संघ से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत की। इनका उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को नियोजित तरीके से विकसित करना। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी दी गई, जबकि निजी क्षेत्र को उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में प्रोत्साहन दिया गया।

जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और भूमि को किसानों के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किए गए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरूआत हुई, जिसके तहत उच्च उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। इससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। किसानों को ऋण और सब्सिडी प्रदान की गई, जिससे उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद मिली। गणतंत्र होना भारत के लिए एक महान उपलब्धि है। यह एक ऐसा राजनीतिक ढांचा है जो हमें संप्रभुता, लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को जीने की अनुमति देता है। यह हमें एक मजबूत, एकजुट और समृद्ध राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। हमें गणतंत्र को बनाए रखने और इसके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आप कह सकते हैं कि गणतंत्र भारत हरेक नागरिक के सुख और सपनों को साकार करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस बारे में किसी तरह की बहस नहीं हो सकती। ●

जीवछ कॉलेज में 76वें गणतंत्र की धूम

प्राचार्य डॉ. 'रमण' ने परिसर के कई महत्वपूर्ण कक्षों का किया उद्घाटन

मुख्य अतिथि के तौर पर साहित्यकार और पत्रकार ए आर आज़ाद हुए शामिल

मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रवीण मिश्रा एवं कवि व शायर डॉ. ताहिर नवेली ने बतौर अतिथि की शिरकत

देश और देश की विभिन्न संस्था एवं संस्थानों की तरह 76वां गणतंत्र दिवस जीवछ महाविद्यालय मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राम नरेश पंडित 'रमण' ने झण्डोत्तोलन किया। मुख्य अतिथि के रूप में कवि, शायर, साहित्यकार एवं राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका दूसरा मत के संपादक ए आर आज़ाद, मोतीपुर मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रवीण मिश्रा एवं कवि व शायर डॉ. ताहिर नवेली शामिल थे।

झण्डोत्तोलन के बाद महाविद्यालय के नव-निर्मित विभिन्न कार्यों का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राम नरेश पंडित ' रमण' ने अपने कर कमलों से किया। उन्होंने चेतना पुष्प परिसर संयुक्त भवन जिसके अंतर्गत 'कौटिल्य' शिक्षक कक्ष, 'आर्यभट्ट' आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ(आई.क्यू.ए.सी.), डॉ. राजेन्द्र प्रसाद परीक्षा नियंत्रण कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, एवं परीक्षा नियंत्रण कक्ष संयुक्त भवन को अत्याधुनिक रूप से सुसज्जित किया गया। इसके साथ ही ब्यॉज कॉमन रूम

से सटे शौचालय भवन एवं पुराने भवन के लिए नव-निर्मित सीढ़ी एवं महाविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नाम की अंकित पट्टिका का उद्घाटन इसमें सम्मिलित है।

झण्डोत्तोलन एवं नव-निर्मित निर्माण कार्यों के उद्घाटन के बाद प्राचार्य की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम सह काव्य-गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राम नरेश पंडित 'रमण' ने इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर अपने संबोधन में सभी कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं एवं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने 76 वर्षों में अपने अथक प्रयत्नों से अपने देश को एक नई अंतराष्ट्रीय पहचान दिलाई है, जो हम सब देशवासियों के लिए हर्ष और गर्व का विषय है।

इस मौके पर प्राचार्य ने अपनी कविताओं के माध्यम से भी देशभक्ति का संदेश दिया। प्राचार्य के अलावा अतिथियों एवं शिक्षकों ने भी अपने विचार एवं रचनाओं से देशभक्ति का संदेश दिया। महाविद्यालय के शिक्षक डॉ. बिन्दा राम, डॉ. अम्बुजेश कुमार मिश्र, डॉ. जयपाल कुमार, डॉ. अरविन्द कुमार, डॉ. शिवनंदन प्रसाद, डॉ. रितु किशोर, डॉ. आशा कुमारी एवं आगत अतिथियों ने भी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं देशप्रेम की भावना प्रकट की।

कार्यक्रम के दौरान दूसरा मत के संपादक ने प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राम नरेश पंडित 'रमण' को शॉल एवं अपनी हाल में विमोचित सात पुस्तकों में से चार पुस्तकें एवं दूसरा मत का साहित्य विशेषांक भेंट की।

इस मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक डॉ. आशा कुमारी, डॉ. निर्भय कुमार सिन्हा, डॉ. दिनेश कुमार एवं कर्मचारी अरविन्द कुमार, प्रभाकर मिश्र, सुमित कुमार, मनोज कुमार, विजय कुमार एवं आनंद कुमार सहित अन्य सभी कर्मचारी और अधिकांश संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

कार्यक्रम के बाद प्राचार्य कक्ष में अतिथियों का स्वागत किया गया। प्राचार्य रमण ने अतिथि ए आर आज़ाद एवं डॉ. ताहिर नवेली को प्रतीक चिह्न एवं डायरी भेंट की।

ब्यूरो रिपोर्ट दूसरा मत

...जो डूबा सो पार

मनुष्य के जीवन में एक प्रेम ही तो है जो रंग भरता है। इसलिए तो ईश्वर ने भी जगत की शुरुआत प्रेम से ही की है। 'आदम' और 'ईव' प्रेम के बेहतरीन प्रतीक हैं। यहां से जो संसार को प्रेम की मशाल मिली, उस मशाल को लैला-मजनूं, हीर-रांझा से लेकर शीरीं-फरहाद तक ने जलाए रखा और आज भी उस मशाल की रोशनी गवाही दे रही है कि प्रेम अभी जवान है।

▸▸ ए आर आजाद

प्रेम सरसों के खेत में पतंग लेकर खड़ी लड़की का प्यार भी है, और गांव की पगडंडी से होते हुए प्रेमी के साथ शहर भागने का नाम भी है। प्रेम एक आनंद भी है, और प्रेम उस आनंद में भाव-विभोर होकर उस एहसास को अपने सीने में समेटने का नाम भी है, जिस दर्द को सीने से निकालते हुए मीरा को कहना पड़ता है कि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय।

वास्तव में वह प्रेम ही तो है-जहां दर्द है, वहीं खुशी है, जहां खुशी है, वहीं दर्द है। दर्द और दिल का रिश्ता कब छुपा है और जिसने भी इसे छुपाने की कोशिश की है, क्या वह छुपा पाया है? हमारा आस्तिक समाज प्रेम को लेकर सदा से नास्तिक रहा है। समाज ने भगवान बुद्ध के इस कथन को कब माना है कि बैर और हिंसा नरक के द्वार हैं।

सामाजिक अंतर्द्वंद्व ने प्रेम को सूली पर लटकाने में बड़ा योगदान दिया है। आज भी प्रेमी युगल समाज से उसी तरह बहिष्कृत किए जा रहे हैं, जैसे सदियों पहले से होता रहा है। तब्दीली सिर्फ प्यार के रूप में हुई है, प्यार की मान्यताओं में नहीं। जरा याद कीजिये जीसस को। क्या वे इससे बच पाए? 'मैं तो प्रेम दीवानी' का दर्शन देने वाली मीरा के विषपान को कैसे भूला जा सकता है? महिवाल के वियोग में सोहनी की जलसमाधि किसे याद नहीं है! लैला की चाहत में मजनूं का सार्वजनिक दंड आज भी प्रेम दीवानों के रोंगटे खड़े कर देता है। मुहब्बत की चाहत में मंसूर की हत्या हो जाती है और सरमंद का सर कलम। सबका एक ही गुनाह होता है- प्रेम। सजा तो रोमियो को भी दी गई देश से निकाल कर। शाहजहां तक नहीं बचे। प्रेम का प्रतीक ताजमहल आज भी शाहजहां के मुमताज से बेहपनाह प्यार का एहसास कराता है जिसके वियोग में उन्होंने प्रेम का ऐसा महल बना दिया, जिस पर हर प्रेमी को आज भी फख्र है, नाज है। क्या वो बच पाए? नहीं न! उनके ही बेटे औरंगजेब ने काल कोठरी में डाल दिया। वहीं उनकी मौत भी हो गयी।

मौत या दंड प्रेम के अतिरेक से उपजे पुरस्कार हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रेम कभी बूढ़ा नहीं हुआ। प्रेम हवा की तरह सच्चे मन की सांसों में प्रवाहित होता रहा है। तभी तो किसी कवि को यह कहना पड़ा कि

तुम हवा हो
और
मैं
खाली बरतन
जब जब
मैं
अकेला होता हूं
तुम
मुझमें होती हो.....

प्रेम आज भी जीवंत है तो जाहिर है कि प्रेम इस युद्ध में अजेय है। मुहब्बत अपना वजूद तलाशती हुई एक अनुभूति है, जो हमें किसी से जुड़े रहने के लिए हद के पार जाकर बेचैन करती है। इसी बेचैनी को शिद्दत के साथ महसूस करते हुए 800 साल पहले अमीर खुसरो ने प्रेम दीवानों को अपने

अनुभव से समझाने की कोशिश की थी। कहा था कि ''खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार।''

खुसरो प्रेमी मन को प्रोत्साहित करते हुए आगे कहते हैं कि ''खुसरो और 'पी' एक हैं, पर देखन में दोय। मन को मन से तोलिये, तो दो मन कबहुं न होय।। ''

प्रेम में आसक्ति है तो शक्ति भी है। और यही शक्ति जिसमें आ जाती है, वो प्रेम के सोपान पर खुद ब खुद चल पड़ता है। महान दार्शनिक लाओत्से का मत है कि किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है, और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है।

आज वैलेंटाइन डे के नाम पर प्यार का जो जश्न मन रहा है, दरअसल उसका एहसास भी हमें संत वैलेंटाइन ने ही कराया था। प्रेम करने वालों की ही तरह प्रेम कराने वालों का भी अंजाम होता है- यह सबक विश्व को रोम से मिला। कैथोलिक चर्च के पादरी संत वैलेंटाइन प्रेम को परवान चढ़ा रहे थे। वे प्रेमी युगलों का खामोशी से विवाह करा रहे थे और पूरे रोम को प्रेम का संदेश बांट रहे थे। उनकी यह बात वहां के सम्राट क्लोडियस को इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें काल कोठरी में कैद करने के बाद मौत की सजा दे दी। जिस दिन उनकी मौत हुई वह तारीख 14 फरवरी थी।

प्रचलन और परंपरा कभी-कभी सच्चाई को रौंद देती है। शायद यही वजह है कि जिस दिन दुनिया को गम मनाना चाहिए, उस दिन विश्व प्रेमपाश में सिमटता और प्रेम का इजहार करता हुआ नजर आता है।

वैसे इसका दूसरा पहलू भी काफी रोचक है। फरवरी में वसंत का आगमन होता है। वसंत को भारतीय संस्कृति में प्रणय का मौसम कहा गया है। और वसंत पंचमी से लेकर होली तक के इस काल में प्रेम का एहसास कुछ इस तरह से होता रहा है कि इस समय को प्रेम पर पैनी नजर रखने वालों ने 'रति' और 'कामदेव' का समय तक कह डाला है।

शायद इसीलिए तो थॉमस कार्लाइल ने एक प्रेम से भरे हृदय को सभी ज्ञान का प्रारंभ माना है। सच भी यही है कि प्रेम का दायरा संकुचित नहीं है। यह विस्तृत आकाश में विचरण करता है। जब एहसास की डोर थामकर विश्वास के सहारे किसी को समर्पित हो जाने के लिए कोई नायिका बाहें फैलाए भागती है तो वह क्षण सदियों तक सुखद रहता है और जब संबंध बनता है तो जन्म-जन्मांतर का भी हो जाता है। कुछ प्रेम असफल होते है। तब मन के अंदर उठे गुबार को शांत करते हुए जार्ज बर्नाड शॉ कहते हैं कि दुनिया में दो ही दुख हैं- एक तुम जो चाहो वह न मिले और दूसरा तुम जो चाहो वह मिल जाए। और मैं कहता हूं कि दूसरा दुख पहले से बड़ा है।

गौर करने वाली बात यह है कि सदियों से लेकर आज तक और रूढ़िवादिता से लेकर उच्श्रृंखलता तक प्रेम की रफ्तार कभी धीमी नहीं हुई है। हां, इतना सच है कि कोई प्रेम अपने मुकाम पर पहुंच गया, किसी प्रेमी का दम प्रेमिका की चौखट पर पहुंचने से पहले ही घुट गया। प्यार में किसी का हौसला और बुलंद हुआ, तो कोई बीच रास्ते में टूट गया। प्रेम का रास्ता कांटों भरा है। लेकिन कांटों में ही गुलाब है। जिसने कांटों की चुभन को बर्दाश्त कर लिया, उसने गुलाब को पा लिया। गुलाब कांटों से निपटने का सलीका भी सिखाता है, और सीख भी देता है। इसीलिए तो गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना गया है। यह प्रतीक ताजमहल से लेकर खजुराहो तक हैं। दोनों के दर्शन अलग हैं लेकिन संदेश एक है।

इस संदर्भ में आचार्य रजनीश का दर्शन कहता है कि जिनके प्रेम सफल हो गए हैं, उनके प्रेम भी असफल हो जाते हैं। इस संसार में कोई भी चीज सफल हो ही नहीं सकती। वो आगे कहते हैं कि बाहर जिसे हम तलाशने चलते हैं, वह भीतर है और जब तक हम बाहर से बिल्कुल न हार जाएं, तब तक हम भीत लौट भी नहीं सकते। यहां रजनीश प्रेमी युगल के प्रेमपाश से आगे निकल जाते हैं। और मीरा, कबीर, नानक के प्रेम को जीवंत करते हुए कहते हैं कि यहां से कोशिश करो, वहां से कोशिश करो। इसके प्रेम में पड़ो, उसके प्रेम में पड़ो सब तरफ से हासिल यही होगा। अंततः तुम पाओगे कि हाथ में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राख के सिवा कुछ हाथ में नहीं रह गया। धुआं ही धुआं लेकिन मैं उस लपट की बात कर रहा हूं, जहां धुआं होता ही नहीं । मैं उस जगत की बात कर रहा हूं जहां आग जलाती नहीं जिलाती है।

प्रेम का अपना विस्तार है। कहीं सिमट जाता है, कहीं संकुचित हो जाता है कहीं फैल जाता है और कहीं आकुल उड़ान के लिए पूरा आसमान दे देता है प्रेम में मिलन और टूटन की अपनी-अपनी कहानी है। प्रेम में बिछुड़न एक समस्य भी है और समाधान का रास्ता भी। जब प्रेम टूटन, घुटन की पगडंडी पर चलने लगता है, तब वह प्यार शोषण के आरोप से मुक्त भी नहीं हो पाता है। तब ऐस प्यार प्रेमिका और प्रेमी दोनों के एक दूसरे के मन में दबी शोषण की आकांक्षा क प्रतीक बन जाता है। और उस घरौंदे को टूटने का विकल्प भी खुद-ब-खुद मिल

जाता है। प्यार देना जानता है, जब प्यार लेने लगता तब वह प्यार प्यार नहीं, बाजारू हो जाता है। युग-युग से चली आ रही परंपरा में प्यार का कोई बाजार नहीं होता।

प्यार का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन प्यार अक्सर धर्म, जाति, बिरादरी औ परंपरा के दायरे में सिमटने पर मजबूर हो जाता है। प्यार पर परंपरा जब सवार हो जाती है, तब नेपाली को कहना पड़ता है-

हमारे-तुम्हारे विरह ने पिया
मजहबों के चलन को जन्म दे दिया
मस्जिदें रास्ते पर खड़ी हो गईं
मंदिरों ने हमारा धर्म ले लिया।

और तब सामाजिक विषमताओं पर अपनी दृष्टि फैलाने पर मजबूर होना पड़त है। तब यह मालूम होता है कि प्रेम की लोककथाएं हजारों वर्ष बाद भी अपनी स्मृतियों को कैसे धुंधला नहीं होने दे रही हैं। झारखंड का छैला संदू कथा, छत्तीसगढ़ की लोरिक चंदा की कहानी, उत्तराखंड के राजुला-मालूशाही कि किंवदंतियां औ राजस्थान की जेठवा-उजली की दास्तान के साथ-साथ कच्छ के ढोला-मारू क अफसाना आज भी लोगों की जुबान पर है। ■

तब तक मत कहना बापू

मुझे बापू मत कहो
मैं मोहनदास हूं
जो हमेशा देश का दास बनकर रहा
देश
सदा धड़कन की तरह मेरे दिल में रहा

देश को बर्बाद करने का मंसूबा लिए कुछ
लोगों ने
मेरे दिल को चाक कर
कलेजे को छलनी करते हुए
दिल से धड़कन को जुदा कर दिया

मैं प्रतिकार नहीं कर सका
मैं प्रतिघात नहीं कर सका
मैं यलगार नहीं कर सका
मैंने सबकुछ ईश्वर पर छोड़ दिया
इतना कहते हुए- हे राम!

मेरे प्राण पखेरू हो गए
मेरे सपने जो देश के सपने थे
वो हक़ीक़त बनते-बनते रह गए

देश
बनता-बनता
धीरे-धीरे बिखरता चला गया

देश की अस्मिता
संप्रभुता और अखंडता को
विविधता की एकता की चादर में
जो लपेटा था-
वह मेरे हे राम! के साथ
मानो
किसी अपरिपक्व सोच के कोहरे
या नासमझी की धुंध की चादर में बंधता
चला गया

मुझे तमाशा बना दिया गया
बापू बनाकर नुमाइश की चीज़ बना दी गई
कभी दफ़्तरों में
मेरी तस्वीर लगाकर
कभी नोटों पर तस्वीर चस्पा कर

डाक टिकटों पर भी मेरा नाम
यानी सड़कों से लेकर पुल तक
और अस्पताल से लेकर स्कूल तक

मेरे नाम पर सियासत फलने लगी
मेरे विरोध पर सियासत फूलने लगी
दोनों विचाधाराओं ने
मेरा नाम लिया

दफ़्तरों में मेरे चित्र के सामने
टेबुल के कभी नीचे से
कभी टेबुल के ऊपर से
कभी खुले में
और कभी लिफ़ाफ़े में
मेरी तस्वीर वाले नोटों को
जमकर भ्रष्टाचार का ज़रिया बना दिया गया

मैं जिस उसूल के लिए
ज़िंदगी भर मरता रहा
उसे मरने के साथ ही मार दिया गया

सच मेरे औज़ार थे
सच मेरे हथियार थे
सत्य मेरी ताक़त थी

लेकिन
उसी सत्य को पथ से अलग कर दिया गया
सत्य-पथ देश के प्राण थे
उसपर आघात किया गया

दुःखद
मेरे अंतिम व्यक्ति के विचार को
सूली पर लटका दिया गया
आदर्श जैसे शब्द को बेमाना कर दिया गया

राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और राष्ट्रप्रेम को
महज़ चुनाव जीतने का हथियार बना दिया गया
हथकंडा बना दिया गया
जुमला बना दिया गया

इस छाती को
पिस्टल की गोली ने जितनी छलनी नहीं की
कहीं उससे ज़्यादा
धूर्त नेताओं के स्लोगन ने
मेरे हृदय पर हथौड़ा बजाया

न जाने कितने स्लोगनों ने
सच्चाई को रौंद डाला
उसे ज़िंदा दफ़न कर दिया
सारे के सारे नारे
महज़ धोखे और ठगने के हथकंडे साबित हुए

जो देश
धूर्तता की चोट खाकर बाहर निकला हो
उसी देश को
फिर से धूर्तता
और
अन्याय के समागम
और
संगम में बांध दिया गया

मैंने अपने जीवन में
भारत के लिए
बेहतर हिंदुस्तान की तस्वीर खींचीं थी
जो
अतीत के आर्यावर्त से सबक़ लेकर
भविष्य का इंडिया बना सके

सुनहरे भविष्य की कल्पना को
ज़िंदा मार दिया गया
ठीक मेरी तरह

उन हाथों का
मेरा मारना चलो ठीक था
लेकिन
उन हाथों और उन सोचों से
देश का मरना ठीक नहीं

लोगों ने मेरी मौत पर क्या किया
देश की इस सदगति पर क्या करेंगे
लोगों में एक फ़ितरत समाई हुई है
वे शक्ति की पूजा करते हैं
चाहे सामने वाला साधु हो या शैतान

ज़ाहिर है
शैतानों ने इस फ़ितरत को समझ लिया
और
साधु के ध्यान
और
तपस्या की क़ीमत
इंसानी बाज़ार में
कौड़ी के भाव की रह गई

ज़ाहिर है
लम्पटों को अपना रक्षक मानने की प्रवृत्ति
पराकाष्ठा तक पहुंची
और
नतीजे में रक्षक से भक्षक बनने की
नई क्रांति
इंडिया की ज़ीनत बनकर रह गई

देश के लोग
दिवालिया पर भी दीवाली मनाने लगें
आपदा की सूरत में
छाती पीटने की जगह
थाली और ताली पीटने लगे

अब
देश के लोगों में
दुःख में
ख़ुशी का इज़हार करने की आदत डाल दी गई है

चलो अच्छा है
देश बदले, न बदले
लोग बदल गए हैं
उनमें आ गई है ख़ामोशी के साथ
दासता सहने की असीम शक्तिशाली सहनशक्ति

देश को
बाहरी आक्रमण से
अब ख़तरा नहीं है
देश
अब अंदुरुनी आक्रांता की चंगुल में है

ऐ मेरे वतन के लोगों!
जब
इस चंगुल से निकलने की छटपटाहट
मन के भीतर आक्रोश जगा दे
तो आंखें मूंदकर
एक बार कहना बापू
कोई न कोई जानी-अनजानी सूरत
तुम्हारी छटपटाहट के निराकरण के लिए
सामने खड़ी होगी

हां!
तुममें जब तक
ऐसी बेचैनी न दिखे
तब तक
मुझे मत कहना बापू
मैं तब तक
तुम्हारे लिए मोहनदास हूं
सिर्फ़ मोहनदास ...!
सिर्फ़ मोहनदास हूं....!! ●

ए आर आज़ाद

कितने पाकिस्तान

कमलेश्वर

कितना लम्बा सफर है ! और यह भी समझ नहीं आता कि यह पाकिस्तान बार-बार आड़े क्यों आता रहा है। सलीमा ! मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं तेरा...तब तूने क्यों अपने को बिगाड़ लिया ? तू हंसती है...पर मैं जानता हूं, तेरी इस हंसी में जहर बुझे तीर हैं। यह मेहंदी के फूल नहीं हैं सलीमा, जो सिर्फ हवा के साथ महकते हैं।

हवा ! हंसी आती है इस हवा को सोचकर। तूने ही तो कहा था कि मुझे हवा लग गयी है। याद है उन दिनों की ?

तुम्हें सब याद है। औरतें कुछ नहीं भूलतीं, सिर्फ जाहिर करती हैं कि भूल गयी हैं। वे ऐसा न करें तो जीना मुश्किल हो जाए। तुम्हें औरत या सलीमा कहते भी मुझे अटपटा लगता है। बन्नो कहने को दिल करता है। वही बन्नो जो मेहंदी के फूलों की खुशबू मिली रहती थी। जब मेरी नाक के पास मेहंदी के फूल लाकर तुम मुंह से उन्हें फूंका करती थीं कि महक उड़ने लगे और कहा करती थीं"इनकी महक तभी उड़ती है जब हवा चलती है..."

सच पूछो तो मुझे वही हवा लग गयी। वही हवा, बन्नो ! पर अब तुम्हें बन्नो कहते मन झिझकता है। पता नहीं खुद तुम्हें यह नाम बर्दाश्त होगा या नहीं। और अब इस नाम में रखा भी क्या है।

मेरा मन हुआ था कि उस रात मैं सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ जाऊं और तुमसे कुछ पूछूं ,कुछ याद दिलाऊं। पर ऐसा क्या था जो तुम्हें याद नहीं होगा !

ओफ ! मालूम नहीं कितने पाकिस्तान बन गये एक पाकिस्तान बनने के साथ-साथ। कहां-कहां, कैसे-कैसे, सब बातें उलझकर रह गयी। सुलझा तो कुछ भी नहीं।

वह रात भी वैसी ही थी। पता नहीं पिछवाड़े का पीपल बोला था या बदरू मियां"कादिर मिया/ !...बन गया साला पाकिस्तान...भैयन, अब बन गया पूरा पाकिस्तान..."

कितनी डरावनी थी वह चांदनी रात नीचे आंगन में तुम्हीं पड़ी थीं बन्नो...चांदनी में दूध-नहायी और पिछवाड़े पीपल खड़खड़ा रहा था और बदरू मियां की आवाज जैसे पाताल से आ रही थी"कादिर मियां !...बन गया साला पाकिस्तान..."

दोस्त ! इस लम्बे सफर के तीन पड़ाव हैं पहला, जब मुझे बन्नो के मेहंदी के फूलों की हवा लग गयी थी, दूसरा जब इस चांदनी रात में मैंने पहली बार बन्नो को नंगा देखा था और तीसरा तब, जब उस कमरे की चौखट पर बन्नो हाथ रखे खड़ी थी और पूछ रही थी"और है कोई ?"

हां था। कोई और भी था।...कोई।

बन्नो, एक थरथराते अन्धे क्षण के बाद हंसी क्यों थीं ? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा ! तू किससे बदला ले रही थी ? मुझसे ? मुनीर से ? या पाकिस्तान से ? या किसे जलील कर रही थी मुझे, अपने को, मुनीर को या...

पाकिस्तान हमारे बीच बार-बार आ जाता है। यह हमारे या तुम्हारे लिए कोई मुल्क नहीं है, एक दुखद सचाई का नाम है। वह चीज या वजह जो हमें ज्यादा दूर करती है, जो हमारी बातों के बीच एक सन्नाटे की तरह आ जाती है। जो तुम्हारे घरवालों, रिश्तेदारों या धर्मवालों के प्रति दूसरों के एहसास की गहराई को उथला कर देती है। तब उन दूसरों को उनके इस कोई के दुख उतने बड़े नहीं लगते जितने वे होते हैं, उनकी खुशी उतनी खुशी नहीं लगती जितनी वह होती है। कहीं कुछ कम हो जाता है। एहसास की कुछ ऐसी ही आ गयी कमी का नाम शायद पाकिस्तान है यानी मेहंदी के फूल हों, पर हवा न चले, या कोई फूँक मारकर उनमें गन्ध न पैदा करे। जैसे कि फूल हों, रंग न हो। रंग हो गन्ध न हो। गन्ध हो, हवा न हो। यानी एहसास की रुकी हुई हवा ही पाकिस्तान हो।

सुनो, अगर ऐसा न होता तो मुझे चुनार छोड़कर दरवेश क्यों बनना पड़ता ? वही चुनार जहां मेहंदी फूलती थी। मिशन स्कूल के अहाते के पास जहां से हम गंगा घाट के पीपल तले आते थे और राजा भरथरी के किले की टूटी दीवार पर बैठकर इमलियां खाया करते थे।

वह शाम मुझे अच्छी तरह याद है जब कम्पाउंडर जामिन अली ने आकर दादा से कहा था"और तो कुछ नहीं है, पर लोग मानेंगे नहीं। मंगल को कुछ दिनों के लिए कहीं बांजार भेज दीजिए। यहां रहेगा तो बन्नो वाली बात बार-बार उखड़ेगी। शादी तो नहीं हो पाएगी, दंगा हो जाएगा।"

तुम नहीं सोच सकते कि सुनकर मुझपर क्या बीती थी ! चुनार छोड़ दूं ,फिर छूट ही गया...कैसी होती थीं चुनार की रातें...गंगा का पानी। काशी जाती नावें। भरथरी के किले की सूनी दीवारें और गंगा के किनारे चुंगी की वह कोठरी जिसमें छप्पर में बैठकर मैं बन्नो के आने-जाने का अन्दांज लगाया करता था। नालियों की धार से फटी जमीन वाली वे गलियां जिनसे बन्नो बार-बार गंगा-किनारे आने की कोशिश करती थी और आ नहीं पाती थी। इन्तजार...इन्तजार...

हमें तो यह भी पता नहीं चला था कि कब हम बड़े मान लिये गये थे। कब हमारा सहज मिलना-जुलना एकाएक बड़ी-बड़ी बातों को बायस बन गया था।

बस्ती में तनाव पैदा हो जाएगा, इसका तो अन्दाज तक नहीं था। यह कैसे और क्यों हुआ, बन्नो ? पर तुम्हें भी क्या मालूम होगा। फिर हमने बात ही कहां की ?

तीनों पड़ाव ऐसे ही गुजर गये कहीं रुककर हम बात भी नहीं कर पाए। न तब, जब मेहंदी के फूलों की हवा लगी थी; न तब, जब उस चांदनी रात में तुम्हें पहली बार नंगा देखा था; और न तब, जब चौखट पर हाथ रखे तुम पूछ रही थींऔर है कोई !

मेहंदी के फूल

चुनार ! मेरा घर, तुम्हारा घर ! मेरे घर से गुजरती थी ईंटोंवाली गली जो शहर-बांजार को जाती थी। जो गंगा के किनारे-किनारे चलकर भरथरी महाराज के किले

के बड़े फाटक तक पहुँचती थी।

जहां से सड़क किले की ओर मुड़ती थी, वहीं थी चुंगी। गंगा-घाट पर लगने वाली नावों से उतरे सामान पर महसूल लगता था। मछली, केंकड़े, कछुए आते थे, मौसम में उस पार से आम भी आते थे। चुंगी वाले मुंशीजी दिन-भर रामनाम जपते और महसूल के बदले में जिंस लेते रहते थे। वे दिन में दस बार पीपल तले के महादेव को गंगाजल चढ़ाते थे और छप्पर में बैठकर तीन-चार लड़कों को पढ़ाया करते थे।

चुंगी के पास कोहनी जैसा मोड़ था, बाईं तरफ खरंजों की सड़क किले को जाती थी, दाईं तरफ से आकर जो सड़क मिलती थी, वह कच्ची थी। उस कच्ची सड़क पर नालियों ने रास्ते बना लिए थे, जिनका पानी गंगाघाट की रेत में सूखता रहता। इसी कच्ची सड़क पर कई गलियां नालियों के साथ-साथ उतरती थीं बहते पानी से कटी-फटी गलियां ! यही गलियां बन्नो की गलियां थीं।

जहां बन्नो की गलियां खत्म होती थीं, वहां से पथरीली सड़क मिशन स्कूल तक जाती थी जो अंग्रेजों की पुरानी कोठी थी। यहीं पर थी मेहंदी की बाड़ और धतूरों का मैदान।

इस धतूरे के मैदान ने मुझे बड़ा दुख दिया था। जब बस्ती में मुझे और बन्नो को लेकर तनाव पैदा हो गया था तो एक बार बन्नो जैसे-तैसे चुंगी तक आयी और बोली थी "मौलवी साहब के साथ वाले अगर ज्यादा बदमाशी देंगे मंगल, तो मैं धतूरे खाकर सो जाऊंगी। तुम शहर छोड़कर मत जाना। तुमने शहर छोड़ा तो गंगाजी यहां हैं, सोच लेना...।"

ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वह चली गयी थी। मैं कुछ बता भी नहीं पाया था कि मेरे घर में क्या कोहराम मचा हुआ है, कि कैसे रोज बाजार में दादा जी को वे लोग धमकियां दे रहे थे जिन्हें वे पहचानते तक नहीं थे। सभी को डर था कि कहीं किसी दिन मेरी हत्या न कर दी जाए या रात-बिरात कहीं मुसलमान घर में न घुस पड़ें।

पाकिस्तान तो बन चुका था बन्नो, उसके बाद भी तुम्हारे अब्बा भरथरीनामा लिख रहे थे माता जी पिछले तप से नृप बना, अब नृप से बनूं फकीर।

आंखिर वक्त वफात के, हर होंगे दिलगीर॥

तेरे अपनी खल्क सुपुर्द करी उनके सिर पर सर गरदान किया।

बर्बाद सब सल्तनत करी बन जोगी मुल्क वीरान किया।

लोग कहते थे ड्रिल मास्टर का दिमाग बिगड़ गया है जो भरथरी-नामा लिख रहे हैं। यह तुरक नहीं है, यहीं का कोई काछी-कहार है। तभी हमें पता चला था कि मुसलमान वही है जो ईरानी-तूरानी है, यहां का मुसलमान भी मुसलमान नहीं है...ड्रिल मास्टर साहब को सबने अलग-सा कर दिया था, पर उन्हीं की बन्नो की बात लेकर सब खड़े हो गये थे। जैसे वे ज्यादा बड़े सरपरस्त थे।

तुम्हें नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है बन्नो, ड्रिल मास्टर साहब ने कुछ भी नहीं कहा था, इसके सिवा कि जो मौलवी साहब और बाकी लोग ठीक समझें, वही ठीक होगा। वे खुद कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। एक दिन छिपकर आये थे और दादाजी के पास रो पड़े थे। उस दिन के बाद वे भरथरीनामा तो लिखते रहे थे पर किसी को सुनाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे लिखते रहे, इसका पता मुझे वक्त मिला था जब घरवालों की घबराहट और खुद कुछ न समझे पाने, तय न कर पाने के कारण मैं शहर छोड़ रहा था और चुंगी वाले मुंशीजी ने मुझे चुपचाप विदाई देते-देते एक पुरजा मेरे पसीने से तर हाथ में थमा दिया था।

वह रात बहुत डरावनी थी। बस्ती पर काल मंडरा रहा था। सब दहशत के मारे हुए थे। पता नहीं कब क्या हो जाए। कब 'या अली, या अली' की आवाजें उठने लगें और खनखराबा हो जाए। गंगा भी उस दिन घहरा रही थी। तट का पीपल भी अशान्त था। बहुत तेज हवा थी। किला सायं-सायं कर रहा था और पांच-सात हिन्दुओं के साथ हां, कहना पड़ता है बन्नो, हिन्दुओं के साथदादा मुझे स्टेशन छोड़ने आ रहे थे ताकि मैं जिऊं-जागूं...कहीं भी परदेस में रहकर। पहले सोचा गया कि मामा के यहां जौनपुर चला जाऊं और वहां रेलवे वर्कशाप, कुर्ला, में काम कर रहे मौसा के पास रहूं वहीं नौकरी ढूंढ़ लूं।

कैसी थी वह रात, बन्नो ! और कितना बेइज्जत होकर मैं निकल रहा था। दिमाग में हजारों हथौड़े बज रहे थे। एक मन करता था कि लौट पड़ूं, घर से गंड़ासा उठाऊं और तुम्हारे 'उन मुसलमानों' पर टूट पड़ूं। खून की होली खेलकर तुम्हें जीतूं और न जीत पाऊं तो तुम्हें भी मारकर गंगा में जल-समाधि ले लूं।

पर कहीं दहशत भी होता था और यह ख्याल भी आता था कि ड्रिल मास्टर साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा है। मुखालफत भी नहीं कि है...सिवा इसके कि वे चुप रह गये हैं, उन्हें भरथरीनामा लिखना है। अब लगता है कि वे भरथरीनामा न लिख रहे होते तो शायद इतना विरोध न होता...

शहर को साँप सूंघ गया था। दादा को बता दिया था कि अगली सुबह मेरी शक्ल न दिखाई दे। आधी रात तक सोचना-विचारना चलता रहा, फिर आखिरी गाड़ी रह गयी थी पार्सल, जो मुगलराय जाती थी।

हां, पांच-सात हिन्दुओं के साथ मुझे स्टेशन तक पहुंचाया गया। हम बाजार वाली सड़क से भी नहीं आये। किले वाले सुनसान रास्ते से स्टेशन की सड़क पकड़ी थी। मुंशी जी लालटेन लिए पक्की सड़क तक आये थे। और तभी वह पुरजा उन्होंने पसीजी हथेली में थमा दिया था। वहां तो रोशनी थी नहीं। स्टेशन पर सब साथ थे। पार्सल ढाई बजे रात को छूटी थी। दादा जी कितने परेशान-बेहाल थे। सब बहुत डरे हुए, अपमानित, और शायद इसीलिए बहुत खूंख्वार भी हो रहे थे। लग रहा था कि मुझे शहर से हटा देने के बाद दंगा जरूर होगा। अब ये लौटकर जाने वाले हिन्दू दंगा करेंगे। ढलती रात में ये सोते हुए मुसलमानों को चीर-फाड़ डालेंगे। हिन्दू का हिन्दू होना भी कितना तकलींफदेह हैं बन्नो...यह होते ही कुछ कीमती घट जाता है।

बहुत तकलीफदेह थी वह विदाई। उतरती रात की हवा में खुनकी थी और स्टेशन पर पत्थर का फर्श काफी ठंडा था। सामने विंध्या की पहाड़ियां और ताड़ के पेड़ चुपचाप खड़े थे।

अब तुम्हें क्या बताऊं...क्या कभी सोचा था कि इस तरह मेरा घर छूट जाएगा? अपने शहर से बेइज्जत होकर कोई कहीं भी चैन नहीं पाता। मुझे वे गलियां याद आ रही थीं जिनमें बन्नो आने की कोशिश करती थी। मैं चुंगी पर बैठकर कितनी प्रतीक्षा करता था और जहां मेहंदी के फूल पड़े दिखाई देते थे, समझ लेता था कि बन्नो यहां तक आ पायी है। आगे नहीं बढ़ पायी। किसीने देख लिया होगा, टोका होगा या रोका होगा।

सच कहता हूं तुमसे, उसी दिन से एक पाकिस्तान मेरे सीने में शमशीर की तरह उतर गया था। लोगों के नाम बदल या अधूरे रह गये थे। बस्ती में हवा का बहना बन्द हो गया था। और लगा था कि बन्नो घिर गयी है। शर्म, डर, गुस्सा, आंसू, खून, बदह-वासी, पागलपन, प्यारक्या-क्या उबल-धधक रहा था मेरे भीतर। सच कहूं तो यह सब होने के बाद अगर बन्नो मिल भी जाती तो कुछ नहीं होता। जो होना था, हो चुका था।

पार्सल गाड़ी में बैठकर वह पुरजा पढ़ा था। तुम्हारे पास वही कहने को था जो मास्टर साहब के पास था। उसी पुरजे से पता चला कि मास्टर साहब भरथरीनामा लिखते जा रहे हैं

क्यों बनता दरवेश छोड़ दल लश्कर फौज रिसाले को।

क्यों बनखंड में रहता है तज गुल नरगिस गुललाले को॥

क्यों भगवा वेष बनाता है तज अतलस शाल दुशाले को।

क्यों दर-दर अलख जगाता है तज कामरु ढाके बंगाले को॥

क्यों हुआ सैदाई ! छोड़ सब बादशाही॥

हां...सैदाई ही कह लो...अतलस शाल-दुशाले और नरगिस गुलेलाला सब कुछ तो था सचमुच। नीम, आक, मेहंदी और धतूरे के फूल किस नरगिस से कम थे, बन्नो ? पर उस पाकिस्तान का हम क्या करते ?

गाड़ी चली आयी और मैं सचमुच दरवेश हो गया। फिर कभी घर लौटने का मोह नहीं हुआ।

मैं जानता था कि मास्टर साहब की सांस भी चुनार में घुट रही होगी। बन्नो की सांसों का कुछ पता नहीं था। बस, इतना-भर लगता था कि उसने गंगा में डूबकर जान नहीं दी होगी। वह होगी। रातों में किसी का बिस्तरा गर्म करती होगी। प्यार करती होगी। मार खाती होगी। जिनह को बर्दाश्त करती होगी। बीबी की तरह पूरी ईमानदारी से मन्नतें मानती होगी, मेहंदी रचाती होगी। बच्चों का गू-मूत करती होगी। सुखी होगी, पछताती होगी। सब भूल गयी होगी। जो नहीं भूल पायी होगी वह रुका हुआ वक्त उसका पाकिस्तान बन गया होगा। उसे सताने के लिए...

खैर बन्नो...जो हुआ सो हो गया। मैं मुगलसराय से इलाहाबाद आया और इलाहाबाद से बम्बई। कुर्ला की रेलवे वर्कशाप में मौसा ने कुछ काम दिला दिया। कुछ दिन वहीं गुजारे...फिर मै पूना चला गया। अस्पताल की लिंब फैक्टरी में, जहां लकड़ी के हाथ-पैर बनते हैं। मुझे मालूम था कि अब कोई भी चुनार नाम की जगह में जी नहीं पाएगा न मेरा घर, न तुम्हारा घर। पर यह पता नहीं था कि दादा इतनी दूर चले आएंगे और साथ में कई घरों को लेते आएंगे।

सच पूछो तो चुनार में रह ही क्या गया था ? जब पाकिस्तान बन जाता है तो आदमी आधा रह जाता है। फसलें तबाह हो जाती हैं। गलियां सिकुड़ जाती हैं और आसमान कट-फट जाता है। बादल रीत जाते हैं और हवाएं नहीं चलतीं, वे कैद हो जाती हैं।

दादा के खत से मालूम हुआ था, कई वर्ष बाद, कि कुछ घर जुलाहों-बढ़ई के साथ लेकर वे फसलों, गलियों, आसमान, बादल और हवा की तलाश में निकल पड़े थे और भिवंडी आ गये थे। यह नहीं मालूम था कि बन्नो का घर भी साथ आया था। ड्रिल मास्टर क्या करते आकर ? यह मैंने भी सोचा था। दादा का आना तो ठीक था। वे सूती कपड़े का व्यापार करते थे। आठ घर मुसलमान जुलाहों, दो घर हिन्दू बढ़इयों को लेकर वे भिवंडी आ गये थे। पता नहीं शुरू-शुरू में उन्हें क्या परेशानी हुई।

बन्नो, तुम्हारे बारे में मुझे तब पता चला जब दादा एक बार मुझसे पूना मिलने आये। तब बहुत मामूली तरह से उन्होंने बताया था कि ड्रिल मास्टर साहब का घर भी आया है। उन्हें भिवंडी स्कूल में जगह मिल गयी है और यह भी कि उन्होंने बन्नो की शादी कर दी है। दामाद वहीं उनके साथ वाले मुहल्ले में रहता है, करधे चलाता है। रेशम का बढ़िया कारीगर है।

जिस तरह दादा ने यह खबर दी थी, उससे लग रहा था कि वे जान-बूझकर इसे मामूली बना देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था बन्नो, कि बाजे मुहल्ले में दादा और तुम्हारा घर एक ही है कि ऊपर वे रहते हैं और तुम लोग नीचे। बाकी लोग बंगालपुरा और नई बस्ती में हैं। शायद मास्टर साहब पिछले पछतावे को भूल सकने के लिए ही ऐसा कर बैठे हों। मन तो बहुत हुआ कि जल्दी से जल्दी चलकर तुम्हें देख आऊं पर सच पूछो तो मन उखड़ा हुआ था। यह सब सुनकर और भी उखड़ गया था कि तुम भी वहीं हो और शादीशुदा हो। और फिर बातों-बातों में दादाजी ने घुमा-फिराकर यह भी कह दिया था कि मैं भिवंडी न आऊं तो बेहतर है क्योंकि उन्हें मास्टर साहब का ख्याल था। वे जानते थे कि मास्टर साहब ने कुछ नहीं किया था, और दादा जी उन्हें मेरी उपस्थिति से दुःखी या जलील नहीं करना चाहते थे। कितनी अजीब स्थिति थी यह...क्या यह नहीं हो सकता था कि घर ऐसा ही रहता और इसमें रहने को मुझे भी जगह मिलती ?

मन में तरह-तरह के ख्याल आते थे,दबा हुआ गुस्सा कहीं फूट पड़ा तो ?

अगर मेरे भीतर का धधकता हुआ पाकिस्तान फट पड़ा तो ? अगर मैंने तुम्हारे आदमी को तुम्हारे साथ न सोने दिया तो ? अगर भिवंडी से उसे भी मैं उसी तरह निकाल सका, जैसे, कि कभी मैं निकाला गया था, तो ? किसी रात मैं बर्दाश्त न कर पाया और तुम्हारे कमरे में घुस पड़ा तो ?

मुझे मालूम है, दादा और मास्टर साहब दोनों एक-दूसरे को अपने मासूम होने का भरोसा दे रहे थे। पर मेरे पास क्या भरोसा था ? उनका क्या बिगड़ा था ! बिगड़ा तो मेरा था। मैं तभी से एक नकाब लगाये घूम रहा था। हाथों में दस्ताने पहने और कमर में खंजर दबाये।

लेकिन बन्नो, भिवंडी में भी दंगा हो गया। मेरी-तुम्हारी वजह से नहीं उसी एहसास की कमी की वजह से। सुना तो मैं सन्न रह गया। पता नहीं अब क्या हुआ होगा ? पांच बरस पहले तो मैं वजह हो सकता था, पर अब तो मैं वहां नहीं था। गया तक नहीं था। इसी वजह से कि तुम दिखाई दोगी और मैं दंगा शुरू कर दूंगा।

पर तुम मुझे दिखाई दीं तो इस हालत में।

मैं जब भिवंडी पहुंचा तो दंगा खत्म हुए दस-बारह दिन हो चुके थे। घुसते ही बस्ती में जगह-जगह काले चकते दिखाई पड़ते थे। कुछ घर, फिर एक काला मैदान, फिर मकानों-घरों का एक सहमा हुआ झुंड और उसके बाद फिर एक काला मैदान। उड़ती हुई राख। आग और अंगारों की महक अब नहीं थी। पर राख की एक अलग महक होती है, बुझे हुए शोरे जैसी। कुछ तेंज खरैंदीजो नथुनों से होकर भीतर तक काट करती है।

सुनो, तुमने भी इस महक को जरूर महसूस किया होगा। ऐसा कौन है इस देश में जो राख की महक को न पहचानता हो। जब मैं एस. टी. स्टैंड (बस-अड्डे) पर उतरा, शाम हो रही थी। गश्त से जो दहशत होता है वैसा कुछ नहीं था। वहां, जहां पर सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं, दो-तीन पुलिसवाले बतियाते खड़े थे। बसें ज्यादातर खाली थीं। वे चुपचाप खड़ी थीं। संगमनेर, अलीबाग, भीरवाड़ा या सिन्नर जानेवाली बसों की तो बात ही क्या, शिर्डी जाने वाला भी कोई नहीं था।

बस-अड्डे की टीन तले चार-पांच पुलिसवाले और दिखाई दिए, खानाबदोशों की तरह छोटी-सी गृहस्थी जमाये हुए। अगर उनकी बन्दूकें गन्नों के ढेर की तरह जमा न होतीं तो शायद यह भी नहीं मालूम पड़ता कि वे पुलिसवाले हैं।

दोनों सड़कें खाली थीं। डाकबंगले में जहां कलक्टर डेरा डाले पडे थे, कुछेक लोग चल-फिर रहे थे। थाना कल्याण जाने वाली टैक्सियां भी नहीं थीं।

दंगाग्रस्त इलाकों से गुजरना कैसा लगता है, शायद इसका भी अन्दांज तुम्हें हो, मुझे बहुत नहीं था। एक खास किस्म का सन्नाटा...या टपकन। वीरान रास्ते और साफ-साफ दिखाई देनेवाले खालीपन। कोई देखकर भी नहीं देखता। देखता है तो गौर से देखता है पर बिना किसी इनसानी रिश्ते के। यह क्यों हो जाता है ? एहसास

इतना क्यों मर जाता है? या कि भरोसा इतना ज्यादा टूट जाता है।

इतने छोटे-से कस्बे में बाजे मोहल्ले का पता पूछना भी दुश्वार हो गया। खैर, जैसे-तैसे मोहल्ला मिला। घर भी मिला पर उसमें सन्नाटा छाया हुआ था। हिन्दुओं ने यह क्या कर डाला था। क्या इतने सन्नाटे में कोई इनसान रह सकता है।

मुझे मालूम था बन्नो, ड्रिल मास्टर साहब, तुम्हारा शौहर मुनीर सब यहीं होंगे। मेरे घरवाले भी होंगे। पर ऊपर के खंड में अंधेरा था। चांदनी रात न होती तो मैं घबरा ही जाता।

सचमुच, एक क्षण के लिए लगा कि अगर मैंने चुनार न छोड़ दिया होता, तो उसकी भी यही दशा होती। फिर बन्नो, तुम्हारा ख्याल आया। कैसे तुम्हारे सामने पड़ूंगा। सारा खौलता हुआ खून ठंडा पड़ गया था। मैं जैसे चुनार की उन्हीं गलियों में आ गया था उसी उम्र के साथ।

घर का दरवाजा खुला था। मैंने आहिस्ता से भीतर कदम रखा। एक आंगन-सा। आंगन के एक कोने में दो-एक घड़े रखे थे। उन्हीं के पास दो सुरमई छायाएं थीं। दोनों औरतें थी। एक औरत कमर तक नंगी थी। दूसरी उसी के पास बैठी बार-बार उसके गले तक हाथ ले जाती थी और नंगी छातियों से कमर तक लाती थी। पता नहीं क्या कर रही थी। पर एक औरत की नंगी पीठ दिखाई दे रही थी। वे दोनों औरतें वहां बैठी क्या कर रही थीं, मैं समझ नहीं पाया। सहमकर बाहर आ गया।

बाहर खड़ा था कि ड्रिल मास्टर साहब दिखाई दिये। उन्होंने एक मिनट बाद ही पहचान लिया। लेकिन उन्होंने आवभगत नहीं की। वे सोच ही नहीं पाये कि मुझे किस तरह लें! किस बरस के किस दिन से बात शुरू करें, किस रिश्ते से करें, कहां से करें। वे कुछ कहें इसके पहले ही मैंने उबार लिया, जैसे किसी अजनबी से मैंने पूछा हो, वैसे ही दादा जी के बारे में पूछ दिया।

"वो तो चुनार चले गये परसों!" मास्टर साहब ने कहा।

"परसों..." मैं और क्या कहता।

"हां, रुके नहीं। बहुत-से लोग वापस चले गये है।" वे बोले। और मैं उसी क्षण समझ गया कि सब बातों के बावजूद दादाजी शायद फिर भी चुनार लौट सकते थे पर मास्टर साहब नहीं। मास्टर साहब के चुनार छोड़ने का सबब वह नहीं था, जो दादाजी का या मेरा रहा होगा। उनका यहां चले आना वक्त का दिया हुआ वनवास था। और वक्त के दिए हुए वनवास से लौट सकना आसान नहीं होता। मुझे तो सिर्फ कुछ लोगों ने वनवास दिया था।

घरवाले वहां नहीं थे, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहा था। दंगा-ग्रस्त शहर कहां पनाह मिल सकती थी? मास्टर साहब अपने घर टिका लें, यह हो नहीं सकता था।

"सब सामान वगैरह भी ले गये है..."

"नहीं, ज्यादा सामान तो यहीं है..." वे बोले।

"ताला बन्द कर गये है?"

"हां, पर एक चाबी मेरे पास है।" उन्होंने मुझे सकुचाते हुए सहारा दिया।

"मैं एक दिन रुकूंगा, वैसे भी कल शाम चला जाना है।" मैंने खामख्वाह कहा, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। अजनबी बस्ती में रात पड़े मैं कहां जा सकता था! मुझे छोड़कर वे घर में घुस गये। एक मिनट बाद वे एक मोमबत्ती और चाबी लेकर आये और बगल के जीने से ऊपर चढ़ा ले गये। ताला खोलकर मुझे पकाड़ाते हुए बोले"खाना-वाना खाया है?"

"हां" मैंने कहा और भीतर चला गया।

"कुछ जरूरत हो तो बता देना..." वे बोले और नीचे चले गये। भरथरीनामा का शायर काफी समझदार था। 'बता देना'! यह नहीं कि मांग लेना।

बन्नो, कितनी विचित्र थी वह रात! तुम्हें मालूम भी नहीं था कि ऊपर मैं ही हूं। मास्टर साहब ने बताया या नहीं बताया, क्या मालूम। कुछ भी कह दिया होगा। सुबह-सुबह पुलिस न आती तो तुम्हें जिन्दगी-भर पता न चलता कि रात छत पर मंडराने वाली छाया कौन थी।

चारों तरफ सन्नाटा...सन्नाटा...

रात चांदनी थी। हवा बन्द थी। मैं सांस लेने या शायद बन्नो को देख सकने के लिए खुली छत पर खाट डालकर लेट गया था। कुछ देर आहट लेता रहा। शायद कोई आहट तुम्हारी हो बन्नो...पर फिर मन डूब गया। चाहे कितनी गर्मी हो पर औरत को तो आदमी के साथ ही लेटना पड़ता है।

पिछवाड़े वाला पीपल चांदनी में नहाया हुआ था। मैंने खाट ऐसी जगह डाल ली थी, जहां से आंगन में देख सकूं...पर जो कुछ देखा वह बहुत भयावना था।

दो खाटें आंगन में पड़ी थीं। एक पर अम्मी थी, दूसरी पर बन्नो! कितना अजीब लगा था बन्नो को लेटा हुआ देखकर...

चांदनी भर रही थी और बन्नो अपना ब्लाउज खोले, धोती कमर तक सरकाए नंगी पड़ी थी। उसकी नंगी छातियां पानी भरे गुब्बारे की तरह मचल रही थीं और वह अधमरी मछली की तरह आहिस्ता-आहिस्ता बिछल रही थी।

"आये अल्ला..." यह बन्नो की आवाज थी।

"सो जा, सो जा !" अम्मी बोली थी।

"ये फटे जा रहे हैं..." बन्नो ने कहा और उसने अपनी दोनों छातियां कसकर दबा ली थीं जैसे उन्हें निचोड़ रही हो।

अम्मी उठकर बैठ गयीं"ला, मैं सूत दूं!" कहते हुए उन्होंने बन्नो की भरी छातियों को सूतना शुरू कर दिया था। दूध की छोटी-छोटी फुहारें बन्नो की छातियों से झर रही थी और वह हल्के-हल्के कराहती और सिसकारती थी। दूध की टूटी-टूटी फुहार, जैसे इत्र के फव्वारे में कुछ अटक गया हो। फिर दस-बीस बूंदें एकाएक भलभलाकर टपक पड़ती थीं। दो-चार बूंदें उसके पेट की सलवटों में समाकर पारे की तरह चमकती थीं। उसकी नाभि में भरा दूध बड़े मोती की तरह जगमगा रहा था।

अम्मी उसकी छातियों का दूध अपनी ओढ़नी के कोने से सुखाती और चार-छः बार के बाद वहीं किनारे की पाली में कोना निचोड़ देती थी। मटमैली नाली में पनीले का दूध का पतला सांप कुछ दूर सरककर कहीं घुस जाता था।

ओह बन्नो! यह मैंने क्या देखा था? मैं दहशत के मारे सन्न रह गया था। सारा बदन पसीने से तर था। सिसकारियां और कराहटें और आसमान में लटकते दो डबडबाये स्तन! कुछ दहशत, कुछ उलझन, कुछ बेहद गलत देख लेने को गहरा पछतावा... ।बहुत रात गये मैं छत पर टहलता रहा। जब नीचे शान्ति हो गयी और मैंने देख लिया कि बन्नो धोती का पल्ला छाती पर डालकर लेट गयी है, तब मैं भी लेट गया। यह कैसा दृश्य था? आसमान में जगह-जगह दूध-भरी छातियां लटकी हुई थीं...इधर-उधर...।

आंख लगी ही थी कि एकाएक पिछवाडे खड़खड़ाहट हुई। कोई रो रहा था और नाक पोंछते हुए कह रहा था"कादिर मियां! बन गया साला पाकिस्तान ! भैयन, अब बन गया पूरा पाकिस्तान...।"

फिर रोना रुक गया था। कुछ देर बाद वही आवाज फिर आयी थी"कादिर मियां, अब यहीं इहराम बांधेंगे और तलबिया कहेंगे! अपना हज्ज तो हो गया, समझे कादिर मियां!" अगर पिछवाड़े पीपल न होता तो शायद पाताल से आती यह आवाज सुनकर मैं भाग जाता। पर अब तो खुली आंखों को तरह-तरह के दृश्य दिखाई दे रहे थे आसमान से गिरता खून, अंधेरे में भागती हुई लाशें, बीच बाजार खड़े हुए धड़ और कटी गर्दनों से फूटते हुए फव्वारे। लपटों में नंगे नाचते हुए लोग...।

पीपल न खड़खड़ाता तो मैं बहुत डर जाता। उसके पत्तों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे अस्पताल के दफ्तर में बैठे हुए टाइप बाबू अपनी मशीन पर कुछ छाप रहे हों...बस यही आवाज जानी-पहचानी थी। बाकी सब बहुत भयानक था। सुबह माथा बेतरह भारी था। आंखों में जलन थी। हाथ-पैर सुन्न थे। उठना पड़ा, क्योंकि पुलिस आयी थी। मास्टर साहब ने आकर जगाया था। वे डरे हुए थे। बोले"पुलिस तुम्हें पूछ रही है...।"

"क्यों?" "बाहर वाले की तहकीकात करती है। हमसे पूछ रहे थे रात कौन आया है, कहां से आया है, क्यों आया है?" सुनते ही मेरे आग लग गयी थी। तुम्हीं बताओ, जब मैं घर से उस अंधेरी रात में निकला या निकाला गया था तो कोई पूछने आया था कि इस रात में कौन जा रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है?"

पूरे आदमी को न समझना, सिर्फ उसके एक वक्ती हिस्से को समझना ही तो पाकिस्तान है बन्नो! जब पुलिस मुझे सुबह-सुबह जगाकर थाने ले गयी तो मैं समझ गया कि अब हम और तुम दोनों पाकिस्तान में घिर गये है...पर यह घिर जाना कितना दुःखद था!

थाने पर मेरी तहकीकात हुई। मैं यहां क्यों आया हूं? क्या बताता मैं उन्हें? आदमी कहीं क्यों आता-जाता है? पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान करते अगर मास्टर साहब वहां खुद न पहुंच गये होते। उन्होंने ही सारी तफसील दी थी। उस वक्त उनका मुसलमान होना कारगर साबित हुआ था। पर मुझे लग रहा था कि उस मौजूदा माहौल में मास्टर साहब फिर तो वही गलती नहीं कर रहे थे जो उन्होंने भरथरीनामा शुरू करके की थी।

थाने में सवालों के जवाब देना आसान भी था और टेढ़ा भी। आखिर वहां से निकलकर हम सामने पड़े कटी लकड़ियों के ढ़ेर पर बैठ गये थे। मास्टर साहब चाहते थे कि मैं होश-हवास में आ जाऊं, क्योंकि मेरा रंग फक हो गया था।

वहीं तीन बत्ती के पास दो-तीन लोग और बैठे थे। शायद किसी की जमानत या तफतीश के लिए आये थे। उनके चेहरे लटके हुए और गमजदा थे। मौलाना की आंखों में खौफ था। वे साथ बैठे लोगों को बता रहे थे"रसूल ने कहा है कि सूर तीन बार फूंका जाएगा। पहली बार फूकेंगे तो लोग घबरा जाएंगे, सब पर खौफ बरपा हो जाएगा। दूसरी बार जब सूर में फूंक मारी जाएंगी तो सब मर जाएंगे। तीसरी आवाज पर लोग जी उठेंगे और अपने रब के सामने पेश होने के लिए निकल आएंगे...यही होना है...सूर में अभी पहली बार फूंक मारी गयी।"

"भरथरीनामा लिख रहे है?" मैंने पूछा।

"हां...भरमता मन मेरा, आज यहां रैन बसेरा!

कहो बात जल्द कटे रात, जल्द हो फंजर सबेरा!!...कहते-कहते मास्टर साहब उधर देखने लगे जहां छत की सूनी मुंडेरों पर घास के पीले फूल खिले थे। घनी घास में से अबाबीलें छोटी मछलियों की तरह उछलती थीं। घास की टहनी से पीले फूल चोंच से तोड़कर उड़ती थीं। चोंच से फूल गिर जाते थे तो उड़ते-उड़ते फिर तोड़ती थीं...अबाबीलों का उड़ते-उड़ते या घनी घास में से उछलकर फूलों तक आना, पीले फूलों का तोड़ना, चकराते हुए फूलों का गिरना और अबाबीलों का दूर आसमान से फिर लौटकर आना...।

मास्टर साहब खामोशी से यही देख रहे थे। आखिर मैंने उन्हें टोका"कल रात...।"

"हां, वह बदरू है...पगला गया है। उसके चालीस करधे थे, जलकर राख हो गये। पिछवाड़े पीपल के नीचे ही तब से बैठा है। रात-भर रोता है। गालियां बकता है..." मास्टर साहब बोले।

"घर में कुछ..." मैंने बहुत हिम्मत करके कहा तो जोगी की तरह मास्टर साहब सब बता गये, "हां...बन्नो को तकलीफ हैं। दंगे से तीन दिन पहले बच्चा हुआ था। डॉ. सारंग के जच्चा-बच्चा घर में थी। दंगाइयों ने वहां भी आग लगा दी। रास्ता रुंध गया तो जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से जच्चाओं को फेंका गया। बच्चों को फेंका गया। नौ जच्चा थीं। दो मर गयी। पांच बच्चे मर गये। बन्नो का बच्चा भी गली में गिरकर मर गया। उस वक्त मारकाट मची हुई थी। सवेरे हम बन्नो को जैसे-तैसे ले आये। अब उसके दूध उतरता है तो तकलीफ होती है...।"

कुछ देर खामोशी रही। अबाबीलें घास के फूल तोड़ रही थीं। उठने का बहाना खोजते हुए मैंने कहा, "सोचता हूं, दोपहर ही पूना चला जाऊं...।"

"जा सको तो चुनार चले जाओ। अपने दादा को देख आओ..." मास्टर साहब बोले।

"क्यों, उन्हें कुछ हो गया है क्या?"

"हां...उनकी एक बांह कट गयी है। घर के सामने ही मारकाट हुई। वे न होते तो शायद हम लोग जिन्दा भी न बचते। हमला तो हम पर हुआ था। वे गली में उतर गये। तभी बांह पर वार हुआ। बायीं बांह कटकर अलग गिर पड़ी। लेकिन उनकी हिम्मत...अपनी ही कटी बांह को जमीन से उठाकर वे लड़ते रहे...खून की पिचकारी छूट रही थी। कटी बांह ही उनका हथियार थी...दंगाई तब आग के गोले फेंककर भाग गये। गली में उनकी बांह के चिथड़े पड़े थे। जब उठाया तो बेहोश थे। दाहिने हाथ में कटी बांह की कलाई तब भी जकड़ी हुई थी...पर उस खुदा का लाख-लाख शुक्र। थाना अस्पताल में मरहम-पट्टी हुई। आठ दिन बाद लौटे। दूसरे ही दिन चुनार चले गये...।"

"तो उनकी बांह का क्या हाल था?..." मैं सुनकर सन्न रह गया था। "ठीक था। चल-फिर सकते थे। कहते थे वहीं चुनार अस्पताल में यही करवाते रहेंगे। या खुदा...रहमकर...बेहतर हो देख आओ..." मास्टर साहब ने कहा और अपने आंखें हथेलियों से ढांप लीं।

मेरी चेतना बुझ-सी रही थी। मैं किस जहान में था? ये लोग कौन थे, जिनके बीच मैं था? क्या ये जो कुछ लोग आदमियों की तरह दिखाई पड़ते थे सच थे या कोई खौफनाक सपना? अब तो कटा-फटा आदमी ही सच लगता था। पूरे शरीर का आदमी देखकर दहशत होती थी। ...मैं फिर आकर कमरे में लेट गया था। मास्टर साहब भीतर चले गये थे। तभी नीचे से कुछ आवाजें आयी थीं। अम्मी...मास्टर साहब, बन्नो का आदमी मुनीर और बन्नो सभी थे। मुनीर कह रहा था, "यहां रहने की जिद समझ में नहीं आती..."

"तुम्हारी समझ में नहीं आएगी।" यह आवाज बन्नो की थी, "हम तो पहले इसी धरती से अपना बच्चा लेंगे, जिसने खोया है। फिर जब जगह चले जाएंगे। जहां कहोगे..."

मैंने झांककर देखा। दुबला-पतला मुनीर गुस्से से कांप रहा था। चीखकर बोला, "तो ले अपना बच्चा यहीं से...जिसने मन आए, ले।"

मैं सकते में आ गयाकहीं कुछ...कहीं इसमें मेरा जिक्र तो नहीं था...पर शायद में गलत समझा था। बन्नो भी बिफरकर बोली थी, "तू अब क्या देगा बच्चा मुझे...। अपना खून बेच-बेचकर शराब पीने से फुर्सत है?..."

तड़ाक!...शायद मुनीर ने बन्नो को मारा था। छोटा-सा कोहराम मच गया था।

बाद में बन्नो मुनीर को कोसती रही थी, "मुझे मालूम नहीं है क्या? जितनी बार बम्बई जाता है, खून बेचकर आता है। फिर रात-भर पड़ा कांपता रहता है..."

यह सब मैं क्या सुन रहा था, बन्नो! तेरे भीतर भी एक और पाकिस्तान रो रहा था। सभी तो अपने-अपने पाकिस्तान लिये हुए तड़प रहे हैं। आधे और अधूरे, कटे-फटे, अंग-भंग।

ओफ्फ ! कितना अंधेरा था उस चांदनी रात में...जब मैं भिवंडी से उसी तरह चला जैसे एक दिन चुनार से चला था। अड्डे से एक टैक्सी थाना जा रही थी। उसी में बैठ लिया था। जब तक बस्ती रही, काले मैदान भी बीच-बीच में नजर आते रहे। राख की तेज महक भीतर तक उतरती रही। आसमान में डबडबाए। ●

विगत 23 वर्षों से देशहित में समाज-निर्माण के संकल्प के साथ

न हम डरते है न डराते हैं
हम देशप्रेम की भावना जगाते हैं

अगर आप में है जोश और
देश से प्यार

तो आइए दिल्ली से प्रकाशित
राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका
दूसरा मत
के साथ

अगर शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो तो हमेशा एक ही काम करोगे लेकिन पत्रकार बनते हो तो दुनिया समझने को मिलेगी, दुनिया समझाने को मिलेगी। दुनिया को पढ़ने का मौक़ा मिलेगा, दुनिया को पढ़ाने का मौक़ा मिलेगा

हम आपके हाथ में देते हैं क़लम
समाज-निर्माण की ताक़त के साथ।

योग्यता
खबरों की समझ
और देश के साथ
सच्ची प्रेम-भावना

सोचो, समझो और **दूसरा मत** से जुड़ो

संपर्क : +91-9643709089

SHRI GADADHAR ACHARYA JANTA COLLEGE
RAMBAGH BIHTA-201103
(A Constituent unit of Patliputra University, Patna)

(NAAC Accredited College)

G. J. College is a premier institution of higher education in Bihar, which was established in 1959, Bihta (Patna)

➢Quality education up to degree level in Science, Arts and ommerce. ➢Facility of online admission process. ➢Eco-friendly and green campus. ➢Well qualified & inspiring faculties. ➢Free Wi-Fi connectivity. ➢Extensive sports facilities, including spacious big playground and stadium. ➢Availability of Girls hostel. ➢Availability of Girl's common Room. ➢Separate washrooms for girls, Boys and staffs. ➢Time to time cultural activities is going on. ➢Availability of E-Library and well equipped Labs. ➢Ragging free campus. ➢Availability of course B.A. B.Sc. B.Com. M.A. M.Sc. & Vocational courses BBA, B.C.A, B.Sc. IT, BLIS ➢N.C.C. and N.S.S. facilities.

Bursar
Dr Mukesh Kumar

Prof.(Dr.)Arvind Kumar Sinha
Principal

'दूसरा मत' प्रकाशन

'आमने-सामने' अपने-आप में एक ऐतिहासिक इंटरव्यू-संग्रह है। इस संग्रह में देश की 62 अहम शख्सियतों एवं हस्तियों के साक्षात्कार शामिल हैं। यह संग्रह देश ही नहीं विदेशों में भी खासा चर्चित रहा है।

देश के जाने-माने प्रकाशन 'राजपाल' के प्रकाशक एवं डीएवी मैनेजमेंट कमिटी के वायस प्रेसिडेंट विश्वनाथ जी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है, - "इस तरह के विशाल इंटरव्यू-संग्रह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अभी तक नहीं आए हैं।

गणतंत्र दिवस
की
हार्दिक
शुभकामनाएं
45
YEARS OF
EXCELLENCE
!! RADHA SOAMI JI !!
Kasturi Jewellers®
SINCE 1978
100% HALLMARK JEWELLERY SHOWROOM
#GOLD #DIAMOND JEWELLERY #SOLITAIRES
100% Lifetime Maintenance Free
100% Buy Back Diamond Jewellery
100% Certified Diamond Jewellery
Shop No. 15, 16, 17, 18, SDM Market, Mangal Bazar Road, Uttam Nagar, New Delhi-110 059
Shop No. 54-55, Main Pankha Road, Opp. Sagar Pur Police Station, New Delhi-110 046
Kasturi Lal Ph. 98186 09444 | Manish (Monu) Ph. 98186 11313

जीवछ महाविद्यालय मोतीपुर, मुजफ्फरपुर

(बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई)

महाविद्यालय परिसर में माननीय सांसद वैशाली, श्रीमती वीणा देवी, प्राचार्य एवं शिक्षक गण

माननीय कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय

गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

मुजफ्फरपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर-मोतीहारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 तथा मोतीपुर-साहेबगंज राज्य राजमार्ग के मध्य में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान जीवछ महाविद्यालय मोतीपुर उत्तम परीक्षा फल, अनुशासन, सुव्यवस्था एवं शिक्षकेतर क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का मानदंड स्थापित करता हुआ मुजफ्फरपुर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सफल सिद्ध हुआ है। इस संस्था ने अपने अभिनव प्रयास द्वारा सही अर्थों में शिक्षा और समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। तथा सदा नैतिक परक शिक्षा के साथ-साथ मानवता का संदेश देने के लिए कृतसंकल्पित है।

सत्य-निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निष्पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले इस संस्थान की विकास यात्रा में समाज के प्रबुद्ध जनों का स्वागत है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जीवछ महाविद्यालय मोतीपुर, मुजफ्फरपुर के बढ़ते कदम :

स्नातक (आनर्स) **कला संकाय** (**B.A**) में स्वीकृत विषय- हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल (प्रस्तावित), दर्शन शास्त्र, संगीत (प्रस्तावित)

स्नातक (आनर्स) **विज्ञान संकाय** (**B. SC.**) में स्वीकृत विषय- गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान।

स्नातक (ऑनर्स) (**B.com.**) में स्वीकृत विषय - (प्रस्तावित)

इंटीग्रेटेड बी.एड. कोर्स (चार वर्षीय) - (प्रस्तावित)

संस्थान की विशेषताएं :

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सर्वोत्तम संस्थान।
2. नियमित वर्ग संचालन एवं सेमिनार, संगोष्ठी तथा सांस्कृतिक कार्यों का नियमित आयोजन।
3. उत्कृष्ट पुस्तकों से संपन्न अति आधुनिक समृद्ध पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा।
4. खेल के मैदान सहित खेलकूद की समुचित व्यवस्था तथा खेल-प्रतियोगिता का नियमित आयोजन।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना (**NSS**) की इकाई संचालित।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर (**NCC**) की इकाई संचालित।
7. विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए आई.सी.टी. प्रयोगशाला (**I.C.T. LAB**) की व्यवस्था।
8. छात्रों की विशेष सुविधा के लिए सुव्यवस्थित अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा स्मार्ट क्लास की सुविधा।
9. **NAAC** मूल्यांकन हेतु अध्याधुनिक **IQAC** सेल।
10. सुरक्षा की दृष्टिकोण से सी.सी.टी.वी से युक्त परिसर।
11. परिसर में मुफ्त वाईफाई की सुविधा।
12. शासन एवं महाविद्यालय के माध्यम से विभिन्न पुरस्कार एवं कई प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदत्त।
13. पुरस्कार एवं दक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की समुचित व्यवस्था।
14. महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय में विकसित करने हेतु शिक्षकों, विद्यार्थियों- अभिभावकों के साथ समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन।

डॉ. राम नरेश पंडित 'रमण' डी. लिट.

प्रधानाचार्य